लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 4-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 4, गुरुवार, 27 मई, 1971/6 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

No. 4. Thursday, May 27, 1971/Jyaistha 6, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
मंत्रियों के पदनामों और मंत्रालयों के नामों के सम्बन्ध में	Re: Designation of Ministers and Ministries	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	2—16
ता. प्र. संख्या S.Q. No.		
91. खाद्यान्नों के समान मूल्य	Uniform Prices for Foodgrains ...	2
92. श्रम नीति निर्धारित करने के लिये केन्द्रीय कार्मिक संगठनों की बैठक	Meeting of Central Trade Union Organisations to evolve Labour Policy	5
93. आसनसोल कोयला क्षेत्र में कोयला खानों का बन्द होना	Closure of Collieries in Asansol Coal Belt ...	9
94. सेला चावल की केरल को की जा रही सप्लाई में वृद्धि की मांग	Demand for increase in supply of Bolled Rice to Kerala	12
95. चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry ...	14
96. बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण	Construction of Bokaro Steel Plan ...	16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS ...	17—133
97. भविष्य निधि नियमों के लागू होने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgement on Applicability of Provident Fund Rules	17
98. सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये उपाय	Measures to increase production of Steel in Public Sector Steel Plants	1
99. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में हड़ताल	Strike in Durgapur Steel Plant	18
100. अकाल वाले क्षेत्र	Famine Areas ...	18
101. केरल के मछली उद्योग के लिए बृहद योजना को कार्यान्वित करने के लिये सर्वेक्षण	Survey for Implementation of Master Plan for Fisheries of Kerala ...	19

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र संख्या S.Q. No.	विषय	Subject
102.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	Durgapur Steel Plant
103.	सरकारी तथा गैर सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग लेना	Workers' Participation in Management of Public and Private Undertakings
104.	असुरक्षित पतन तथा गोदी कर्मचारियों के लिए श्रम पूल बनाने की योजना	Scheme to form Labour Pools for Unprotected Port and Dock Workers
105.	उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry in U. P.
106.	दक्षिणी राज्यों की चीनी मिलों में वित्तीय संकट	Financial Crisis in Sugar Mills of Southern States
107.	कृषि जोतों की अधिकतम सीमा को कम करना	Lowering of Ceiling on Agricultural holdings
108.	बेलाडिला लोह अयस्क परियोजना, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा बारी बारी से भूख हड़ताल	Relay Hunger strike by Workers of Bailadila Iron Ore Project Madhya Pradesh
109.	कृषि विकास योजनाओं के लिये छोटे किसानों को उपलब्ध सुविधाए	Benefits Available to Small Farmers for Agricultural Development Plans
110.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को हुई हानि	Loss incurred by Hindustan Steel Ltd.
111.	औद्योगिक आवश्यकताओं के लिये वन संसाधनों का विकास	Development of Basic Forest Resources for Industrial Requirements
112.	भूमि सुधार के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference on Land Reforms
113.	बेरोजगारी की समस्या को हल करने के बारे में इकेफे (एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग) के सुझाव	Ecafe suggestions to Solve Unemployment
114.	रोजगार संबन्धी योजनाओं के सुझाव के लिये संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ	United Nations experts to suggest Employment Schemes
115.	रूरकेला तथा दुर्गापुर संयंत्रों में इस्पात के उत्पादन में कमी	Shortfall in Production of Steel at Rourkela & Durgapur Plants
116.	दुग्ध उत्पादों के निर्माण से प्रतिबन्ध हटाने के लिये दिल्ली में दुग्ध सप्लाई में वृद्धि करने के सम्बन्ध में योजना	Plan for Boosting up of Milk Supply in Delhi to avoid Ban on Manufacture of Milk Product
117.	शुष्क भूमि समन्वित कृषि विकास योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Projects under Integrated Dry Land Agricultural Scheme
118.	पश्चिम बंगाल, आसाम तथा त्रिपुरा को चावल की सप्लाई में वृद्धि	Increase in suppply of Rise to West Bengal, Assam and Tripura

अ.ता.प्र: संख्या/ U.S.Q. No.	विषय	Subjeet	पृष्ठ/ Pages
119.	राज्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये मांगी गई सहायता	Assistance sought by States for Refugees from East Bengal ...	31
120.	वास्तविक उपभोक्ताओं को इस्पात का वितरण	Distribution of Steel to Actual consumers ...	32
447.	एल्युमीनियम तथा उसके उत्पादों की मूल्य निर्धारण नीति सम्बन्धी कठिनाइयों तथा लागत के बारे में जांच	Enquiry into the problems and costs of pricing Policy for Aluminium and its Products ...	32
448.	गन्ने के मूल्य के भुगतान के लिये बकाया राशि	Arrears of Unpaid Sugarcane Price	33
449.	वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में नियंत्रित भाव वाली तथा खुले बाजारों में बिकने वाली चीनी के मूल्य	Price for levy Sugar and Free Sugar for the years 1969-70 and 1970-71	33
450.	गुजरात में ई०एस०आई० कारपोरेशन की स्थापना	Establishment of ESI Corporation in Gujarat	34
451.	उचित दर वाली दुकानों से दी जाने वाली चीनी के मूल्यों में वृद्धि	Rise in price of Sugar issued at Fair Price Shops ...	34
452.	संसद सदस्यों की सिफारिशों पर दूध के 'टोकिन' जारी करने के लिये दिये गये अनिर्णीत प्रार्थनापत्र	Applications pending for issue of Milk Tokens on Recommendations of Members of Parliament ...	35
453.	कृषि विभाग में कार्य कर रहे अमरीकी परामर्श दाताओं का बदला जाना	Replacement of American Advisers working in Department of Agriculture ...	36
454.	पश्चिम बंगाल तथा बिहार में रेलवे माल डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण कोयला उद्योग में संकट	Crisis in Coal Industry in West Bengal and Bihar due to non-availability of Railway Wagons ...	36
455.	औद्योगिक गृहों के अधिकार में कोयला खानों को राज. सहायता का भुगतान	Payment of subsidy to coal Mines owned by Industrial Houses ...	37
456.	कोयला खानों का बन्द हो जाना	Closure of Coal Mines ...	37
457.	अपराधी कोयला खानों की राज्य सहायता का बन्द किया जाना	Stoppage of Subsidy to defaulting coal mines ...	38
458.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन कोयला खानों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश दिवस घोषित करना	Public Holiday on Polling Day in collieries under NCDC	38
459.	तालचेर (उड़ीसा) में कोयला खानों में श्रमिक संघ	Labour Unions in Coal Mines in Talcher, Orissa	39
460.	ताजपुर मोलारबन्द लेबर एण्ड कन्सट्रक्शन कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली	Tajpur Molarband Labour and Construction Cooperative Society Ltd. Delhi	39

अ.ता.प्र. संख्या/ U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
461.	नीलेश्वरम् (केरल) में बाक्साईट निक्षेपों की मात्रा का सर्वेक्षण करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति	Appo.ntment of a Commission to Survey Quantum of Boxite Deposits Nileswaram (Kerala) ...	40
462.	अलौह धातुओं की मांग	Demand of Non-ferrous metals	40
463.	पूर्व बंगाल से आने वाले शरणार्थी	Refugees from East Bengal	41
464.	पश्चिम बंगाल तथा बिहार में कोयला के स्टाकों का जमा हो जाना	Accumulation of coal stocks in West Bengal and Bihar ...	41
465.	कम्पनियों द्वारा आसनसोल के निकट अनधिकृत खनन	Unauthorised Mining byCompanies near Asansol	42
466.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के उत्पादन तथा लाभ में ह्रास	Decl.ne in production and profits of National Coal Development Corporation	43
467.	जिला बांकुरा (पश्चिम बंगाल) में कोयले का पाया जाना	Coal found in Bankura District (West Bengal)	44
468.	शिवसागर हजारी बाग, (बिहार) के क्रिस्टियन माइका इन्डस्ट्रीज के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by workers of Chrestion Mica Industries, Sibsagar, Hazaribagh, Bihar	45
469.	समुद्री खनिज संसाधनों के विदोहन के लिये योजना	Scheme for exploitation of marine mineral resources	45
470.	लोह तथा मैंगनीज अयस्क की खानों का बन्द किया जाना	Closure of iron and manganese ore mines	45
471.	दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नलकूप	Provision of tube wells for irrigation to rural areas of Delhi	46
472	छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of licences for setting up of Mini Steel Plants ...	46
473.	आन्ध्र प्रदेश में सोने की खान	Gold mine in Andhra Pradesh	47
474.	मतदान दिवस को वेतन सहित अवकाश	Paid holiday on Polling Day	47
475.	पूर्वी जर्मनी से आयातित खराब ट्रैक्टरों को वापिस भेजना	Return of defective tractors imported from Eest Germany ...	48
476.	देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिये अविलम्बनीय कार्यक्रम	Crash Programme for removal of unemployment in the country	48
478.	जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य से आयातित खराब आर०एस० 09 ट्रैक्टरों के बदले में उपयुक्त ट्रैक्टरों का आयात	Import of suitable tractors in replacement of defective RS—09 tractors imported from GDR ...	49
479	आयातित खाद्यान्नों पर भाड़ा	Freight charges on imported food grains ...	49
480.	कोयला उत्पादन में कमी	Decline in coal production ...	50
481.	भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में समानता	Uniformity in ceiling on land holidings	51

U.S.Q. No.		Subject	Pages
482.	वन्य निषिद्ध पक्षियों को मारने के लिये कार्यवाही	Action for killing prohibited Birds	51
483.	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के लिये शरणार्थी शिविरों की दयनीय स्थिति	Unhealthy conditions in refugees Camp for displaced Persons from East Pakistan	51
485.	पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थी	Refugees from East Bengal	52
486.	दिल्ली में द्रुत कृषि कार्यक्रम योजना	Scheme for Crash Agricultural Programme in Delhi	52
487.	चसनाला कोयला खान, सिन्दरी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of Chasnalla Colliery, Sindri	53
488.	केरल में नीडाकारा पर मत्स्य बन्दरगाह का विकास	Development of Fishing Harbour Neendakara In Kerala	54
489.	छठवें भारतीय सहकारी सम्मेलन में दिये गये सुझाव	Suggestions at Sixth Indian Co-operative Congress	54
490.	हथकरघा कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय न्यूनतम मंजूरी	National Minimum Wage for Handloom workers ...	5
491.	बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Unemployment ...	5
492.	रोजगार कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रत्याशियों का पंजीकरण	Registration of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Candidates with Employement Exchanges	5
493.	सहकारी शीतागारों द्वारा मुनाफे का किसानों को छूट के रूप में वापस दिया जाना	Return of Profits as Rebates to Farmers by Cooperative Cold Storages ...	5
494.	रानीगंज, बर्दवान में विक्टरी कोयला खान (एम) ग्रुप में तालाबन्दी	Lock out in Victory Colliery (M) Group in Raniganj, Burdwan	5
495.	वर्ष 1971-72 के लिये कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन	Report of Agricultural Prices Commission for the year 1971-72	5
496.	रबी के मौसम के दौरान गेहूं का वसूली मूल्य	Procurement price of wheat during Rabi Season	5
497.	मद्रास के गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Madras Dock workers	
498.	छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Mini Steel Plants	
499.	पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी	East Pak. Refugees ...	
500.	राज्यों में भूमि लगान समाप्त किया जाना	Abolition of Land Revenue in States	
501.	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains ...	
502.	कृषि विश्वविद्यालयों का सम्मेलन	Conference of Agricultural Universities ...	
503.	गेहूँ के वसूली मूल्य में वृद्धि	Increase in procurement price of Wheat ...	

अ.ता.प्र. संख्या/ U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
504.	केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की बैठक	Meetnig of Central Land Reforms Committee ...	64
505.	खाद्यान्नों की कीमतें निर्धारित करने हेतु मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers Conference for fixing Foodgrains prices ...	64
506.	सिर पर बोझा ढोने वाले भारतीय खाद्य निगम के मजदूरों को मजदूर संघ अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाना	Inclusion of head load workers in Food Corporation of India within the Purview of Trade Union Act	65
507.	आसनसोल कोयला क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल में कोयला खान मालिकों द्वारा मजदूरों को वेतन का भुगतान न किया जाना	Non Payment of Wages to Workers by Coal Mines Owners in Asansol Coal Belt West Bengal ...	66
508.	नई डिमागोरिया कोयला कम्पनी द्वारा मजदूरों का भुगतान न किया जाना	Non Payment of Wages by New Dimagoria Coal Company ...	67
509.	पश्चिम बंगाल को खराब किस्म के चावल की सप्लाई सम्बन्धी शिकायतें	Complaints re: Supply of Bad Quality of Rice to West Bengal ...	67
510.	नारियल के उत्पादन में वृद्धि करने सम्बन्धी उपाय	Steps for Increase in Production of Coconut ...	68
511.	वन काटने के कारण भूमि के कटाव को रोकने संबन्धी योजना	Scheme for Prevention of Soil Erosion due to Deforestation ...	68
512.	बेरोजगारी भत्ता	Unemployment Allowance ...	69
513.	चीड़ उद्योग के उत्पादों का अध्ययन करने हेतु सम्मेलन	Conference to Study Products of Pine Industry ...	70
514.	केरल में लोहे तथा इस्पात का वितरण	Distribution of Iron and Steel in Kerala	70
515.	राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा बैलाडिला में पैलेटाइलेशन संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Pelletisation Plant National Minerals Development Corporation at Bailadilla ...	71
516.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों से अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Officers from Andaman and Nicobar Islands	71
517.	कम उपज वाले क्षेत्रों में उपज बढ़ाने के लिये मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Madhya Pradesh regarding Distribution of Low Yielding Areas- ...	72
518.	भूमि हीनों में कृषि योग्य परती भूमि बांटने हेतु मध्य प्रदेश को केन्द्रीय निर्देश	Central Directive to Madhya Pradesh regarding Distribution of Cultivable Fallow Land to Landless ...	72
519.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा चौथाई लिटर दूध की बोतल की सप्लाई का बन्द किया जाना	Discontinuance of supply of 1/4 Litre Bottle of Milk by Delhi Milk Scheme ...	73
520.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की भुरकुण्डा कोयला खान, बिहार, के कोयला खान मजदूरों द्वारा हड़ताल	Strike by Coal Miners of National Coal Development Corporation's Bhurkunda Colliery, Bihar	73

अ.ता.प्र. संख्या/ U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
521.	रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम को हानि	Loss Incurred in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	74
522.	गुजरात में कपास के मूल्यों में गिरावट के कारण कपास के उत्पादनों को हुई हानि	Loss of cotton produce due to slump in its price in Gujarat ...	74
523.	हैवी इंजीनियरिंग निगम, रांची के मजदूरों की शिकायतों के बारे में संसद सदस्यों से अभ्यावेदन	Representation from MPS regarding grievances of workers of Heavy Engineering Corporation, Ranchi	75
524.	बिहार में अकालग्रस्त तथा अभावग्रस्त क्षेत्र	Famine areas and Scarcity hit areas in Bihar	76
525.	अप्रैल, 1971 में वर्षा के कारण रबी की फ़सल को हुई हानि	Damage to Rabi Crop due to rains in April, 1971	76
526.	विक्टरी कोलायरी (एम) ग्रुप तथा निमचा कोलायरी करनारी के प्रबन्धकों द्वारा कोयला खानों के मजदूरों की मजूरी की अदायगी न किया जाना	Non Payment of colliery workers wages by Victory coillery (M) group and Nimcha colliery Karnari Managements	77
527.	न्यूनतम बोनस में वृद्धि	Increase in Minimum Bonus	77
528.	दस कर्मचारियों तक के प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना में सम्मिलित करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन	Amendments to employees Provident Fund Act to include establishements having only Ten Workers	78
529.	सैलम इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of Salem Steel Plant	78
530.	बीज उर्वरक तथा पौधों की रक्षा सम्बन्धी सामग्री के वितरण की योजना	Scheme for distribution of seeds fertilisers and Plant protection materials ...	79
531.	छड़ो, सलाखों और टारस्टील के मूल्य	Prices of Bars, Rods and Torsteel ...	80
532.	इस्पात के मूल्य में वृद्धि	Rise in prices of Steel	81
533.	बेलाडिला में एक इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of a Steel Plant at Bailadilla ...	81
534.	बेरोजगार डाक्टर	Unemployed Doctors	82
535.	शिक्षित बेरोजगार	Educated unemployed ...	82
536.	त्रिपुरा में बंगला देश के शरणार्थी	Bangla Desh Refugess in Tripura ...	84
537	कलकत्ता स्थित भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय- श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers in Office of Food Corporation of India, Calcutta	84
538,	मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को घाटा	Loss incurred by the Mysore Iron and Steel Limited	85
539.	आर ऐस 09 ट्रैक्टरों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण मुआवजे की मांग	Demand for Compensation due to Defective RS 09 Tractors Purchased ...	86
540.	वेतनों का स्थिरीकरण	Workers' Wage Freeze ...	86

अ.ता.प्र. संख्या/ U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
541.	संविद श्रमिक पद्धति का समाप्त किया जाना	Abolition of Contract System of Labour ...	86
542.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारीयौं द्वारा हड़ताल	Strike by Employees Provident Fund Organisation Workers ...	87
543.	कर्मचारी राज्य बीमानिगम का अध्यक्षपद	Chairmanship of Employees State Insurance Corporation ...	88
544.	नये इस्पात कारखानों की स्थापना	Setting up of New Steel Plants ...	89
545.	अन्दाल, पश्चिम बंगाल के निकट की कोयला खानों में कार्य की शर्तें	Working Conditions of Collieries near Andal, West Bengal ...	90
547.	उपभोक्ता सहकारी भंडारों को होने वाली हानि को रोकने के लिए उपाय	Steps to check losses suffered by Consumers Cooperatives ...	90
548.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन	Amendment of Employees Provident Fund Act	91
549.	बिहार सरकार द्वारा चीनी मिलों को धमकी	Threat by Bihar Government to Sugar Mills	92
550.	चावल की वसूली के लक्ष्य तथा राज्यों को उनकी सप्लाई	Procurement Target and supply Rice to States	93
551.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में निर्धारित क्षमता तथा इस्पात का वास्तविक उत्पादन	Rated Capacity and actual production of Steel in Public Sector Steel Plants	94
552.	भिलाई में ऊष्मसह परियोजना की स्थापना	Setting up of a Refractory Project at Bhilai	95
553.	स्टेनलेस स्टील से बनी वस्तुओं के मूल्य	Prices of Stainless Steel Goods	95
554.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से नारियल उद्योग के लिये वित्तीय सहायता	Financial Aid from United Nations Development Programme for Coconut	96
555.	कृषि तथा परिस्थिति विज्ञान में अनुसंधान के लिये अमरीका से अनुदान	Grants from USA for Research in Agriculture and Ecology	96
556.	जमूरिया, आसनसोल, स्थित ईस्ट बाराबोनी कोयला खान का बन्द होना	Closure of East Baraboni Colliery Jamuria, Asansol	97
557.	इस्पात संयंत्रों को कोयले की सप्लाई	Supply of coal to New Steel Plants ...	97
558.	भारतीय खाद्य निगम के किस्म निरिक्षकों का राजस्थान में बाजरे के मूल्यों में गिरावट के लिये उत्तरदायित्व	Responsibility of Quality Inspectors of Food Corporation of India for fall in price of Bajra in Rajasthan	98
559.	पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के आगमन को देखते हुए खाद्यान्नों के भंडारों का मूल्यांकन करना	Assessment of stock of foodgrains Keeping in view the Influx of Refugees from East Pakistan	99
560.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की क्षमता के उपयोग की कमी	Fall in capacity utilization in Durgapur Steel Plant ...	99

अ.ता.प्र. संख्या/ U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
561.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों तथा भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची का कार्य	Working of Public Sector Steel Plants and Heavy Engineering Corporation Ranchi	100
562.	खाद्यान्नों को चढ़ाना उतारना और उन की वसूली	Procurement and Handling of Foodgrains	10(
563.	रुई, पटसन और तिलहन की फसलों के लिये सघन खेती कार्यक्रम	Intensive Cultivation Programme for raising Yield of Cotton Jute and Oilseeds	102
564.	कृष्य उत्पादों की उत्पादन लागत की जानकारी के लिए किये गये सर्वेक्षण	Survey conducted to ascertain the Cost of Production of Agricultural Products ...	102
565.	पूर्णिया (बिहार) जिले में बसे पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी	East Pakistan Refugees settled in Purnea (Bihar) ...	103
566.	कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय, आसनसोल	Coal Mines Provident Fund Office, Asansol ...	104
567.	भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Bhilai Steel Plant ...	105
568.	कोयला खानों में मजूरी की अदायगी न करना	Non payment of Wages in Coal ...	106
569.	बम्बई कस्टम हाउस के एजेन्टों की श्रमिक पूल योजना	Bombay Custom House Agents Labour Pool Scheme	107
570.	आर. एस. 09 ट्रैक्टर के नमूने की जांच करने के लिए समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee to Test Prototype RS-09 Tractor ...	107
571.	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कालीन निधि से डेरी उद्योग के लिये सहायता	Assistance from United Nations International Children's Emergency Fund for Dairy Industry	108
572.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात की अनुमानिक मांग	Estimated demand for Steel during the 4th Plan	109
573.	आर. एस. 09 ट्रैक्टर के निर्माण के लिये मैं० इण्डियन एग्रो मशीनस् को दिये गये लाईसेंस का रद्द किया जाना	Cancellation of Licence of M/S Indian Agro Machines for manufacture of RS-09 Tractors...	109
574.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में ट्रैक्टरों की मांग	Demand of Tractors at the end of Fourth Five Year Plan ...	110
575.	इस्पात कारखानों में इस्पात का उत्पादन	Production of Steel in Steel Plants	111
576.	औद्योगिक सम्बन्ध आयोग	Industrial Relations Commission ...	112
577.	खेतों पर दवाईयाँ छिड़कने वाले वायुयानों के लिए विश्व बैंक से ऋण	World Bank loan for purchase of Agricultural Spraying Aircraft	112
578.	सहकारी आन्दोलन को लोकप्रिय बनाना	Populaisation of Cooprative Movement	113
579.	श्रमिक संघ संगठनो की सदस्य संख्या	Membership of Trade Union Organisation ...	113

अ.ता.प्र. संख्या/ U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Page
580.	बेरोजगारों की संख्या का निर्धारण	Assessment of Unemployment Position ...	114
581.	इस्पात के आयात और निर्यात मूल्य	Import and Export Prices of Steel ...	115
582.	पश्चिम बंगाल में अनाज का उत्पादन, वसूली तथा उसके मूल्य	Production, procurement and price of cereals in West Bengal	116
583.	खेतीहर और भूमिहीन श्रमिकों को ऋण देने हेतु राज्य सहकारिता अधिनियम में संशोधन	Amendments of State Cooperative Acts to provide Loans for Agricultural and Landless Labourers	117
584.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के मुसलमान कर्मचारियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Muslim Employees of Heavy Engineering Corporation, Ranchi	118
585.	चीनी का उत्पादन तथा उसकी माँग और गन्ना उत्पादकों को अदायगी	Production and demand of sugar and payment of dues to cane growers ...	118
586.	पूर्व पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की समस्या का समाधान करने के लिए विशेष ऐजेन्सी की स्थापना	Creation of special agency to tackle East Bengal Refugees problem	119
587.	पश्चिम बंगाल को अतिरिक्त अनाज की सप्लाई	Additional supply of Foodgrains to West Bengal	119
588.	चूहों द्वारा खाद्यान्न की क्षति	Damage of Foodgrains by Rats	120
589.	चीनी मिलों की ओर गन्ने के मूल्य की बकाया राशि	Arrears of Sugarcane price outstanding against Sugar Mills ...	121
590.	कृषि साधनों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of Agricultural inputs ...	121
591.	किसानों को गेहूं का उचित मूल्य	Reasonable price of Wheat to Farmers	122
592.	चावल की वसूली	Procurement of Rice	122
593.	कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Recommendations of coal wage board ...	123
594.	कोयला खनन उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendations of Wage Board for Coal Mining Industry	124
595.	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति	Displaced Persons in Tripura ...	124
596.	त्रिपुरा में भूमिहीन कृषि श्रमिकों का पुनः बसाया जाना	Resettlement of Landless Agricultural Labour in Tripura ...	125
597.	त्रिपुरा को खाद्यान्न की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Tripura ...	125
598.	राजस्थान में अकाल राहत कार्यों का पूरा किया जाना	Completion of Famine Relief Works in Rajasthan ...	126
599.	कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check fall in price of Agricultural Products	126
600.	पश्चिम बंगाल में अनाज के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of Foodgrains in West Bengal ...	127
601.	मालिकों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की बकाया राशि	Arrears of Employees Provident Fund contributions with Employees	128

अ.ता.प्र. संख्या/ U.S.Q, No.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
602.	हैदराबाद में अंगूर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	Establishment of Grape Research Station at Hyderabad ...	129
604.	दक्षिणी राज्यों में इस्पात संयंत्रों का खोला जाना	Setting up of Steel Plants in Southern States ...	129
605.	उड़िसा में बारानी खेती हेतु केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for dry Farming in Orissa ...	130
606.	रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की क्षमता	Capacity of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi	131
607.	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को रोजगार देना	Employment to East Pak. Refugee ...	132
608.	वर्ष 1969-71 के दौरान मध्य प्रदेश में गेहूं, चावल तथा कपास की पैदावार	Production of wheat, Rice and Cotton in Madhya Pradesh during 1969-71	132
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	133—137
	पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई भारी गोलबारी	Pakistani Military shelling on the Eastern Border	133—137
	श्री मुख्तार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik	133-34
	श्रीकृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	133—137
	नियम 377 के अन्तर्गत सूचना और ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में	Re. Notice under Rule 377 and Re. Calling Attention	137-38
	मंत्रियों के पदनामों के सम्बन्ध में अधिसूचना के बारे में	Re. Notification on Designation of Ministers	138
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	138—140
	समितियों के लिये निर्वाचन	Election to Committees	140-41
	(एक) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़	(i) Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh ...	140
	(दो) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान	(ii) All India Institute of Medical Sciences	140-41
	राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक सदस्य के आचारण सम्बन्धी समिति	Committee on the Conduct of a Member during President's Address	141-42
	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report	141-42
	रेलवे बजट, 1971-72-सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1971-72 General Discussion	142—159
	श्री राम नारायण शर्मा	Shri R. N. Sharma	142-43
	श्री ए० पी० शर्मा	Shri A. P. Sharma	143-44
	श्री कल्याणसुन्दरम	Shri Kalyanasundram	144—147

Pages

डा० गोबिन्द दास	Dr. Govind Das	147
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	147—149
श्री किरुतिनन	Shri Kiruttinan	149-50
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	150-51
श्री ओंकार लाल बैरवा	Shri Onkar Lal Berwa ...	151-52
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	152—154
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi	154-55
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	155-56
श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh	156-57
श्री के० जी० देशमुख	Shri K. G. Deshmukh	157
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	157-58
श्री शम्भू नाथ	Shri Shambhu Nath	158-59
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	159

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 27 मई, 1971/6 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

Thursday, May 27, 1971/Jyaistha 6, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

मंत्रियों के पदनामों और मंत्रालयों के नामों के सम्बन्ध में
Re : Designat'on of Ministers and Ministries

अध्यक्ष महोदय : श्री भौरा ।

श्री भान सिंह भौरा : 91 ।

Dr. Govind Das : Mr. Speaker, Sir, before you proceed with to-day's business, I would like to know the reasons for which the change in respect of designations of Ministers and Ministeries has been made in Lok Sabha in view of the resentment shown by the D.M.K. members while the notification issued by the President has not been amended. I strongly oppose this. Not only Hindi-speaking people but the people who love their nation and the national language are much agitated over this. The names like 'Rashtrapati', 'Lok Sabha', 'Rajya Sabha,' 'Sansad' are being used in a manner the Government likes to use them. I request that the proposed change may not be made.

Some hon. Members---*rose*

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, I also want a clarification.

Mr. Speaker : It will be taken up later on.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Since this matter has been raised, may I know whether this change or amendment has been made by you or the Government ?

Mr. Speaker : As they said . . .

Shri Atal Bihari Vajpayee : Who said ?

अध्यक्ष महोदय : Their meeting has taken place . . . .

Shri Atal Bihari Vajpayee : This decision was not taken at the meeting, it is wrong . , . . Please listen to me. We did not demand the word "Prime Minister" to be written as "Pradhan Mantri". The Government itself issued a notification of this

Presidential order through the President and change has been made in Lok Sabha accordingly. The leaders of the D.M,K. objected to it. The Prime Minister called a meeting and it was decided at that meeting that the situation at that time will cont'nue and a Committee will look into the legal complexities of the situation. But it is an astonishing matter that in the meanwhile the Government made a change and that change too could not satisfy the leaders of the D.M.K. How this change can be made unless the Presidential order is revoked ? I am raising a Constitutional point—the Government if willing, can withdraw the Presidential order but the amendment made inspite of standing that order is illegal and that should not have been implemented at least in Lok Sabha.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि बैठक में हुये करार पर ही यहाँ चर्चा करनी है तो मुझे कुछ कहना है क्योंकि श्री वाजपेयी ठीक नहीं कह रहे हैं... (**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य—खड़े हुए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जटिलतायें पैदा की जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं संगत जानकारी एकत्र करूंगा... (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे स्पष्ट होने दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को उठाने के लिये प्रश्न-काल उचित समय नहीं है।

Shri Ram Deo Singh : Mr. Speaker, Sir, it is correct but if there is no time for this question. Proper time should be allotted so that every member can express his viewes on this point. When the Presidential order stands, why this change has been made ?

Mr. Speaker : It will be discussed later on.

प्रश्नों के मौखिक उतर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खाद्यान्नों के समान मूल्य

+

***91. श्री भान सिंह भौरा :**

श्री आर० वी० बड़े :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग चाहता था कि खाद्यान्नों, विशेष रूप में गेहूं के एक समान मूल्य होने चाहिएं; और

(ख) क्या सरकार मुख्य मंत्रियों से परामर्श करने के पश्चात् ही मूल्यों की घोषणा करेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि मूल्य आयोग ने 1971-72 विपणन मौसम के लिए देशी लाल गेहूं के लिए 68.00 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं की अन्य सभी किस्मों के लिए 74.00 रुपये प्रति क्विंटल के समान मूल्य की सिफारिश की थी।

(ख) मुख्य मंत्रियों के विचार जानने के बाद सरकार ने देशी लाल गेहूं को छोड़कर गेहूं की सभी किस्मों का अधिप्राप्ति मूल्य 76.00 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया है। देशी लाल गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 71.00 रुपये और 74.00 रुपये के बीच निर्धारित किया गया है। अधिकांश राज्य सरकारें अधिप्राप्ति मूल्यों को कम करने के पक्ष मे नहीं थीं जैसाकि कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की थी।

श्री भान सिंह भौरा : क्या सरकार ने बड़े भू-स्वामियों और जमींदारों के दबाव में आकर कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को रद्द कर दिया था। यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों और किस आधार पर सरकार ने गेहूं के मूल्य में कमी करने के सम्बन्ध में उक्त आयोग की सिफारिशों को रद्द किया था ? सरकार ने उक्त सिफारिश को क्यों नहीं माना ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिंदे : माननीय सदस्य द्वारा लगाया गया आक्षेप सही नहीं है ? सामान्य प्रक्रिया यह है कि कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् हम मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस पर चर्चा करते हैं और मुख्य मंत्रियों की सलाह से कोई मूल्य सुझाया जाता है। इस बार मुख्य मंत्रियों में काफी बहस हुई और फिर एकमत से तय किया गया कि जो मूल्य गत वर्ष किसानों को चुकाया जा रहा था, वही मूल्य कायम रखा जाये। कृषि आयोग ने केवल 2 रुपये की मामूली कमी करने का सुझाव दिया था। जिसे मुख्य मंत्रियों ने स्वीकार नहीं किया। इसे किसी दबाव में आकर नहीं किया गया था क्योंकि मुख्य मंत्रियों ने यह तर्क दिया था कि उत्पादन लागत भी बढ़ गई है और चूंकि अभी हमें आत्म-निर्भर होना है अतः यह उत्पादन और राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था के हित में नहीं होगा। इसलिये गत वर्ष जो अधिप्राप्ति मूल्य था उसे ही कायम रखा जाये।

Shri R. V. Bade : Not only red wheat but two three other varieties of wheat is produced in Madhya Pradesh. The Government of Madhya Pradesh recommended the prices of Rs. 80/- per quintal for the best, Rs. 76/- for the medium and Rs. 70/- for coarse grain. May I know the decision taken by Government in this regard ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : अन्य खाद्यान्नों की तरह गेहूं की भी बहुत सी किस्में हैं। बढ़िया किस्म के गेहूं का हमने कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया है। वह 76 रुपये प्रति क्विटल के भाव पड़ता है जो काफी ऊंची कीमत है और किसान उसे 76 रुपये से अधिक कीमत पर बेच नहीं सकता है। इसके अलावा लाल गेहूं की जो कीमत रखी गई है वह 71 रुपये और 74 रुपये के बीच की है।

Shri R. V. Bade : Mr Speaker, Sir, my question has not been answered properly, Has the hon. Minister kept in mind the consumer's interest or not ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : उपभोक्ता के हित का बहुत ध्यान रखा गया है। हम 76 रुपये के भाव से खरीद कर पूरे देश में 78 रुपये के भाव से बेचते हैं। हमारा लागत मूल्य बहुत अधिक है। यदि हम मंडी और माल भाड़े आदि के खर्चे को देखें तो वह 94 रुपये के भाव पड़ता है। परन्तु हम उसी गेहूं को 78 रुपये के भाव बेचते हैं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्या कृषि मूल्य आयोग ने खाद्यान्नों के एक समान मूल्य का सुझाव देते समय चावल के लिए किसी समान मूल्य का सुझाव दिया था. यदि हां, तो

क्या मूल्य निर्धारित किया गया ?

श्री अण्णा साहिब पी०शिन्दे : यह गेहूं के सम्बन्ध में है । हमें कृषि मूल्य आयोग की ओर से खरीफ खाद्यान्नों के बारे में, जिसमें चावल भी शामिल हैं, अलग अलग प्रतिवेदन मिलते हैं । उस पर भी मुख्य मन्त्रियों के साथ चर्चा की जाती है । उक्त आयोग की सिफारिशों और मुख्य मन्त्रियों की सलाह के आधार पर निर्धारित किये गये चावल का मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण मैं सभा-पटल पर रख सकता हूं ।

श्री आर० वी स्वामीनाथन् : क्या आपको चावल के बारे में कोई ज्ञान नहीं है ।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मुझे ज्ञान है । परन्तु विस्तृत ढांचा एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है । यह 74 रुपये प्रति क्विन्टल से 90 रुपये प्रति क्विन्टल तक है । एक समान नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि उत्पादन लागत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हैं ? इस सम्बन्ध में आयोग समूचे देश के लिए खाद्यान्नों का समान मूल्य कैसे निर्धारित कर सका ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह राष्ट्रीय खाद्य अर्थव्यवस्था के हित में होता है कि मूल्य ढाँचे के सम्बन्ध में कोई विस्तृत ढंग, एक समान ढंग प्रतिपादित किया जाये ताकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की पूर्णतया रक्षा की जा सके । इस समस्या का एक दीर्घावधि पहलू भी है जिस पर विचार करना है । भूमि के प्रयोग और फसल के ढंग को ध्यान में रखते हुए यह वाँछनीय है कि उस फसल को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिससे किसान को अधिकतम आय होती है । स्वाभाविक ही है कि भविष्य में मूल्य के इस विस्तृत और एक समान ढंग से भूमि के उचित उत्पादन और फसल के ढंग को सहायता मिलेगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बढ़ते हुये मूल्यों से पश्चिम बंगाल में हम सभी चिंतित हैं । आज देश में अत्यावश्यक खाद्यान्नों के मूल्य के मामले में जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्नता विद्यमान है उसे कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह 'अधिप्राप्ति' के बारे में है......

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृषि सम्बन्धी मामलों में वह लगभग चलते-फिरते विश्वकोष हैं...

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मेरे लिये संगत होना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पश्चिम बंगाल में स्थिति चिन्ताजनक है । आज पश्चिम बंगाल में चावल की दर 3 रुपये 50 पैसे प्रति किलो है जबकि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में धान (पैड्डी) 40 रुपये प्रति क्विन्टल मिलता है । इसलिए मैंने मन्त्री महोदय से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न अधिप्राप्ति मूल्य के बारे में है । मुझ खेद है । आप बीच में ही किसी दूसरे प्रश्न के बारे में सोचते हैं ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : उत्पादन लागत बढ़ गई है । इसके उपरान्त भी वह गत वर्ष के मूल्य के बारे में बता रहे हैं । उत्पादन लागत बढ़ती है । यदि इसे उत्पादन लागत के

अनुपात से नहीं चुकाया जायेगा तो फसल (यील्ड) कम हो जायेगी। इसके लिए मन्त्री महोदय क्या स्पष्टीकरण देते हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : एक विद्वान सदस्य होने के नाते माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि उत्पादन लागत में मामूली सी वृद्धि हुई है। लेकिन उत्पादिता में भी वृद्धि हुई है। बढ़ती हुई उत्पादिता में समूची सोसाइटी का कुछ भाग है क्योंकि अनुसंधान तथा अवस्थापना में सरकारी कोष का धन लगा हुआ है जिससे सोसाइटी की ओर से भी उत्पादन तथा अंशदान में वृद्धि होती है। बढ़ती हुई उत्पादिता के परिणामस्वरूप सोसाइटी को अपना भाग लेने का हक है।

श्रम नीति निर्धारित करने के लिये केन्द्रीय कार्मिक संगठनों की बैठक

+

*** 92. श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समस्त केन्द्रीय कार्मिक संगठनों को श्रेयस्कर श्रम नीति-निर्धारित करने हेतु एक बैठक के लिए आमन्त्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि विचारों में कुछ मत-भेद था लेकिन जिन आवश्यक समस्याओं के हल की माँग थी, उनके बारे में लगभग सर्वसम्मति थी और उन बातों के सम्बन्ध में भी बड़ी सीमा तक समझौता हो गया, जिनका हल निकाला जा सकता था।

Shri Bhogendra Jha : The language in which the hon. Minister has given a reply is not clear to the House, may be it is clear for him. One of the factors for bad labour-relations, strike and resentment in labourers is that there are certain labour organisations. Which have got no hold on the labourers and these organisations do not present the case of labourers properly to owners in the Public and Private Sector undertakings and as a result of that strikes take place . . . . **(Interruptions)**

Therefore may I know whether the Government is going to enforce the rule of secret ballot for recognising the unions of labour organisations ?

Secondly, may I know whether there would be any representation of the labourers in the management committees and whether the hon. Minister thiks it possible to enforce it in Public Sector Undertakings ? During the last elections many assurances were given to the labourclass but they are not being fulfilled. Some of the mills are likely to be handed over to the millionaires and only yesterday sugar has been decontrolled. Such activities are taking place. In this situation the representatives of the labourers must compulsorily be taken in the managements Committees in the Public Sector Undertakings without any exception. In the Government prepared to follow this policy or not ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किये हैं। पहला मजदूर संघों को मान्यता देने के बारे में है। उन्हें भली भाँति विदित ही है कि

मजदूर संघ के नेताओं का सम्मेलन मजदूर संघों को मान्यता देने और उनके द्वारा मध्यस्थता कराने के लिये सामान्य दृष्टिकोण अपनाये जाने हेतु बुलाया गया था। इस बात पर विचारों में काफी मतभेद था कि मतदान से मजदूर संघों को मान्यता दी जाये अथवा इसे सत्यापन की वर्तमान प्रणाली से किया जाये। सब सम्बन्धित पक्षों से स्पष्टीकरण मांगने हेतु श्रमिक नेता आपस में इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे आशा है कि वे किसी सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचेंगे। इससे पहले कि हम त्रिपक्षीय बैठक में अन्तिम निर्णय लें, यदि हमें मतैक्य मिलता है तो जिस विषय पर सरकार को अन्ततोगत्वा निर्णय लेना है उसके आधार पर सर्वसम्मति संभव है।

प्रबन्धक समिति के सम्बन्ध में मेरे विचार से माननीय सदस्य ने प्रबन्ध का उल्लेख किया है। सरकार ने प्रतिरक्षा जैसे कुछ अत्यधिक महत्व के उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों में मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने का निर्णय किया है......

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे रक्षा मंत्री श्री जगजीवनराम से एक पत्र मिला है। मुझे पता नहीं कि माननीय सदस्य यह कैसे कह रहे हैं......

श्री आर० के० खाडिलकर : प्रश्न केवल यही है कि मान्यता किस प्रकार दी जाये। जहाँ तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में एक सांविधिक उपबन्ध है और कार्यवाही की जा रही है। अन्य स्थानों पर भी मान्यता देने के बारे में हमें और अधिक विचार करना पड़ेगा क्योंकि मजदूर संघ को मान्यता देने का प्रश्न प्रबन्धक बोर्ड में काम करने के लिए मजदूर संघ के कुछ प्रतिनिधियों की नियुक्ति तथा मध्यस्थता कराने वाले व्यक्तियों से परस्पर सम्बद्ध है परन्तु यह काम किया जा रहा है।

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, Sir, there is a question related to it. The Government had announced that the strikes would be banned till the time the prices are rising and we were just discussing the price rise. So in this context will the hon. Minister announce the proposals of the Government not to impose legal ban on the strikes in view of the present situation ? Recently ten thousand Railway workers went on a 35 day strike at Barauni and on the appeal made to them by the Minister of Labohr, they ended their strike. In this regard the hon. Minister assured the workers that they would not be oppresed but the hon. Minister has received information that large scale oppression like break-in-service and arrests are taking place there......

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विशेष मामले के बारे में सही जानकारी मांग रहे हैं। परन्तु प्रश्न सामान्य स्वरूप का है। मुख्य प्रश्न श्रम नीति निर्धारित करने के बारे में है......

Shri Bhogandra Jha : I would like to remind the Government that if the words are not kept then what will be their value.

Mr. Speaker : You had put a general question.

Shri Bhogendra Jha : It should be seen how words are kept. To-day people are saying about Mrs. Indira Gandhi that the promises made during the elections will have to be fulfilled. Is the Government going to fulfill the open annoumcement made at Barauni ?

Mr. Speaker : Please put a separate question about Barauni. आपको बरौनी के बारे में अलग प्रश्न पूछना चाहिये तथा इस सामान्य प्रश्न के साथ उसे मिलाना नहीं चाहिये।

यदि मंत्री महोदय उत्तर देने को उत्सुक हैं और माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिये, तो फिर अध्यक्ष क्या कर सकता है ?

श्री आर०के० खाडिलकर : प्रश्न का पहला भाग हड़तालों पर नियंत्रण के बारे में है। कानूनी नियंत्रण लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, परन्तु ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं कि हड़तालें न हों क्योंकि हम कम से कम कुछ और वर्षों तक हड़तालों से मुक्त अर्थ-व्यवस्था लाना चाहते हैं।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मेरा यह कहना है कि यद्यपि यह संगत नहीं है जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया है, माननीय सदस्य बाद में मुझ से सम्पर्क स्थापित करें।

श्री निहार लास्कर : औद्योगिक विवादों में राजनीति के हस्तक्षेप ने औद्योगिक सम्बन्धों के वातावरण को दूषित कर दिया है ! क्या चर्चा के दौरान यह विषय उत्पन्न हुआ था और यदि हां, तो क्या औद्योगिक सम्बन्धों में राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध कोई निर्णय लिया गया ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मजदूर संघ के क्षेत्र से राजनीति को बिल्कुल हटाया जाना बहुत कठिन है। साथ ही इस बारे में इस बात को देखने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं कि अन्तिम विश्लेषण में मजदूर संघों को जो कार्यवाही करनी है उसके बीच राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। अतः, यद्यपि फूट है तथापि मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि प्रभावी एकता के लिये प्रयास किया गया है और जहाँ तक संभव है, मजदूर संघों के मतभेद को कम करने और चाहे कैसे भी उनके राजनीतिक सम्बन्ध हों, सामान्य उद्देश्य के लिये सब मजदूर संघों को साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या 'एक उद्योग में एक मजदूर संघ, विषय पर चर्चा कर ली गई थी और यदि हाँ तो कौन कौन से मत व्यक्त किये गये ?

श्री आर० के० खाडिलकर : एक उद्योग और एक मजदूर संघ अत्यधिक वांछनीय विषय हैं परन्तु वर्तमान स्थिति में यह व्यावहारिक नहीं है क्योंकि हालात उसके पक्ष में नहीं है, विभिन्न मजदूर संघों के कारण, जो कि अन्ततः श्रमिकों के हितों के प्रति हानिप्रद साबित होते हैं, श्रमिकों में विभाजन और फूट पड़ जाती है। अतः यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रभाशाली मजदूर संघ छोटे मजदूर संघों के साथ सहयोग करें ताकि बातचीत के समय उनके विचारों में समानता आ सके।

Shri Hukam Chand Kachwai: While answering the main question--'Meeting of Central Trade Union Organisations to evolve labour Policy'—the hon. Minister stated that the Conference had arrived at certain decisions and no decision had been taken on certain matters because they involved some objections. Therefore, may I know the matters which have been decided and the matters which have not been decided ?

Secondly, may I know whether any discussion took place in the Conference about Public Secter, Private Secter and semi-Government industries which are led to closure due to their poor economic conditions and whether it was also discussed that the ownership of such industries would be handed over to the workers working in such industries which are at the verge of closures so that they may function properly ? Has it also been considered that the retrenchment of workers, which takes place due to mechanisation of industries, will not be made ?

श्री आर० के० खाडिलकर : सम्मेलन के पहले प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कागजों से ज्ञात किया होगा कि मध्यस्थता करने वाले एजेन्ट के चयन के सम्बन्ध में प्रमुख निर्णय तो ले लिया गया था परन्तु अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। जब तक इस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जायेगा तब तक आगे की प्रगति संभव नहीं है। मजदूर संघ के नेताओं द्वारा प्रगट किये गये वाद-विवाद के रुख, अन्तिम निर्णयों और उत्तर के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मध्यस्थता करने वाले एजेन्ट के सम्बन्ध में हम एक ऐसा निर्णय लेंगे जो सब सम्बन्धित लोगों को मान्य होगा। उस समस्या का उसी से अन्त होगा। उद्योगों के बन्द होने तथा अन्य मामलों के बारे में मैं उल्लेख कर चुका हूं। बहुत से उद्योग बंद हुये हैं परन्तु ये सदा मजदूर संघों अथवा श्रमिकों के दोषों के कारण नहीं हुये अपितु जालसाजी और अन्य बातों के कारण हुये हैं। हम उस प्रश्न की जाँच कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : I also asked from the hon. Minister whether the Government was considering to hand over such industries which have to be closed down due to their poor economic conditions to the workers working in those industries to be run by them properly ? Has it also been considered to stop retrenchment of the workers which occurs owing to the industrial mechanisation ?

श्री आर०के० खाडिलकर : कुछ उद्योग बंद होते रहते हैं परन्तु सूती कपड़ा उद्योग मिलों में से जो मिलें बंद पड़ी हैं उन्हें अपने हाथ में लेने के लिये कार्यवाही की गई है। श्रमिकों द्वारा उन्हें ठीक से चलाये जाने के लिये उन्हें सौंपे जाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री एस०एम० बनर्जी : इस महीने की 20 तारीख को जब सम्मेलन हो रहा था उस समय सभी मजदूर संघ केन्द्रों और विभिन्न फेडरेशनों ने हस्ताक्षर करके एक घोषणा-पत्र मंत्री महोदय को सौंपा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मजूरी स्थिरिकरण (वेज फ्रीज) और हड़ताल पर नियन्त्रण नहीं होना चाहिये और इन दोनों बातों को यदि सरकार स्वीकार नहीं करेगी तो मजदूर संघ सहयोग नहीं देंगे। क्या सरकार ने मजूरी स्थिरिकरण न करने अथवा हड़ताल पर नियन्त्रण न लगाने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

श्री आर०के० खाडिलकर : मैंने वह घोषणा-पत्र देखा है और माननीय सदस्य भी उसके हस्ताक्षरकर्त्ताओं में हैं। वह घोषणा-पत्र एक प्रकार का शोध-पत्र है जिसमें हमारी अर्थ-व्यवस्था का चित्रण किया गया है परन्तु हम कुछ सामाजिक-आर्थिक रूप से कार्य कर रहे हैं और प्रजातान्त्रिक प्रणालियों से आबद्ध हैं तथा इस की कुछ सीमायें हैं। मैं उस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ। मजूरी स्थिरिकरण और हड़ताल पर नियन्त्रण लगाने के प्रश्न को किसी ने बिल्कुल उठाया ही नहीं है। न तो मजूरी स्थिरिकरण करने का कहीं उल्लेख किया गया है और न ही हड़तालों पर रोक लगाने का; हम तो यह चाहते हैं कि कोई हड़ताल न हो और मजूरी को उत्पादिता के साथ जोड़ दिया जाये। वही हमारा प्रयास है।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत समझौते और मध्यस्थता की विद्यमान व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय किया है और यदि हाँ, तो क्या सरकार इसे लागू करने हेतु नया कानून बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री आर०के० खाडिलकर : इस प्रश्न पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। सामूहिक मध्यस्थता और समझौते के सम्बन्ध में सामान्य आधार पर थोड़ी सी बात हुई थी परन्तु अन्तर

का मुख्य प्रश्न यह है कि फैसला कराने की क्या व्यवस्था होनी चाहिये। इस बात पर मतैक्य नहीं था परन्तु एक प्रश्न पर अन्ततोगत्वा सामान्य आधार पर थोड़ी सी बात तय की गई थी कि विवादों को निपटाने के लिये हम कोई व्यवस्था करें और ऐसी स्थिति में सरकार अपनी हैसियत न छोड़े।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि मजदूर संघों को मान्यता देने और उनके लिये मध्यस्थता करने वाले के सम्बन्ध में सरकार सर्व-सम्मति मिलने के बाद ही अन्तिम निर्णय लेगी और इसी बीच वर्तमान पद्धति चलती रहेगी। वर्तमान पद्धति क्या है और सरकार ने इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में, जिसमें मंत्री महोदय ने भी भाग लिया था, श्रमिकों के प्रतिनिधित्व भेजने से पूर्व क्या कार्यवाही की थी ?

श्री आर०के० खाडिलकर . वर्तमान व्यवस्था में मजदूर संघों के प्रतिनिधि हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : प्रतिनिधियों के स्वरूप के निर्धारण की क्या व्यवस्था है ?

श्री आर०के० खाडिलकर : इसके लिये सत्यापन की व्यवस्था है। वर्ष 1968 में, यदि मुझ से भूल न हो, सत्यापन किया गया था और चालू वर्ष में हम दूसरा सत्यापन करेंगे। प्रतिनिधियों के स्वरूप को निर्धारित करने के लिये सत्यापन किया जायेगा। मैं जानता हूं......(**व्यावधान**)... मजदूर संघ के नेता इसे भली भांति जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब आप प्रश्न पूछें तो जितना अधिक संक्षेप में पूछना संभव हो उतना ही अधिक संक्षेप में पूछें। यदि आप चाहें तो प्रश्न को पिछले भागों से जोड़ा जा सकता है, परन्तु प्रश्न एक होना चाहिये। मंत्री महोदय को भी चाहिये कि लम्बे उत्तर देना बन्द करें।

श्री आर० के० खाडिलकर : एक प्रश्न में चार प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, यदि आप लम्बे उत्तर देंगे तो आपके लिए ही यह अधिक कठिन होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं।

आसनसोल कोयला क्षेत्र में कोयला खानों का बन्द होना

***93 श्री बी० के० मोदक :**

क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत वर्ष में आसनसोल कोयला क्षेत्र में कोयला खानों के बड़े पैमाने पर बन्द किये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) वर्ष 1970 से अब तक कुल कितनी कोयला खानें बन्द कर दी गयी हैं ;

(ग) इनके बन्द हो जाने के फलस्वरूप कुल कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये ; और

(घ) इन खानों को पुनः खोलने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :

(क) और (ख): आसनसोल कोयला क्षेत्र में लगभग 200 कोयला-खानों में से 15

कोयला-खानों के बन्द किए जाने कि ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ग) लगभग 8000।

(घ) 15 कोयला खानों में से 5 कोयला खानों को केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क तंत्र के अधिकारियों द्वारा किए गए प्रत्ययकारी प्रयासों के फलस्वरूप और एक को द्विपपक्षीय समझौते द्वारा पुनः खुलवाया गया।

बी० के० मोदक : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे स्पष्ट है कि आसनसोल कोयला क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में कोयला खानें बन्द हो गयीं हैं। इन कोयला खानों के बन्द हो जाने के क्या कारण हैं तथा अभी भी बन्द पड़ी हुई कोयला खानों में फिर से कार्य आरम्भ कराने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : 200 कोयला खानों में से 15 खानें बन्द हो गयीं थी और इन 15 में से भी पांच फिर से चालू हो गयीं हैं। इनके बन्द होने के बहुत से कारण हैं। खुदाई सम्बन्धी गम्भीर कठिनाईयां, वित्तीय हानियाँ, खानों में कोयला निःशेष न रहना आदि। इन परिस्थियों के अन्तर्गत बन्द कोयला खानों को चालू करने के लिये उन्हें विवश नहीं किया जा सकता। इन खानों को चलाया जा सकता है अथवा नहीं, इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु उन्हें हम विवश नहीं कर सकते।

श्री० बी० के० मोदक : सरकार ने यह देखने के लिये कि प्रबन्धक खानिकों को उचित मुआवजा अथवा छंटनी लाभ दें क्या कार्यवाही की है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि यदि किसी मजदूर ने अधिनियम की उपधारा 2 के अन्तर्गत एक उपक्रम में वर्ष से अधिक कार्य किया है तो उसे अधिनियम की धारा 25 (च) के अनुसार नोटिस दिये जाने तक मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है। यदि किसी मजदूर की छंटनी धारा 25(च) के अन्तर्गत की जाती है तो उसे एक माह का नोटिस और छंटनी शर्तों के अनुसार वेतन दिया जाएगा।

अतः जब छंटनी की जाती है तो इन धाराओं के अनुसार की जाती है जब कोयला खानें बन्द हो गयी हैं तो सरकार एक पूर्व प्रचलित शर्त के तहत प्रबन्धकों को किसी प्रकार के भुगतान के लिये विवश नहीं कर सकती।

बहुत से माननीय सदस्य उठे

श्री एस० आर० दामाणी उठे

अध्यक्ष महोदय : आपका इस मामले से क्या सम्बन्ध है।

श्री एस० आर० दामाणी : मेरा बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है।

श्री एच० के० एल० भगत : इन कोयला खानों से प्रतिवर्ष कितना कोयला निकाला जाता है और इसका देश में कोयले की सप्लाई पर किस सीमा तक बुरा प्रभाव पड़ा है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : यह मूल प्रश्न से सम्बन्द्ध नहीं है। इसके लिये दूसरा नोटिस दिया जा सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जी हां, मैंने यह बताया है कि मूल प्रश्न से यह सम्बन्धित नहीं है और इसके लिये अलग से नोटिस दिया जा सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने फिर से प्रश्न को देखा है। यह कोयला खानों के बन्द होने के विषय में है।

Shri Narendra Kumar Salve : This is to be decided by you, whether the question is relevant who is going to decide it either you or the Minister ? The question is related to the ruling as to who to going to decide ? If the question is not relevant then you dis allow that but once it is admitted by you it is not good on the part of the Minister to say that it does not arise.

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि आप भी [असंगत बात उठा रहे हैं। मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता यह मूल प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता है।

श्री एस० आर० दाभाणी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मुहानों पर बहुत अधिक कोयला एकत्र हो गया है और अब भी एकत्र हो रहा है और दूसरी ओर कारखानों को कोयला उपलब्ध न होने के कारण बहुत कठिनाई हो रही है, बहुत से उपभोक्ता उद्योगों में 2 या3 दिन के लिये कोयले का स्टाक उपलब्ध है। यदि ऐसा है तो क्या सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही कर रही; और

अध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न में ही खो गये। आप कृपया बैठ जाइये। मुझे नये सदस्यों के प्रति थोड़ा विनम्र होना पड़ता है परन्तु आप नये नहीं हैं आप सीधा प्रश्न पूछिये।

श्री एस० आर० दाभाणी : मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या यह सच नहीं है कि माल डिब्बों की कमी के कारण कोयला जमा होता जा रहा है और उद्योगों को उनकी आवश्यकतानुसार कोयला प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है और इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : माननीय सदस्य का कहना ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : यह आप दोनों के बीच तक ही सीमित है। मैं तो प्रश्न समझ नहीं पाया हूं।

श्री आर० के० खाडिलकर : क्योंकि कोयले की सप्लाई मालडिब्बों पर निर्भर है। और मालडिब्बों की बहुत अधिक कमी है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि वह अपना प्रश्न सम्बन्धित मंत्री अर्थात रेल मंत्री से पूछें। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, कोयला खानें मालडिब्बों की कमी हो जाने के कारण बन्द नहीं हुई है। मेरे साथी ने इसके कारण अभी बताये हैं। 15 कोयला खानें अन्य दूसरे कारणों से बन्द हुई हैं।

डा० रानेन सेन : जब मंत्री महोदय ने यह बताया है कि प्रबन्ध के कारण हानियां हुई हैं। जिनके परिणाम स्वरूप ये कोयला खानें बन्द हुई हैं, क्या सरकार ने कम्पनियों द्वारा दी हुई सूचना के अतिरिक्त भी इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया है। हम जानते हैं कि

बहुत सी कम्पनियाँ बोनस तक अन्य दूसरे पदों का भुगतान नहीं करती है और वे मजदूरों को वैध देय राशियों से वंचित रखने के उद्देश्य से कोयला खानों को बन्द कर देती हैं ।

श्री आर० के० खाडिलकर : सरकार ने अध्ययन किया है। मैं प्रत्येक कोयला खान के बन्द होने के कारण बता सकता हूं। परन्तु इसमें बहुत समय लग जाएगा। परन्तु मैं इतना अवश्य मानता हूं कि कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें वर्तमान दायित्वों से बचने के लिए ऐसा किया गया है ।

श्री रामनारायण शर्मा : औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(च) के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने बताया है कि खानों के कथित बन्द किया जाने को छंटनी नहीं कहा जा सकता जब कि इसे सैदव छंटनी ही माना जाता है। उन्होंने यह निष्कर्ष किस प्रकार निकाला है कि कारखानों का बन्द किया जाना मजदूरों की छंटनी नहीं है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : छंटनी के मामले में नियोक्ताओं का यह दायित्व होता हैं कि मजदूरों को पहले से नोटिस द तथा उनके वेतन का भुगतान करें। परन्तु खानों को बन्द किये जाने के मामले में, यद्यपि यह उनका दायित्व है मजदूरों को नोटिस देना कठिन कार्य है। इनमें यही भेद है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

सेला चावल की केरल को की जा रही सप्लाई में वृद्धि की मांग ।

*94. **श्री सी० जनार्दनन्** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य को की जा रही सेला चावल की सप्लाई में वृद्धि करने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासहिब पी 0 शिन्दे) : (क) और (ख) : केरल सरकार राज्य में सरकारी विवरण के लिए मोटे सेला चावल की यथा सम्भव अधिक मात्रा सप्लाई करने हेतु, समय-समय पर, मांग करती रही है । केरल को केन्द्रीय भंडार में उपलब्ध मोटे सेला चावल में से पर्याप्त मात्रा में चावल दिया जा रहा हैं, लेकिन मोटे सेला चावल और मध्यम तथा बढ़िया किस्म के सेला चावल की भी सीमित उपलब्धि होने से केरल को सेला चावल की ही सारी सप्लाई करना सम्भव नहीं है। उनकी कुछ आवश्यकताओं के प्रति कच्चे चावल की सप्लाई करना अवश्यम्भावी है ।

श्री सी० जनार्दनन : केरल के सदस्यों ने सेला चावल के प्रश्न को बार बार इस सदन में उठाया है। लोक सभा के पिछले सत्र में भी हमने यह प्रश्न उठाया था और यही उत्तर दिया गया था। जब हमें ऐसे उत्तर मिलते हैं तो केरल निवासी ऐसा सोचने के लिये विवश हो जाते हैं कि केन्द्रीय सरकार उनके प्रति उपेक्षा का व्यवहार करती है। कुछ भी हो हमने सेला चावल के सम्पूर्ण मूल्य की मांग नहीं की है। हम यही चावल खाते हैं। अब वहां वर्षाकाल आ गया है और कुछ ही दिनों में समस्त समुद्र तटीय प्रदेश पानी से भर जाएगा और यदि इन क्षेत्रों को कच्चा

चावल दिया जायगा तो वहां हैजे की बीमारी फैल जाएगी और सरकार को बीमारी रोकने के लिये बहुत अधिक धनराशि व्यय करनी पड़ेगी। इन परिस्थितियों में क्या मंत्री महोदय इस प्रश्न पर फिर से विचार करेंगे और केरल में कुछ और अधिक सेला चावल भेजेंगे।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : देश में केरल सहित चावल की सप्लाई की स्थिति ठीक है। केवल सेला चावल की सप्लाई में थोड़ी कठिनाई है। इस सम्बन्ध में भी हम ही संभव कार्यवाही कर रहे हैं। कुल उपलब्ध मोटे सेला चावल में से 27,000 टन पश्चिमी बंगाल को दिया गया है और 2,21000 टन केरल को। इस प्रकार केरल को अधिक से अधिक चावल दिया जा रहा है। अतः मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस प्रकार की शिकायत क्यों की जा रही है। देश में अन्य दूसरे प्रकार के चावल अधिक सुलभ है और केरल के गोदाम भी चावल से भरे पड़े हैं। केवल सेला चावल के लिये एक सीमा रखी गई है।

श्री सी० जनार्दनन : मेरा तात्पर्य केवल सेला चावल से है अन्य प्रकार के चावलों से नहीं। यदि इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को कोई कठिनाई है तो क्या सरकार आन्ध्रप्रदेश से भारतीय खाद्यनिगम के माध्यम से केरल को चावल सप्लाई किये जाने की बार बार उठाई जाने वाली मांग पर विचार करेगी ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : भारतीय खाद्यनिगम इस बारे में अध्ययन कर रही है। हम अपनी ओर से अधिक सहायता करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री शंकरराव सावन्त : वे कौन से क्षेत्र हैं जिन्होंने सेला चावल की मांग की है।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : केरल और पश्चिम बंगाल।

Shri Ishwar Chaudhury : Untimely rani has caused damages to wheat and gain crops of the country as a whole. Will the government ensure against rise in prices due to this reason ?

Mr. Speaker : The question is regarding kerals.

Shri Ishwar Chaudhary : The comty as a whole would he aflected from this untimely rain and kerala is also a part of India would the government ensure against any kind of price rise ?

श्री पी० आर० शिनाभ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केरल तथा मैसूर के कुछ भागों में सेला तथा दूसरे चावलों की कृत्रिम कमी को वर्तमान क्षेत्रीय व्यवस्था को भंग करके तथा सम्पूर्ण दक्षिण भारत का एक क्षेत्र बनाकर दूर नहीं किया जा सकता है।

अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मेरे विचार में यह समाधान इतना सरल नहीं है।

श्री वयालार रवि : भारतीय खाद्य निगम निर्धारित मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक मूल्य पर घटिया किस्म का चावल सप्लाई कर रहा है। यह बहुत ही घटिया किस्म का चावल है। मेरी इच्छा थी कि मैं इसे सदन में दिखाता कि यह चावल कितना घटिया है। क्या कारण है कि इतने अधिक मूल्य कर इतना खराब चावल सप्लाई किया जा रहा है। क्या सरकार इसके कारणों की जांच करेगी ? क्या यह सच नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम में अधिकारी वर्ग भ्रष्ट है और इसी कारण यह सब कुछ हो रहा है ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : केरल में चावल की कमी नहीं है। वास्तव में बाजारों में चावल आसानी से उपलब्ध हैं। यदि कुछ ऐसे विशिष्ट मामले हैं जिनमें हमारे अनुदेशों का पालन नहीं किया गया है यदि उन्हें बताया जाय, तो हम उचित कार्यवाही करेंगे। अमोला अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खाद्य निगम से कर सकते हैं परन्तु इसके लिये वे बाध्य नहीं हैं। इसके उपरान्त ऐसे अनुदेश भी दिये गये हैं कि इस प्रकार के चावल का वितरण न किया जाए।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

+
***95. श्री मुहम्द शरीफा :**

प्रो० एस० एल० सक्सेना :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई कार्यक्रम बनाया है ;और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) और (ख) चीनी उद्योग के कार्यचालन तथा विशेषतया चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में उससे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं की विस्तृत तथा व्यापक जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने 28 सितम्बर, 1970 को कलकत्ता उच्च न्यायलय के एक सेवा निवृत मुख्य न्यायाधीश की अध्क्षता में एक जांच आयोग की पहले ही नियुक्ति कर दी है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार इस मामले पर और आगे विचार करेगी।

श्री मुहम्मद शरीफ : क्या सरकार को ऐसी आशा है कि चीनी से नियंत्रण हटा देने पर, विशेषतया तमिलनाडु में जहां चीनी का बहुत बड़ा स्टाक उपलब्ध है, उसके मूल्य में कोई वृद्धि हो जायेगी ?

प्रो० शेरसिंह : प्रथम चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के विषय में है।

अध्यक्ष महोदय : इस साधारण से प्रश्न के संदर्भ में मूल्य वृद्धि का प्रश्न बहुत बड़ा है। आप अन्य कोई प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री मुहम्मद शरीफ : क्या इसके लिये नोटिस दिया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं यह प्रश्न के क्षेत्र से नही आता है। यह सगत नहा ह।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्योंकि मंत्री महोदय ने यह बताया है कि चीनी मिलों से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई हैं और जब तक आयोग या प्रतिवेदन प्राप्त नही हो जाता सरकार कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के एकमत निर्णय के पश्चात वहां के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि इस उद्योग

का राष्ट्रीयकरण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्ण अधिकार दिये जायें। इस मामले में देरी किये जाने के क्या कारण हैं; क्या मिलों के बड़े-बड़े स्वामियों के दबाव के कारण ऐसा नहीं किया जा रहा है ? केन्द्र सरकार चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में अथवा इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्ण अधिकार देने में आना कानी क्यों कर रही है।

कृषि मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): माननीय सदस्य को पता हैं कि जहां तक राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कानून बनाने का प्रश्न है इसके लिए राज्य को अथवा केन्द्र को अधिकार—इस सम्बन्ध में मतभेद है। हमें जो मत उपलब्ध हुए हैं उनके अनुसार राज्य तथा केन्द्र दोनों ही इस विषय पर कानून बना सकते हैं। हमने उत्तर प्रदेश सरकार को यह सूचना भेज दी है। जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है हम किसी एक राज्य के लिये ऐसा कानून नहीं बना सकते। हमें सभी राज्यों के बारे में विचार करना पड़ता है और जांच आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर तो ऐसा किया जा सकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय। नहीं।

श्री अनन्तराव पाटिल : क्या सहकारी चीनी कारखानों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा ?

प्रोफेसर शेरसिंह : यह आयोग से प्राप्त होने वाली सिफारशों पर निर्भर करता है।

Shri B.P. Mourya : I would like to know from the hon. Minister through you. Whether the centre would take a decision regarding nationalization of Sugar factory keeping in view of the fact that it has been a long discussed sntyect in U.P. as the factory owners do not want to invest any amount of money for repairing purpose of the machinary ? Central Government is competant to enact legislation on the matter where as U.P. Government says that they are recommending the matter to centre.

There is perpetual deteristed so for as the position of Sugar Industry in U.P. is concerned. I would like to know, whether the Government have any proposal under consideration to expand these factories as complex units so that we may get some byeproducts thereform.

Prof. Sher Singh : Mr. Speaker, Sir, I have just now said that the matter is under consideration as the decision would we taken by the Government of India. The deceision would be taken after the report of the enquiery commission is received by the Government.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, It is said that there are certain constitutional difficulties as regards nationalization of this industry is concerned. It is said that if there is nationalization it would be applicable for all the industries of the country as a whole. Nationalization of Sugar Industry is one state only would be against. The provisions of the law. I would like to know whether the Government have enquired into this matter and whether it is a fact that the U.P. Government is inclined to nationalize the indnstry but the centre is not giving green signal to state Government.

Prof. Sher Singh : Mr. Speaker, Sir, it has been made clear that the state government is competant to enact legislation on the issue, therefore, there is no legal difficultin that the Government of India can enact legislation on the issue only after the positioy in all the states has been studied.

Shri S.M. Banergee : We are studying the situation since living three years.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr, Speaker, Sir, the second part of my qnestion still remains of the repaired. I would like to know whether the Government Centre has been a sking the Government of U.P. not to nationalize the sugar industry.

Shri F.A. Ahmed : No, it is not so the Government of India has not been opposing the move.

***96. श्री मनोरंजन हाजरा :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इस्पात सामग्री की अत्यधिक कमी के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण कार्य में रूकावट पड़ रही है; और

(ख) समस्या को सुलझाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंलम) : (क) और (ख) : सामरिक महत्व के कुछ इस्पात की कमी का बोकारो इस्पात कारखाने के संरचनात्मकों के संविरचन तथा स्थापन कार्य की प्रगति पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है। ऐसी अपरिहार्य आवश्यकताओं को, जिनकी देशीय उत्पादन से समय पर पूर्ति नहीं की जा सकती, आयात द्वारा पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

श्री मनोरंजन हाजरा : हमें स्वदेशी उत्पादन भारी इंजीनियरिंग निगम मंत्री और खान तथा खनिज निगम दुर्गापुर से उपलब्ध होता है। क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन निगमों से स्वदेशी इस्पात की सप्लाई उपलब्ध नहीं हुई है और इसी कारण बोकारो इस्पात संयत्र के निर्माण में गतिरोध हुआ है।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : माननीय सदस्य का यह कहना पूर्णतया ठीक नहीं है कि इस्पात भारी इंजीनियरिंग निगम और माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन से आ रहा है। इस्पात की कमी का भारी इंजीनियरिंग निगम द्वारा बनाये जाने वाले उपकरणों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस्पात का उत्पादन देश के इस्पात संयंत्रों में होता है। परन्तु कुछ क्षेत्रों में हमारा इस्पात का उत्पादन अपर्याप्त रहा है। इस्पात की कमी का यही कारण है।

श्री मनोरंजर हाजरा : मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार इस्पात का आयात करने जा रही हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस्पात का आयात किस देश से किया जाएगा।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : हमारा विचार रूस और जापान से इस्पात आयात करने का है।

श्री त्रिदिव चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन कठिनाइयों के परिणामस्वरूप और सामरिक महत्व के क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए आवश्यक इस्पात के आयात में विलम्ब होने से बोकारो इस्पात परियोजना के पहले चरण की मूल्य सूची में और वृद्धि की जायगी।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : जी नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

भविष्य निधिनियमों के लागू होने के बारे में सर्वोच्च न्यायायय का निर्णय

***97. श्री सोमनाथ चटर्जी :**

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भविष्य निधि नियमों के लागू होने के बारे में आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अपील पर 1 अप्रैल,1971 को सर्वोच्च न्ययायालय द्वारा दिये गये निर्णय की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क). जी, हां ।

(ख) निर्णय की पेचीदगियों पर विचार किया जा रहा है ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये उपाय

***98. श्री पी० गंगादेव :**
श्री राम सहाय पांडे :
श्री सामिनाथन् :

क्या **इस्पात और** खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की कमी दूर करने के विचार से सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार किन्हीं तात्कालिक उपायों पर विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे उपाय क्या है ?

इस्पात औद खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क). जी हाँ ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० को आशा है कि यदि मालिक-मजदूर सम्बन्ध सन्तोषजनक रहे तो 1971-72 में उनके भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों का उत्पादन 1970-71 में हुए वास्तविक उत्पादन से लगभग 10 लाख टन पिण्ड अधिक होगा । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वे सभी आवश्यक उपाय कर रहे हैं । इनमें उपकरणों की उपलब्धि बढ़ाने हेतु रख-रखाव के कार्यक्रम बनाना, बड़े-बड़े पूंजीगत कार्यक्रमों को शीघ्रता से कार्यान्वित करना ताकि उत्पादन सुविधाओं के वर्तमान असन्तुलन को टीक किया जा सके, कच्चे माल, आवश्यक पुर्जों, उष्मसह रेलवे इंजन, आदि की प्राप्ति तथा प्रौद्योगिक सुधारों आदि का लागू करना शामिल है । इस उद्देश्य से प्रत्येक कारखानों के लिए एक तीन वर्षीय रोलिंग योजना बनाई जा रही है । उत्पादन दर पर कड़ी नजर रखी जा रही है और संस्थान को 1971-72 के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाया जा रहा है ।

मासिक निष्पत्ति का मूल्यांकन करने, समस्या-क्षेत्रों में प्रभावशाली ढंग से कार्य करने और विभिन्न निर्णयों को उचित ढंग से कार्यान्वित करने के लिये मंत्रालय में 'टास्क फोर्स' का गठन किया गया है

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में हड़ताल

***99. श्री राजसिंह देव :**

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छ: महीनों में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कोई हड़ताल हुई थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण थे;

(ग) हड़ताल के दौरान कितने श्रम घंटों की हानि हुई तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी आर्थिक हानि हुई; और

(घ) क्या सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

(ख) नवम्बर 1970 से अप्रैल 1971 तक, पिछले 6 महीनों में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों ने 3 आम हड़तालें कीं। 8-12-1970 को कर्मचारियों ने 24 घन्टे बंगाल बंद रखा। कुछ राजनैतिक दलों ने निम्नलिखित बातों को लेकर इस बंद के लिए आवाहन किया था :—

1. वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि।
2. पुलिस के तथाकथित अत्याचार के कारण केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का हटाना।
3. राज्य में तत्काल मध्यावधि चुनाव कराना।

22-2-1971 को अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लाक पार्टी के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री हेमन्त कुमार बोस को जिनकी 22-2-71 को कलकत्ता में छुरा मार कर हत्या कर दी गई थी, श्रद्धान्जलि अर्पित करने के लिए एक और बंगाल बंद किया गया। राज्य सरकार ने 22 फरवरी 1971 की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर दी।

पूर्वी बंगाल में दमन चक्र के विरुद्ध राज्य के राजनीतिक दलों के आवाहन पर 31-3-1971 को तीसरा बंगाल बंद किया गया। कर्मचारियों की समस्याओं, कुछ पदों को उच्च पदों में बदलने आदि की मांगों को मनवाने के लिए उपरिलिखित आम हड़तालों के अलावा मजदूरों द्वारा बिना सूचना दिए कई बार कार्य बन्द रखा गया।

अकाल वाले क्षेत्र

***100. श्री श्यामनन्दन मिश्र:**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में किन-किन राज्यों में अकाल वाले क्षेत्र घोषित किये गये हैं; और

(ख) सरकार ने उनको सहायता देने हेतु क्या कार्यावही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि 8 जिलों के 20 खण्डों के क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।

(ख) राज्य सरकार ने लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत का एक सहाहयता कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें कठिन शारीरिक कार्य योजनाएं, मुफ्त सहायता, जनस्वास्थ्य उपाय, पीने के पानी की सप्लाई, मवेशी राहत, कुओं को बिजली से चलाना और लघु सिंचाई योजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है। स्थिति का स्थल पर जायजा लेने के लिए अधिकारियों का एक केन्द्रीय दल बहुत शीघ्र राज्य का दौरा कर रहा है और दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार के केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी अनुरोध पर विचार किया जाएगा। इस बीच में राज्य सरकार को तुरन्त राहत उपायों के लिए 1·75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

केरल के मछली उद्योग के लिए वृहद योजना को कार्यान्वित करने के लिए सर्वेक्षण

***101. श्री ए० के० गोपालन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मछली उद्योग संबंधी केरल सरकार की 306 करोड़ रुपये की वृहद योजना को कार्यान्वित करने के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) :

मास्टर प्लान में ये कार्य प्रस्तावित हैं :—

555 बड़े स्टील-हुल्लड़ वैसल्स और 8100 यन्त्रीकृत नौकायें, 16 मत्स्य बन्दरगाहों का विकास, 950 मीटरी टन बर्फ प्रतिदिन एक अतिरिक्त उत्पादन के लिए क्षमता का निर्माण, 2200 मीटरी टन के शीत भण्डारण की व्यवस्था, 14 नौ निर्माण प्रांगणों की स्थापना और स्टील हुल्लड़ ट्रोलर्स के निर्माण के लिए 22 केन्द्र, 19 मरम्मत और फिर से फिट करने वाले वर्कशाप, 4 बिना तार के केन्द्र, 1 जाल बनाने का कारखाना, 6 व्यापारिक आस्तियाँ, 10 डिब्बा बकी प्लान्टस, 14 मत्स्य खाद्य प्लान्टस, 1 मैरिन डीजल कारखाना आदि को चालू किया जाना। प्लान में ये भी शामिल हैं : 4050 प्रारम्भिक सहकारी समितियों का संगठन, मछुओं के लिए लगभग 35,000 मकानों, 186 मछली मार्कीटों और 340 मछली की दुकानों की व्यवस्था है। प्लान में कुल परिव्यय 305.92 करोड़ रुपये का है।

प्लान 20 वर्ष की अवधि में पूरा होना है, अर्थात एक अवधि जो साधारणतया चार पंचवर्षीय योजनाओं की होगी। अतः प्लान के कार्यान्वयन के बारे में एक व्यौरेपूर्ण सर्वेक्षण इस समय क्रियात्मक नहीं है। तो भी यह प्लान एक लाभप्रद रूपरेखा प्रदान करता है जिसके प्रसंग में पंच वर्षीय योजना और व्यौरेपूर्ण कार्यक्रम बनाये जा सकते हैं। कार्यक्रम जो मास्टर प्लान की सूची में दिये हुए हैं राज्य में मत्स्यपालन के सर्वोपरि विकास के सम्बन्ध 2 रखते हैं और अर्थनीति के सब क्षेत्रों-सरकारी और निजी और सहकारियों, से सम्बन्धित हैं। तदनुसार यह आवश्यक है कि संसाधनों का, जिनका विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें निजी और सहकारी क्षेत्र सम्मलित हैं, जुटाने की आशा है, विशेष मूल्यांकन किया जाये जिससे कि प्लान में निरूपण, उपलब्ध होने के लायक कुल

संसाधनों के साथ प्रभावात्मक रूप से एक दूसरे से सम्बन्धित हों। राज्य सरकार को इसका पहले से ही सुझाव दे दिया गया है। राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 11 करोड़ रुपये का परिव्यय सम्मिलित करती है। राज्य सरकार के साथ परामर्श करके ये कार्यक्रम राज्य योजना के अन्तर्गत ब्यौरे सहित देख-भाल लिए हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने राज्य में बन्दरगाह बनाने के लिए, संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के लिए उत्पादन कार्य हाथ में ले लिए हैं। सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में अतिरिक्त परियोजन की आशा है। ब्यौरे-पूर्ण योजनायें केवल ऐसे कार्यक्रमों के बारे में जिनके लिये निधि निर्धारित करदी है या विकास या व्यापारिक साहसिक कार्यों में विनियोजन के लिए उपलब्ध होने की संभावना है लाभरूप से बनाई जा सकती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों का मूल्यांकन, जिसे हाथ में लेने के लिए राज्य सरकार से प्रार्थना की गई है मास्टर प्लान के द्वारा आवरित 20 वर्ष की अवधि में उत्तरोत्तर क्रमों के लिए ब्यौरेपूर्ण परियोजना को सरल बनायेगा।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

*** 102 श्री त्रिदिब चौधरी :**

क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पूर्व 9 वीं इस्पात गलाई भट्टी के चालू किये जाने के पश्चात दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में इस्पात उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है।

(ख) 9वीं इस्पात गलाई भट्टी स्थापित करने के पश्चात् संयंत्र में इस्पात उत्पादन की वर्तमान स्थापित क्षमता क्या हैं;

(ग) वर्तमान स्थापित क्षमता और इस्पात के वास्तविक उत्पादन में कितना अन्तर है; और

(घ) क्या हाल में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संयंत्र का दौरा किया और मजदूर संघों के नेताओं तथा सम्बन्धित प्रबन्धकों से बातचीत करके स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया।

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्)

(क) दुर्गापुर कारखाने की नौवीं खुले मुंह की भट्टी 9—4—72 को ही चालू हो गई थी। अभी उत्पादन में वृद्धि का अनुमान लगाना समय पूर्व है क्योंकि कुछ भट्टियों की मरम्मत हो रही थी अतः भट्टियों से उत्पादन सामान्यतः कम हुआ। इसलिये उत्पादन में तत्काल कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। फिर भी मार्च 1971 के 58123 टन इस्पात पिण्ड के उत्पादन की तुलना में अप्रैल 1971 में उत्पादन 60534 टन हुआ और मई के महीने की उत्पादन दर लगभग 68,000 टन इस्पात पिण्ड है।

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता 16 लाख टन इस्पात पिण्ड है। नौवीं खुले मुंह की भट्टी 16 लाख टन के विस्तार चरण का ही एक अंग है।

(ग) वर्ष 1971-72 के लिए 11.5 लाख टन इस्पात पिण्ड का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। परन्तु 1971-72 में इस्पात के उत्पादन तथा अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर का अनुमान लगाना समय पूर्व है।

(घ) जी हां।

सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग लेना

*** 103 श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

श्री ए० पी० शर्मा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) जी हां।

(ख) सांविधिक मालिक-मजदूर-समिति के अतिरिक्त, संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की योजना सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में 1958 से स्वेच्छिक आधार पर चली आ रही है। सरकार ने उचित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध-बोर्डों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की एक योजना भी प्रारम्भ करने का निर्णय किया है। बैंक कम्पनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तानांतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत बनाई गई राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और विविध उपबन्ध) योजना 1970 में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के उन कर्मचारियों में से, जो श्रमिक हैं, निदेशकों के बोर्ड में एक निदेशक नियुक्त करने की व्यवस्था करती है। उपयुक्त केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों द्वारा शेयर रखने की एक योजना भी सरकार के विचाराधीन है।

असुरक्षित पतन तथा गोदी कर्मचारियों के लिए श्रम पूल बनाने की योजना

*** 104 श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पतन तथा गोदियों के असुरक्षित कर्मचारियों के लिए श्रमिक पूल बनाने की योजना किसी पतन पर क्रियान्वित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उक्त पूल से कर्मचारियों को क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जहां तक गोदी श्रमिक बोर्डों का प्रश्न है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, विशाखापतनम, मोर्मुगावो और कांडला के गोदी श्रमिक बोर्डों से सम्बन्धित गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत बनाई गई रजिस्ट्रीकृत योजना के और रजिस्ट्रीकृत योजना के अतिरिक्त, सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है परन्तु बम्बई की गोदियों में सामान्य कार्य मजदूरों की नियुक्ति और मद्रास में सामान्य कार्य अनियत मजदूरों की नियुक्ति, नियोजकों और यूनियनों के बीच हुए समझौते के ज्ञापनों की शर्तों के अनुसार विनिमियत की जाती है। और, बम्बई सीमा शुल्क भवन अभिकर्त्ताओ ने 4 मई, 1971 से निकासी और उग्र-प्रेषण श्रमिकों का एक श्रमिक पूल बनाना है।

(ख) और (ग) : बम्बई गोदियों में सामान्य कार्य मजदूर जिनमें निकासी गैंग श्रमिक तथा टिंडल, पालावाले और शिविगमैन सम्मिलित हैं, स्थायित्व और मासिक मजदूरी लाभ व अन्य लाभ जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, रोस्टर-आफ, इत्यादि, लाभ प्राप्त करते हैं ।

मद्रास गोदियों के सम्बन्ध में, मद्रास नौभरक एसीसियेशन द्वारा चलाये जाने वाले पूल के अनियत श्रमिकों को न्यूनतम गारन्टीकृत मजदूरी, हाजरी भत्ता, आवर्ती.बुकिंग, सवेतन छुट्टियां, चिकित्सा सुविधायें इत्यादि ऐसे सभी लाभ मिलते हैं जो सूची-बद्ध गोदी श्रमिकों को उपलब्ध हैं ।

बम्बई सीमा शुल्क भवन अभिकर्त्ता श्रमिक पूल के निकासी और उग्रप्रेषण श्रमिकों के मामलों में, (क) वर्ग के श्रमिकों को बारी-बारी से रोजगार 15 दिनों के न्यूनतम गारन्टीकृत मजदूरी हाजरी भत्ता सवेतन छुट्टी और साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी । जब कभी वर्ग 'क' में श्रमिकों की कमी होगी तो रोजगार में वर्ग 'ख' के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

Nationalisation of Sugar Industry in U.P.

***105. Shri N. S. Bisht**

Will the Minister of Agriculture (Krishi Mantri) be pleased to state :

(a) Whether the Central Government had advised the U. P. Government last year to nationalise the Sugar Industry in the State;

(b) If so, the reasons for which the State Govornment have not so far nationalised the Sugar industry; and

(c) Whether the Central Government propose to emphasise on the State Government to take necessary action in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Krishi Mantralya Men Rajya Mantri) Shri Sher Singh

(a) No. Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

दक्षिणी राज्यों की चीनी मिलों में वित्तीय संकट

***106. श्री एम० के० कृष्णन :**

श्री पी० के० देव :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिणी राज्यों की चीनी मिलों में भारी स्टाक हो जाने के कारण भारी वित्तीय संकट पैदा हो गया है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई साधन प्राप्त हुआ है; और

(ग) समस्या के तत्काल निवारण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :

(क) दक्षिणी राज्यों के चीनी कारखानों ने इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिए हैं ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जिन कारखानों के पास उत्पादन से अधिक अनुपात में स्टाक है उनकी कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से उत्पादन की बजाए उनके पास पड़े स्टाक के आधार पर बिक्री के लिए चीनी दी जा रही है। ऐसे कारखानों को अतिरिक्त चीनी दी गई है।

Lowering pf Ceiling on Agricnltural Holdings

***107. Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of Agiculture (Krishi Mantri) be pleased to state :

(a) Whether Government's attention has been drawn to the demand for lowering the ceiling on agricultural holdings in the country; and

(b) If so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya Men Rajya Maitri (Shri Annasaheb P. Shinde)

(a) Yes, Sir.

(b) The matter has been referred to the Central Land Reforms, committee

बैलाडिला लौह वयस्क परियोजना, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा बारी-बारी से भूख हड़ताल

***108. श्री एस० पी० भट्टाचार्य :**

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बैलडिला लौह अयस्क परियोजना, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा बारी-बारी से की जा रही भूख हड़ताल की ओर ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त भूख हड़ताल के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर)

(क) जी हां।

(ख) और (ग) : पहले श्रमिकों की एक यूनियन ने मजदूरी विन्यास समिति द्वारा सिफारिश किये गये संशोधित वेतन-मानों की क्रियान्विति और अन्य अनुषंगी लाभों के सम्बन्ध में प्रबन्धकों को एक माँग-पत्र प्रस्तुत किया गया था। यह विवाद सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), रायपुर द्वारा समझौते के लिए उठाया गया। यहाँ तक कि समझौता कार्रवाई के दौरान यूनियन के कुछ प्रतिनिधियों ने भूख हड़ताल कर दी। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र के अधिकारियों के हस्तक्षेप से यह भूख हड़ताल समाप्त की गई। मांगों के सम्बन्ध में बातचीत जारी है।

कृषि विकास योजनाओं के लिए छोटे किसानों को उपलब्ध सुविधाएं

***109. श्री एच० एन० मुकर्जी :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केवल कुछ धनी किसानों को ही उपलब्ध कृषि सुविधाओं का अधिकांश लाभ

प्राप्त होता है, इस बात की जांच के लिए यदि हाल ही में कोई अध्ययन किया गया है तो क्या;

(ख) सिंचाई, ऋण, उर्वरक, बीज, कृषि-उपकरण तथा अन्य सुविधाओं के बंटवारे के बारे में इन धनी किसानों के कथित एकाधिकार के सम्बन्ध में स्थिति क्या है;

(ग) यदि छोटे किसानों को नयी तकनीक के लाभ उपलब्ध हैं; तो किस सीमा तक; और

(घ) इस बारे में सरकार की वर्तमान नीति तथा निष्पादन परियोजनाएं क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (**श्री जगन्नाथ पहाड़िया**) : (**क**) **से** (**घ**) चतुर्थ योजना के कृषि क्षेत्र में से मुख्य उद्देश्य, कृषि उत्पादन में 50 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना तथा विकास कार्यों में ग्रामीण समुदाय, विशेषकर दुर्बल वर्ग के लोगों को अधिकाधिक सक्रिय सहयोग देने तथा उसके लाभों का फायदा उठाने के योग्य बनाना है। यह स्वीकार कर लिया गया है कि भू जोतों की असमान वितरण विधि तथा नई कृषि तकनौलोजी के फलस्वरूप उपलब्ध विकास के संसाधनों तथा उपस्करों से विशेष सुविधायें प्राप्त तथा अल्प सुविधायें प्राप्त वर्गों में और अधिक तीव्र असमानता उत्पन्न हो रही है।

योजना आयोग की प्रेरणा से किये गये कुछ अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि छोटे किसान भी आधुनिक आदानों तथा कृषि प्रणालियों को अपनाने में बड़े कृषकों की तुलना में कम प्रगतिशील तथा कम इच्छुक नहीं हैं। किन्तु उनकी कुछ कठिनाइयां हैं जैसे कि जौन खंडन, पट्टे की असुरक्षा, आदानों तथा जल की अपर्याप्त तथा असामयिक आपूर्ति, ऋण सुविधाओं का अभाव तथा विपणन और भंडारण की असंतोषजनक व्यवस्था, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति ने भी इस तथ्य की ओर संकेत किया हैं कि छोटे कृषक ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों से अनुमति या संख्या अथवा अपनी आवश्यकताओं में किसी प्रकार भी लाभान्वित नहीं हुये हैं, और यह कृषि विषयक संस्थागत ऋणों के सम्बन्ध में विशेष रूप से सत्य है। अतः उन्होंने ऋण नीतियों तथा प्रणालियों के सामान्य पुनर्नवीकरण के साथ-साथ मार्गदर्शी प्रयोग के रूप में विशेष एजेन्सियाँ स्थापित करने की भी सिफारिश की है, जिनसे कि संभाव्य क्षमता वाले छोटे कृषकों को फार्म व्यापार तथा गतिविधियों से लाभ अर्जित करने में सहायता देने के लिये विशेष उपाय अपनाये जा सकें।

सरकार द्वारा यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और चुनीदा जिलों में 46 लघु कृषक वकास एजेन्सियों की स्थापना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक परियोजना प्रत्येक जिले से 50,000 छोटे कृषकों को लाभान्वित करने के लिये लागू की जा रही है। ये एजेन्सियाँ अपने क्षेत्र में छोटे कृषकों के कार्यक्रमों का निर्धारण तथा समुचित कार्यक्रमों को तैयार करने का कार्य करेंगी और जहां तक सम्भव होगा वर्तमान संस्थाओं से आदान, सेवा और ऋण की उपलब्धि सुनिश्चित करायेंगी। भारत सरकार द्वारा चतुर्थ योजना की अवधि में ऐसी प्रत्येक योजना के लिये लगभग 1·85 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त, उप-सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के विशाल वर्ग के लिये एक अन्य परियोजना तथा पूरक काम धन्धों और रोजगार के अन्य अवसरों की व्यवस्था के लिए मार्गदर्शी परियोजना समस्त देश के 41 चुनींदा क्षेत्रों में कार्यान्वित करने के लिये

तैयार की गई है। ऐसी प्रत्येक परियोजना से इस वर्ग के लगभग 20,000 लोगों के आवृत होने की सम्भावना है। चतुर्थ योजना में प्रत्येक परियोजना के लिए स्थूल रूप से 1 करोड़ रुपये के अनुदान की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार द्वारा अभी तक लघु कृषक विकास एजेन्सियों में 45 परियोजनाएं तथा सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिकों की 34 परियोजनायें अनुमोदित की गई हैं। इन परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव के व्यापक उपयोग द्वारा ग्रामीण समुदाय के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों के विकास में सफलता प्राप्त होने की सम्भावना है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को हुई हानि

***110 श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री कल्याण सुन्दरम् :
श्री चन्द्रप्पन :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान कितनी हानि हुई;

(ख) इसके क्या कारण है; और

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्य में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्)

(क) 1969-70 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 10.473 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। वर्ष 1970-71 का हिसाब किताब तैयार किया जा रहा है तथा हिसाब किताब तैयार हो जाने तथा इसकी परीक्षा हो जाने के पश्चात ही स्थिति मालूम हो सकेगी। फिर भी, वर्तमान संकेत ऐसे है कि 1970-71 में भी कम्पनी को घाटा ही होगा जिसकी मात्रा न्यूनाधिक गत वर्ष के बराबर ही होगी।

(ख) इस घाटे का मुख्य कारण 1970-71 में दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों में 1969-70 की तुलना में कम उत्पादन होना है और इसका मुख्य कारण कुछ हद तक दुर्गापुर में सारे वर्ष तथा राउरकेला में वर्ष के पूर्वार्द्धता में मालिक मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना है। इन कारखानों में कुछ तकनीकी तथा परिचालन सम्बन्धी रूकावटें, कमियाँ भी थी।

(ग) मालिक मजदूर संबन्धों की स्थिति के कारण निर्धारित सीमाओं में रह कर हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्रबन्धक उत्पादन को यथाशीघ्र निर्धारित क्षमता तक लाने के लिए सभी संभव उपाय करने के बारे में पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। इन उपायों में संयंत्र तथा उपकरणों के रखरखाव को बेहतर बनाना फालतू पुर्जों, उष्मसह इन्जिनों तथा अन्य आवश्यक सामग्री की प्राप्ति, उत्पादन सुविधाओं में असन्तुलन को ठीक करने के लिए आवश्यक पूंजीगत कार्यक्रमों में तेजी लाना, प्रोद्योगिक सुधार करना आदि सम्मिलित हैं।

औद्योगिक आवश्यकताओं के लिये वन संसाधनों का विकास

श्री तेजा सिंह स्वतंत्र :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले आधारभूत वन संसाधनों के विकास के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) (क) और (ख)

जी हां । शीघ्र-उत्पन्न होने वाली किस्मों का रोपण नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तीसरी योजनावधि के दौरान विशेष रूप से प्रारम्भ की गई थी । इसका उद्देश्य यूकेलिप्टस, बांस आदि जैसी तेजी से उगने वाली किस्मों को लगाना था जिससे कि वन पर आधारित उद्योगों, विशेषकर लूगदी और कागज के लिए, कच्चे माल की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके । यह योजना देश में औद्योगिक प्रोत्साहन बढ़ाने के उद्देश्य से चालू की गई थी जिससे कि इन उद्योगों की शीघ्रता से बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके ।

1961-62 से 1968-69 तक के दौरान 2,58,460 हेक्टर क्षेत्र में ये किस्में लगाई गई थी । यह योजना अब राज्य क्षेत्र में है और तदनुसार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य वन विभागों का 3,02,000 हेक्टर रोपण करने का प्रस्ताव है । 1969-70 और 1970-71 में, लगभग 97,000 हैक्टार में तेजी से उगने वाली किस्में लगाई गई ।

राज्य क्षेत्र की 'औद्योगिक और व्यापारिक उपयोगों के लिये मितव्ययी पौधे लगाना' शीर्षक योजना में पैनल-वुड्स, दियासलाई आदि जैसे वन पर आधारित उद्योगों के लिये उपयुक्त सस्ती किस्मों को लगाने की भी व्यवस्था की गयी है ।

1961-62 से 1968-69 तक के दौरान 6,02,300 हैक्टार क्षेत्र में मितव्ययी पौधे लगाये गये और इस योजना के अन्तर्गत चौथी योजनावधि के दौरान 3,39,170 हैक्टार में रोपण किये जायेंगे । 1969-70 और 1970-71 के दौरान लगभग 1,07,590 हैक्टार में रोपण किया गया ।

Chief Ministers Conference on Land Reforms

***112 Shri Ramavatar Shastri:**

will the Minister of Agriculture (Krishi Mantri) be pleased to state :

(a) Whether Government had called a meeting of the chief Ministers of States in March 1970 to discuss the question of land reforms;

(b) the names of the States whose chief Ministers attenended the meeting;

(c) the points regarding land reformes which were discussed and on which decisions were taken in the said meeting; and

(b) whether the Chief Ministers could not agree unanimously on the point of ceiling on land?

The Minister of States in the Ministry of Agriculture
(Krishi Mantralaya Men Rajya Mantri) Shri Anna Saheb P. Shinde

(a) & (b) : No meeting of the Chief Ministers of States was called in March 1971 to discuss the question of land reforms. However a meeting of the Central land Refoms committee was hold on April 16, 1971. Chief Ministers of Bihar, Maharashtra and Punjab and Revenue Minister of Tamilnadu (on behaalf of the Chief Minister, Tamilnadu) attended as special invitees.

(c) & (d) : There was a broad agreement that there is need for reviewing the provisions of the ceiling laws with a view to making them more effective and purposeful. The following points were discussed at the meeting.

1. Level of ceiling

It was noted that in a number of States the level of ceiling was still on the high side. However, since the data available with the Committee was considered inadequate it was decided that before any decision with regard to lowering of ceiling was taken all neccessary data should be collected from the various States.

2. Unit of application of ceiling

With regard to the unit of application of ceiling, it was decided that the manner in which ceiling should be made applicable to the aggregate area held by all the members of a family should be decided after detailed information has been received about working of the provisions of the existing legisiation in the various States.

3' Exemptions

It was agreed that exemptions from ceiling should be curtailed to the minimum in the light of local conditions.

बेरोजगारी की समस्या को हल करने के बारे में इकेफे (एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक्र आयोग) के सुझाव

*113 · डा0 रानेन सेन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इकेफे (एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग) ने जनसंख्या तथा परिवार नियोजन के विषय पर अभी हाल में आयोजित हुए एशिया एमप्लायर्स सेमिनार को जो अपना प्रतिवेदन दिया उसमें इकेफे के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अन्य रोजगार की बढ़ती हुई समस्या पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) क्या इकेफे ने इस समस्या के हल करने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन सुझावों के आधार पर कोई कार्यवाही करने का है?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर)

(क) प्रश्न में उल्लिखित इकेफे सचिवालय का प्रतिवेदन सरकार को नहीं मिला है ।

(ख), (ग), और (घ), सवाल पैदा नहीं होता ।

रोजगार संबन्धी योजनाओं के सुझाव के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ

*114 **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन ।**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त **राष्ट्र** विकास कार्यक्रम से किसी विशेषज्ञ-दल को आमन्त्रित करने का कोई प्रस्ताव है जो ऐसी ठोस योजनाओं का सुझाव दे जिससे देश में रोजगार के नये अवसर पैदा किये जा सकें ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री श्री आर० के० खाडिलकर

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन ने एशिया के एक क्षेत्रीय दल का गठन किया है जो उसके विश्व नियोजन कार्यक्रम की संधटक एशियायी जनशक्ति योजन का अंग है । इस का मुख्य उद्देश्य एशियायी क्षेत्र के देशों में फैली बेरोजगारी और अपूर्ण नियोजन की मात्रा का अनुमान लगाना तथा इन्हें दूर करने के लिए नीति निधारित करने और तकनीकी सेवाओं के विकास में सहायता देना है।

विशिष्ट कार्यक्षेत्र जिन के आधीन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अन्तर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम से सहायता का अनुरोध किया जाये, अभी विचाराधीन है ।

रूरकेला तथा दुर्गापुर संयंत्रों में इस्पात के उत्पादन में कमी

115. **श्री एम०** कतामुतु :

क्या **इस्पात तथा खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला और दुर्गापुर स्थित इस्पात संयंत्र में इस्पात के उत्पादन में कमी हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कमी होने के क्या कारण थे ?

इस्पात तथा खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्)

(क) जी, हां। 1969-70 के वर्ष की अपेक्षा 1970-71 के वर्ष में राउरकेला तथा दुर्गापुर में उत्पादन कम हुआ ।

(ख) उत्पादन में कमी मुख्यत: दुर्गापुर में सारा साल तथा राउरकेला में वर्ष के पूवार्द्ध में मालिक मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण हुई । इन कारखानों में कुछ तकनीकी तथा परि-चालन सम्बन्धी रूकावटें/त्रुटियां भी थीं ।

दुग्ध उत्पादों के निर्माण से प्रतिबन्ध हटाने के लिए दिल्ली में दुग्ध सप्लाई में वृद्धि करने के सम्बन्ध में योजना

116. **श्री एस० सी० सामन्त** :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रति वर्ष मई से सितम्बर तक दुग्ध उत्पादों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण दिल्ली तथा उसके पड़ौसी राज्यों के कई जिलों के दुग्ध और दुग्ध-उत्पादों के व्यापार में लगे अनेक व्यक्तियों को बहुत हानि उठानी पड़ती है, और

(ख) दुग्ध सप्लाई में वृद्धि करने की कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे

भविष्य में इस प्रकार के प्रतिबन्द की आवश्यकता न पड़ ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह)

(क) जी हां।

(ख) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मंसूरी . के प्राकृतिक प्रश्रवण चक्र के कारण दिल्ली क्षेत्र में दुग्ध का उत्पादन ग्रीष्म महीनों के दौरान पर्याप्त रूप से नीचे चला जाता है यह हरे चारे के आभाव के कारण सुस्पष्ट है। उपभोक्ताओं को विशेषत शिशुओं गर्भवती माताओं, बच्चे वाली माताओं, रोगी, अस्पताल आदि की तरल दूध की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि दूध के उत्पाद, जिनमें खीवा, रबड़ी, पनीर, क्रोम कैंसिन, सप्रेटा दूध और किसी भी प्रकार की मिठाई जिनके बनाने में दूध या इसका कोई उत्पाद घी को छोड़कर अवयव है, के निर्माण के लिये दूध के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। इन में से कुछ जैसे खीवा और रबड़ी विलासी वस्तुएं हैं।

2. सन 1968 से 1971 तक दूध की सप्लाई के संरक्षण और बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दूध और दूध उत्पाद नियन्त्रण आदेश को प्रति वर्ष लागू करती रही है। इस आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली प्रशासन की सम्मति प्रकाशन की सम्मति से लागू किया जाता है ऐसे ही आदेश पंजाब और हरियाणा सरकारें भी लागू करती हैं।

3. दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद नियन्त्रण आदेश आइस क्रीम, कुल्फी या कुल्फी के निर्माण और बिक्री के लिये, जिनके बनाने में न तो खीवा, रबड़ी या मलाई प्रयोग होती है। दूध के प्रयोग पर प्रतिबन्ध नहीं लगता । नियन्त्रण आदेश, उन मिठाईयों के निर्माण, जिनके बनाने में घी को छोड़कर दूध और इसका कोई उत्पाद अवयव नहीं है, निर्णय वही करता क्योंकि नियन्त्रण आदेश ग्रीष्म महीनों के दौरान, 90 दिन या उससे थोड़े दिन की अवधि ज़ब दूध की उपलब्धि थोड़ी सप्लाई में होती है, के लिये सीमित है। 1971 वर्ष के दौरान नियन्त्रण आदेश 7 मई, 1971 से 15 जुलाई, 1971 तक केवल 70 दिन के लिये लागू है। जब कि कुछ कठिनाई अपरिहार्य है सब तरह से प्रयत्न किया जा रहा है कि यह कठिनाई जहां तक सम्भव हो कम से कम संख्या तक सीमित रहे और केवल एक सीमित अवधि के लिये हो।

4. दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं।

(1) बाढ़ प्रचालन के अन्तर्गत दिल्ली में दुग्ध प्रक्रिया सुविधाओं के लिये और दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध क्षेत्रों में जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों में स्थित है, दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने के लिये 18 करोड़ से 20 करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गई है। उत्पादन में बढ़ोतरी अन्य तकनीकी आदानों की व्यवस्था से प्राप्त कर ली जायेगी जिनमें पहले से ही तैयार रातर्व हरा चारा

कृत्रिम गर्भाधान, पशु-चिकित्सा सम्बन्धी सेवायें, दवाइयां और वत्स पोषण-पालन सहायता सम्मिलित है ।

(11) 80 लाख रुपये से भी अधिक प्रति परियोजना के व्यय की चारहन पशु विकास परियोजनाएं पाँच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ हरियाणा के जिला गुड़गावां और करनाल और राजस्थान के जिला बीकानेर में कार्यान्वित की जा रही है । ये परियोजनाएं एक विशेष विकास करेंगी जिनमें अन्य चीजों के साथ कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा पशुओं का सुधार, रातिव और चारे का विकास, पशु चिकित्सा सम्बन्धी सहायता और डेरी विस्तार कार्यवाहीयां सम्मिलित हैं ।

शुष्क भूमि समन्वित कृषि विकास योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता :

*117 **श्री भोला मांझी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के लिए शुष्क भूमि समन्वित कृषि विकास योजना के अन्तर्गत मार्गदर्शी परियोजनाओं के लिए राज्यों से प्रस्ताव पास हो गये हैं.

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और प्रस्तावों की कुल लागत क्या है ।

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है; और

(घ) प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार दवारा राज्यों को किस प्रकार की और कितनी सहायता दी जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)

1970-71 से आरम्भ करके चौथी योजना के दौरान 12 राज्यों से वारानी भूमि कृषि के अधीन 24 आदर्श परियोजनायें होंगी । 1970-71 के दौरान आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश प्रत्येक में एक एक परियोजना आरम्भ की गई और यह 1971-72 के दौरान और उसके बाद भी जारी रखी जायेगी ।

शेष 15 आदर्श परियोजनायें 1971-72 तथा उसके पश्चात शुरू हो जायेंगी । आन्ध्र-प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से 13 नई परियोजनायें आरम्भ करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । राजस्थान से दो परियोजनाओं के प्रस्तावों की प्रतिक्षा की जा रही है ।

भूमि संरक्षण, भूमि विकास, समुचित काश्त कार्य और भूमि प्रबन्ध, जल प्रयोग प्रणा-लियां; छिड़काव सिंचाई का प्रयोग, नई किस्मों, नई फसलों और सुधरे औजारों और कृषकों के प्रशिक्षण आदि के मुख्य मद इसमें शामिल किये गये हैं । इन परियोजनाओं की महत्वपूर्ण बात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केन्द्रों और परियोजनाओं के बीच समन्वय करना है ।

राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई नई परियोजनाओं की कुछ लागत, राजस्थान को छोड़कर, 1971-72 के लिये 2·89 करोड़ रुपये आती है । भारत सरकार ने अभी तक प्राप्त सभी प्रस्तावों को मंजूर कर दिया है ।

क्योंकि यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। तकनीकी मार्गदर्शन के अतिरिक्त, योजना की सम्पूर्ण लागत अनुदान और ऋण सहित केन्द्र जुटायेगा। प्रत्येक परियोजना की सहायता की राशी भिन्न भिन्न होगी जो प्रत्येक परियोजना की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करेगी।

पश्चिम बंगाल, आसाम तथा त्रिपुरा को चावल की सप्लाई में वृद्धि

118. **श्री मुहम्मद इस्माइल** :

श्री समर गुह :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश शरणार्थियों के आगमन तथा चावल की कम वसूली को देखते हुए सरकार ने पश्चिम बंगाल, आसाम तथा त्रिपुरा को चावल की सप्लाई में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन में से प्रत्येक राज्य को चावल की अब तक कितनी अतिरिक्त सप्लाई की गई हैं।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य में अधिप्राप्ति कम होने और बंगला देश से शरणार्थियों के आने से अतिरिक्त मात्रा की सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया है। बताई गई आवश्यकताएं नवम्बर, 1970 से अक्तूबर 1971 तक के पूरे फसल वर्ष के लिए हैं राज्य सरकार की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पश्चिमी बंगाल के भारतीय खाद्य निगम के डिपों में पर्याप्त स्टाक मौजूद है और राज्य की आगामी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पश्चिमी बंगाल के भारतीय खाद्य निगम के डिपों में पर्याप्त स्टाक तैयार करने के लिए प्रति माह चावल भेजने हेतु कार्यक्रम बनाए गये है। असम के मामले में भी की गई अतिरिक्त मांग आगमी आवश्कताओं के लिए है और राज्य की आगामी आवश्कयाओं की पूर्ति के लिए असम के भारतीय खाद्य निगम के डिपों में चावल का पर्याप्त स्टाक तैयार करने की व्यवस्था की गई है। जहां तक त्रिपुरा का संबंध है, प्रशासन द्वारा सूचित आवश्यकताओं तक आवंटन किया गया है और प्रशासन द्वारा तैयार किए गये कार्यक्रम के अनुसार चावल भेजने की योजना बनाई गई है।

राज्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिए मांगी गई सहायता

119. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम, त्रिपुरा और नागालैंड आदि राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से प्रार्थना की है कि वह पूर्वी बंगाल से भारत आने वाले शरणार्थियों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले;

(ख) यदि हां, तो उन शरणार्थियों को सभी सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से उन शरणार्थियों को स्थान देने के लिए कहा है; और

(घ) इन शरणार्थियों के लिए खाद्य, आवास और रोजगार के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) से (घ)

मानवता के आधार पर भारत सरकार ने पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों को आवश्यक राहत सहायता प्रदान करने का निश्चय किया है। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमावर्ती राज्य सरकारें, जहां कि पूर्वी बंगाल से शरणार्थी अपने घरों को छोड़ कर लगातार आ रहे हैं, भारत सरकार की हिदायतों के अधीन, शरणार्थियों को, आश्रय स्थान, भोजन और चिकित्सा सहायता के रूप में आवश्यक राहत सुविधाएं प्रदान कर रही है। तथापि इन सभी सहायता उपायों का खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

आशा की जाती है कि जैसे ही अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जायगी, ये शरणार्थी अपने घरों को लौट जायेंगे। इसलिए भारत सरकार की यह नीति है कि, जहां तक संभव हो, इन शरणार्थियों को आवास केवल सीमावर्ती राज्यों में ही दिया जाये जहां से इनके लिए पूर्वी बंगाल में अपने घरों को लौट जाना अपेक्षाकृत आसान होगा।

इसी कारण, इन शरणार्थियों को रोजगार देने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होगा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार नागालैंड में किसी शरणार्थी के आने की सूचना नहीं है।

वास्तविक उपभोक्ताओं को इस्पात का वितरण

120. **श्री एच० एम० पटेल** :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वास्तविक उपभोक्ताओं को इस्तात के कोटे देने सम्बन्धी नीति में अभी हाल में संशोधन किया है।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस बारे में उद्योग की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

एल्यूमिनियम तथा उत्पादों की मूल्य निर्धारण नीति सम्बन्धी कठिनाईयों तथा लागत के बारे में जाँच

447 श्री लीलाधर कटकी

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एल्यूमिनियम तथा उसमें उत्पादनों का मूल्य निर्धारण नीति सम्बन्धी

कठिनाइनायों तथा लागत के बारे में जांच कराने के लिये कोई अध्ययनदल नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) दल की मुख्य सिफारिशे निष्कर्ष क्या है; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रलय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां)

(क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) कार्यकारी दल की सिफारिशों और उन पर की गई अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को अंन्तर्विष्ट करने वाले सरकारी संकल्प संख्या 5 (118) धातु 1-70, तारीख 24 मई, 1971 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित हुआ है, की प्रति संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल0 टी0 204/71]

गन्ने के मूल्य के भुगतान के लिये बकाया राशि

448. प्रो0 एस0 एल0 सक्सेना :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1971 तथा 30 अप्रैल 1971 तक राज्यवार प्रत्येक कारखाने की जो गन्ने के मूल्य की कुल कितनी राशि भुगतान के लिए बकाया थी ; और

(ख) 30 अप्रैल, 1971 तक पिराई की वर्तमान फसल में तथा 1969-70 की गत पिराई की फसल में राज्यवार प्रत्येक चीनी के कारखाने के चालू होने, बन्द होने की तिथियां क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री शेर सिंह : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 28 फरवरी, 1971 और 30 अप्रैल, 1971 को 1970-71, 1969-70 और 1968-69 और पूर्व के मौसमों का गन्ने के मूल्य का बकाया दिया गया है । [ग्रथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल0 टी0 205/71]

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें कारखानों के कार्य प्रारम्भ करने और बन्द करने जो कि 1970-71 के मौसम और पिराई मौसम 1969-70 के दौरान 30 अप्रैल 1971 को बन्द हुई थी, की तारीख दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल0 टी0 205/71]

वर्ष 1969-70 तथा1970-71 में नियंत्रित भाव वाली तथा खुले बाजारों में बिकने वाली चीनी के मूल्य ।

449. **प्रो० एस० एल० सकसेना :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में तथा 1970-71 में 30 अप्रैल, 1971 तक पिराई की प्रत्येक फसल में राज्यवार प्रत्येक चीनी के कारखाने में नियंत्रित भाव वाली चीनी तथा खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का प्रति क्विन्टल अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य क्या रहा; और

(ख) वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में राज्यवार प्रत्येक चीनी कारखाने में गन्ने से प्राप्त चीनी की मात्रा क्या रही ?

कृषि मन्त्रलय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) राज्यवार प्रत्येक चीनी कारखाने द्वारा वसूल किए गये खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य और 1969-70 और 1970-71 वर्षों में उत्पादित चीनी के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लेबी चीनी का मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथा लय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 206/71]

वर्ष 1969-70 और 30 अप्रैल, 1971 तक वर्ष 1970-71 में प्रत्येक कारखाने द्वारा प्राप्त उपलब्धि बताने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 206 171]

गुजरात में ई० एस० आई० कारपोरेशन की स्थापना

450. श्री सोमचन्द सालंकी :

क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार यह जानती है कि गुजरात के औद्योगिक श्रमिकों ने प्रशासन के केन्द्रीयकरण के लिए ई० एस० आई० कारपोरेशन की स्थापना की मांग की है;

(ख) क्या गुजरात के औद्योगिक श्रमिकों ने केन्द्रीय सरकार के श्रम मन्त्री के समक्ष ई० एस० आई० कारपोरेशन की योजना के अधीन जीवन बीमा सुविधाओं के बारे में अपना गम्भीर असन्तोष प्रकट किया था; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हाँ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि गुजरात के लिए एक अलग निगम कानूनी रूप से जायज नहीं है, इसके अतिरिक्त, यह कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्निहित साधनों और जोखमों को मिलने के बुनियादी सिद्धान्त के विरुद्ध है। श्रमिकों की शिकायतों को नोट किया जाता है और उनके निवारण के लिए हर प्रयास किया जाता है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से चिकित्सा की देख-रेख के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता का माप-दण्ड बढ़ा दिया गया है और अधिकांश मामलों में निगम की अग्रिम अनुमति अब आवश्यक नहीं हैं। इसके अलावा, प्रादेशिक बोर्डों को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिये जा रहे हैं। एक राज्य बीमा निगम द्वारा जिन सुविधाओं को लेने का दावा किया गया है, उन्हें इन प्रयासों द्वारा राष्ट्रीय योजना तोड़े बिना प्राप्त किये जाने का अनुमान है।

उचित दर वाली दुकानों से दी जाने वाली चीनी के मूल्यों में वृद्धि

451. श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की उचित दर वाली दुकानों से कार्डधारियों को मिलने वाली चीनी के मूल्य बढ़ा दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) राशन की चीनी का मूल्य बढ़ाना कहां तक न्यायोचित है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से दी जाने वाली लेवी चीनी का मूल्य बढ़ा दिया है।

(ख) और (ग) : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चीनी कारखानों ने जिनसे केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली को लेवी चीनी आवंटित की जाती है, सरकार द्वारा निर्धारित लेवी चीनी के मूल्य के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और उच्च न्यायालय ने उक्त कारखानों को अनुमति देते हुए यह अन्तरिम आदेश दिया है कि जब तक कि रिट याचिकाओं पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं ले लिया जाता है तब तक वे अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य लिया करें, लेकिन उस अतिरिक्त मूल्य को बैंक में जमा करना होगा और रिट याचिकाओं पर दिए गये अन्तिम आदेशों को ध्यान में रखकर उसके निपटान हेतु न्यायालय के आदेशों पर निर्भर करना हैं। इन आदेशों के फलस्वरूप दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली की उचित मून्य की दुकानों से दी जाने वाली लेवी चीनी का मूल्य बढ़ा दिया था। यह मूल्य-वृद्धि 20.14 रूपये प्रति क्विटल से 25.76-112 रुपये प्रति क्विटल के बीच की गई है।

संसद सदस्यों की सिफारिशों पर दूध के टोकिन जारी करने के लिए दिये गये अनिर्णीत प्रार्थना पत्र

452. **श्री कमल मिश्र मधुकर** :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध-योजना के पास 31 मार्च, 1971 तक ऐसे कितने प्रार्थना पत्र अनिर्णीत थे जिन पर दूध के टोकिन जारी करने के लिए संसद सदस्यों ने सिफारिशें की थीं;

(ख) इन टोकिनों को कब तक जारी करने का विचार है।

(ग) 1970-71 में कितने दूध के टोकिन जारी किये गये; और

(घ) उन व्यक्तियों को जिनकी सिफारिशें संसद सदस्यों द्वारा की गयी है तथा साधारण व्यक्तियों को दूध के टोकिन जारी करने में सामान्यतः कितना समय लगता है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) (क) 707

(ख) 170 अनिर्णीत आदवेन पत्रों पर दूध के टोकन जारी कर दिये गये हैं। शेष 537 आवेदन पत्रों पर भी दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर दूध के टोकन जारी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा 1970-71 की अवधि में कुल मिलाकर 8536 नये दूध के टोकन जारी किये गये थे।

(घ) सामान्य जनता से 31-5-68 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर दूध के टोकन जारी कर

दिये गये हैं। संसद सदस्यों की सिफारिशों सहित प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में दूध की आपूर्ति स्थिति के अनुसार समय 2 पर तदर्थ कोटा निर्धारित कर दिया जाता है।

कृषि विभाग में कार्य कर रहे अमरीकी परामर्श-दाताओं का बदला जाना

453. **श्री शशि भूषण :**

क्या **कृषि** मंत्री कृषि विभाग में अमरीकी परामर्शदाताओं के सम्बन्ध में 3 दिसम्बर, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 503 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार अमरीकी परामर्शदाताओं के स्थान पर कब तक भारतीयों को नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है तो ऐसा निर्णय लेने में क्या कठिनाई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). माननीय सदस्य का अभिप्राय 3 दिसम्बर, 1970 को लोक सभा में उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 503 के भाग (क) में उल्लिखित उत्तर में कृषि विभाग के 5 अमरीकी विशेषज्ञों से हैं :—

श्री जे० टी० फ्लेन, जो कि अमरीकी विशेषज्ञों के दल के नेता थे, चले गये हैं और उनके स्थान पर श्री ई० डी० बटलर आए हैं। आशा है दो विशेषज्ञ अर्थात श्री एफ० एम० राबर्टस और श्री ई० एल इलिथोर्य, दिसम्बर 1971 में देश छोड़ देंगे। एक अन्य विशेषज्ञ, श्री ई०जे० पोप फरवरी, 1972 में चले जायेंगे। इन तीन विशेषज्ञों के समनुदेशन की अवधि बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। पांचवें विशेषज्ञ श्री आर० डी० वैन्डरसीपेन, जो कि जुलाई 1970 से यहां हैं और वे जुलाई, 1972 तक यहां रहेंगे।

समस्त विशेषज्ञों की अवधि बढ़ाने या उनकी सेवायें प्राप्त करने से पूर्व उनके मामले में भली-भाँति जांच-पड़ताल की जाती है। जहां भारतीय विशेषज्ञ जम जाते हैं, वहां विदेशी विशेषज्ञ नहीं लाए जाते।

पश्चिम बंगाल तथा बिहार से रेलवे माल डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण कोयला उद्योग में संकट

454. **श्री रोबिन सेन :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री मोहम्मद इस्माइल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेलवे माल डिब्बों की अनुपलब्धता के कारण पश्चिम बंगाल तथा बिहार में कोयला उद्योग में आये भारी संकट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन खानों में 30 अप्रैल, 1971 के अन्त तक अनुमानतः कितने मूल्य के कोयले का भंडार जमा था; और

(ग) सरकार द्वारा कोयले के जमा भंडार को कम करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालत में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) 26·55 करोड़ रुपये लगभग।

(ग) कोयला संचलन के लिए रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता साधारणतः पश्चिमी बंगाल-बिहार के क्षेत्रों में विधि और आदेश स्थितियों के क्षय के कारण से है। सरकार पहले ही स्थिति से अवगत है और स्थिति पर नियंत्रण के लिए सभी सम्भव उपाय कर रही है।

औद्योगिक गृहों के अधिकार में कोयला खानों को राज सहायता का भुगतान

455. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष दी जाने वाली राज सहायता का अधिकतर भाग उन कोयला खानों को मिलता है जो कोयला खानें उन चौदह औद्योगिक गृहों के अधिकार मे है जिनका उल्लेख एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट में है;

(ख) उनके अधिकार में कोयला खानों के नाम क्या हैं तथा 1968, 1969, 1970 वर्षों में और अप्रैल 1971 तक प्रत्येक खान को भराई के लिए राज सहायता की कितनी राशि दी गई; और

(ग) क्या इन चौदह औद्योगिक गृहों को की जा रही अदायगी को बन्द करने का सरकार का विचार है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1969-70 में भराई साक्रियाओं के लिये कोयला खानों को सहायता के रूप में संदत्त कुल राशि 528·58 लाख रुपये थी जिसमें से चौदह औद्योगिक गृहों के स्वामित्व में भराई कोयला खानों को संदत्त राशि 220·26 लाख रुपये थी इस प्रकार यह कुल संदाय का 41·67 प्रतिशत हुआ।

(ख) 1969-70 और अप्रैल, 1971 के संबन्ध में विवरण संलग्न है (उपबन्ध) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 207/71] अन्य कालावधियों के बारे में विवरण एकत्र किये जा रहे हैं और सभा के पटल पर रख दिए जायेंगे।

(ग) राज-सहायता के लिए पात्रता, कोयला खानें (सरंक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों द्वारा शासित है और राज-सहायता का संदाय, कोयला खानें (सरंक्षण और सुरक्षा) नियम, 1954 में यथा उपबन्धित केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित दरों पर किया जाता है। जब तक अधिनियम और नियमों के अधीन खानें विहित अपेक्षाओं की पूर्ति करती है और इस प्रकार राज-सहायता के लिए अर्हित हो जाती है, उन्हें नियमों का बिना उल्लघंन किए राज-सहायता के संदाय से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि इस से एक खान से दूसरी खान में विभेद उत्पन्न होगा।

कोयला खानों का बन्द हो जाना

456 श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं। जो जनवरी, 1970 से मार्च 1971 के बीच बन्द हो गई और इन में से प्रत्येक में कोयले की कितनी मात्रा भूमिगत रह गई।

(ख) प्रबन्धको द्वारा प्रत्येक खान के बन्द होने के क्या कारण बताए गए ।

(ग) क्या सरकार ने खानों के बन्द होने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के अपनी ओर से प्रयत्न किये : और

(घ) यदि हां तो इसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खाँ) (क) से (घ) : जानकारी देने वाले दो विवरण, उपाबन्ध 'क' और उपाबन्ध 'ख' के रूप में संलग्न है । (ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 208/71)

अपराधी कोयला खानों की राज्य सहायता का बन्द किया जाना

457 श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला बोर्ड ने उन कोयला खानों की, जो मजूरी और रायल्टी के भुगतान न करने, भविष्य निधि के गबन, तथा अन्य दूसरे कदाचारों के लिए दोषी हैं । राज्य सहायता बन्द करने के लिए कोई निर्णय कर लिया है । और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खाँ) (क) और (ख) :

सरकार ने कोयला बोर्ड द्वारा उन कोयला खानों को, जो स्वामित्व, मजदूरी और भविष्य निधि के संदाय में व्यतिक्रमी है राज-सहायता संदाय को रोकने के प्रश्न का परीक्षण कर लिया गया है और यह पाया गया है । कि ऐसा करना वैधानिक रूप से साध्य नहीं है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन कोयला खानों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश दिवस घोषित करना

458 श्री देवेन्द्र सत्पथी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मध्यावधि चुनाव में श्रमिकों को अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत आने वाली कोयला खानों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश दिवस घोषित कर दिया गया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खाँ) (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि कर्मकारों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए समस्त आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई थी ।

तालचेर (उड़ीसा) में कोयला खानों मे श्रमिक संघ

459 श्री देवेन्द्र सत्पथी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचेर (उड़ीसा) में कोयला खानों में काम कर रहे श्रमिक संघों की संख्या क्या है ?

(ख) उस श्रमिक संघ का नाम क्या है जिसमें सबसे अधिक सदस्य हैं ; और

(ग) क्या उसे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा मान्यता दे दी गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क), (ख) और (ग) :सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

ताजपुर मोलारबन्द लेबर एण्ड कन्सट्रक्शन कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली

+

460. श्री एस०एम० कृष्ण :

श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताजपुर मौलारबन्द लेबर एण्ड कन्सट्रक्शन कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली की इसकी स्थापना के समय कितनी प्रदत पूंजी थी और समय कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में कम्पनी के हिसाब की लेखा परीक्षा कराई है;

(ग) क्या किसी अनियमितता का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) (क) "ताजपुर मौलारबन्द लेबर एण्ड कन्सट्रक्शन कोआपरेटिव सोसायटी लि०" नाम की कोई सहकारी समिति नहीं है। तथापि, "भारत सेवक समाज ताजपुर मौलारबन्द पत्थर-तोड़ कोआपरेटिव लेबर एण्ड कन्सट्रक्शन सोसाइटी लि०" नाम की एक श्रमिक तथा निर्माण सहकारी समिति, जो पहले पंजीकृत की गई थी तथा जिसे बाद में "नव निर्माण कोआपरेटिव लेबर एण्ड कन्सट्रक्शन सोसाइटी लि०" का नाम दिया गया था, की अंश पूंजी शुरू में 1680 रु० थी। इसकी वर्तमान प्रदत्त अंश पूंजी 3520 रु० है।

(ख) नव निर्माण कोआपरेटिव लेबर एण्ड कन्सट्रक्शन सोसाइटी लि०, जो कुछ समय के लिए निष्क्रिय रही थी, के जून 68, 69 और 70 को समाप्त होने वाले गत तीन सहकारी वर्षों की लेखा-परीक्षा शुरू की गई है।

(ग) अनियमितताओं, यदि कोई हुई, का पता लेखा-परीक्षा के पूरे होने पर चलेगा।

(घ) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

नीलेश्वरम् (केरल) में बाक्साईट निक्षेपों की मात्रा का सर्वेक्षण करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति

461. श्री एम०क० कृष्ण : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में कनानोर जिले के नीलेश्वरम् में बाक्साईट निक्षेप की मात्रा का सर्वेक्षण करने के लिए आयोग की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस विषय पर केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या सरकार ने अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) (क) और (ख) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केरल में कन्नोर जिले के नीलेश्वर के पूर्वी क्षेत्र में बाक्साइट निक्षपों के सुव्यवस्थित समन्वेषण में पहले से ही विनियुक्त है। इस समय तक किए गए अन्वेषण के परिणामस्वरूप, लगभग पांच बाक्साइट भूखण्डों का सीमाकन किया गया है जिसका योग लगभग 4 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से एक भूखण्ड में 96 वोरछिद्र व्यथित किए गए जिनका योग लगभग 760 मीटर है। वोरछिद्रों के आंकड़ों से अनुमानित मोटाई लगभग 3.5 मीटर है। व्यधन की समाप्ति के उपरान्त उपलभ्य राशियों का निर्धारण किया जायगा।

(ग) और (घ) : हाल ही में राज्य में बाक्साइट समन्वेषण के कार्य की गति वृद्धि के लिए केरल सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है। संक्रिया के तीव्रीकरण के लिए क्षेत्र का भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा निरन्तर पुनर्विलोकन किया जा रहा है तथा और अधिक गतिवृद्धि, क्षेत्र में किए जा रहे परीक्षणों से प्राप्त परिणामों पर निर्भर करेगी।

अलौह धातुओं की मांग

462. श्री एस०आर० दामाणी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अलौह धातुओं की वर्तमान माँग क्या है और चौथी योजना के अन्त तक कितनी माँग होने का अनुमान है;

(ख) कितनी मांग स्वदेशी उत्पादन से पूरी की जायेगी और कितनी आयात द्वारा; और

(ग) अलौह धातुओं के निर्माण करने वाली चालू परियोजनाओं और निर्णीत नयी परियोजनाओं में क्या प्रगति हुई है, और प्राथमिकता के आधार पर कार्यगति में वृद्धि न किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) (क) और (ख) विभिन्न अलौह धातुओं के लिए वर्तमान मांग और चतुर्थ योजना के अन्तिम चरण मे प्राक्कलित मांग और वह कमी जिसे आयात द्वारा पूरा किया जाना है, नीचे उपदर्शित है :—

(टनों में)

धातु	मांग प्राक्कलन		1973-74 तक	आयात द्वारा
	1971-72	1973-74	सम्भाव्य उत्पादन	पूरी की जाने वाली कमी
1. ऐलूमिनियम	233,000	27,4000	250,000	—24,000
2. ताप	102,751	124,328	47,500	—76,828
3. जस्ता	117,100	142,000	76,000	—66,000
4. सीसा	80 529	97,430	5,400	—92,030
5. टिन	7,000	8,000	शून्य	— 8,000
6. निकल	4,500	6,000	शून्य	— 6,000

(ग) विभिन्न प्रायोजनाओं की प्रगति को उपदर्शित करने वाला नोट संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 209/71)

पूर्व बंगाल से आने वाले शरणार्थी

463* **श्री दलीपसिंह** :
श्री रामसहाय पाँडे :
श्री झारखण्डे राय :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व पाकिस्तान के लोगों तथा पाकिस्तान की सेना के बीच संघर्ष के दौरान पूर्व पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या क्या है ; और

(ख) इन विस्थापितों को बसाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) 24-5-1971 तक पूर्वी बंगाल से 35.56 लाख शरणार्थी भारत आए हैं।

(ख) पूर्वी बंगाल के इन शरणार्थियों को भारत में बसाने का प्रश्न नहीं पदा होता ; आशा की जाती है कि जैसे ही पूर्वी बंगाल में अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हो जायेंगी ये शरणार्थी अपने घरों को लौट जायेंगे।

पश्चिम बंगाल तथा बिहार में कोयले के स्टाकों का जमा हो जाना

464 श्री चन्द्रभान :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नवम्बर, 1970 से अप्रैल 1971 के बीच पश्चिम बंगाल तथा बिहार में खानों के मुहानों पर कोयला के भारी स्टाक जमा हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों राज्यों के अन्दर खानों के मुहानों पर जमा हो जाने वाले कोयले के स्टाकों का कुल मूल्य क्या है ;

(ग) 1969 तथा 1970 के बीच खानों के मुहानों पर कितना स्टाक जमा था; और

(घ) इतना बड़ा जमाव हो जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाजखां) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जानकारी केवल मार्च, 1971 तक उपलब्ध है। बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों में मार्च, 1971 के अन्त में गर्त-मुख स्टाक का अनुमान 75.80 लाख टन था, जबकि नवम्बर, 1970 के शुरू में यह स्टाक 70.60 लाख टन था। 1969-70 की तत्समान कालावधि में गर्त-मुख स्टाक क्रमश: 52.20, 41.51 लाख टन था।

(ग) यह प्रमुखत: कोयला संचालन के लिए वैगने को पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता और इस्पात संयंत्रों, रेलवे और अन्य उपभोक्ताओं, जिनकी कोयला अपेक्षाए हड़ताल से प्रभावित हुई थीं दुबारा कोयले का कम अपक्रय के कारण से हुआ।

कम्पनियों द्वारा आसनसोल के निकट अनधिकृत खनन

465. **श्री चन्द्रप्पन :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसनसोल के निकट वोडाचक रेल स्टेशन तथा काली पहाड़ी के निकट कुछ कम्पनियों द्वारा अनधिकृत रूप से खनन किये जाने की जिससे रेल लाईन को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है, दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में कोयला बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है और स्थिति को ठीक करने पर कितना व्यय आयेगा ; और

(घ) अनधिकृत खनन के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा उसका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कोयला बोर्ड को कोयला के अनधिकृत खनन के बारे में जानकारी मिली है जिसके कारण आसनसोल और वोडाचक स्टेशनों के बीच मुख्य रेलवे लाइन के धसाव के खतरे का भय बना हुआ है। बोर्ड को आसनसोल के नजदीक कालापहाड क्षेत्र में भी अनाधिकृत खनन की जानकारी मिली है, जिससे फिलहाल कोई रेलवे लाइन प्रभावित नहीं हुई है।

(ख) (1) **वौडाचक रेलवे स्टेशन के नजदीक अनाधिकृत खनन का विवरण** : निरीक्षण से ज्ञात हुआ है कि लगभग 120 मी0 × 100 मी0 के क्षेत्र में जो अधिकांशत: रेलवे द्वारा अर्जित भूमि के नीचे है, हाल ही तक अनाधिकृत खनन हो रहा था, भूमिगत कोयला स्तम्भों को अत्यधिक परिमाप तक लघुकृत किया गया जिससे खतरनाक स्थिति हो गई है और जिससे रेलवे लाइन के धसाव का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है।

(ii) **काली पहाड़ी क्षेत्र में अनाधिकृत खनन का विवरण :** निरीक्षण से यह ज्ञात हुआ था कि नूमिया नदी के साथ कुसादंगा परत में, आसनसोल उप-खण्ड में कालीपहाड़ी के नजदीक

धुसिक ग्राम में कोयला बोर्ड से बिना कानूनी आज्ञा के तीन खानें खोली गई हैं।

(ग) (i) **बोडचेक रेलवे स्टेशन के नजदीक अनाधिकृत खनन के बारे मे** कोयला बोर्ड ने, खान सुरक्षा के महानिदेशक के परामर्श से वर्तमान भूमिगत गैलरियो में (43) तैंतालीस वी0 जी0 स्लीपर कांग (लकड़ी के गुटके) के परिनिमार्ण के लिए तत्काल कदम उठाए जिससे कि छत को अस्थाई अवलम्बन मिल सकें और सतह के ऊपर जहां से रेल लाइन गुजरती है किसी सम्भावित ढह जाने के भय से सुरक्षा हो सके।

अन्य अपनाए गये पूर्व सजगता उपायो में, इस क्षेत्र से गुजरते समय रेलवे द्वारा गाड़ियो को धीमे करना, कोयला बोर्ड खान सुरक्षा के महानिदेश और रेलवे के कर्मचारियो द्वारा भूमिगत कार्यो का निरन्तर निरीक्षण, और गार्डो की नियुक्ति समिलित है।

प्रश्नाधीन क्षेत्र की स्थायी स्थिरता की व्यवस्था के लिए कोयला बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपाय पहले ही किए गए है और इस ओर कार्य प्रगति पर है।

(क) कंकड़ मुक्त सीमेन्ट के स्तम्भो का सनिमार्ण,

(ख) भूमिगत कार्यकरणों में कमजोर कोयला स्तम्भो को कंकड़ मुक्त सिमेन्ट की दीवालों से ढकना : और

(ग) अधिशेष रिक्तता को रेत से भरना।

ऊपर दिये गए सुरक्षात्मक उपायों में लगभग 4.40 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान हैं।

(ii) **कालीपहाड़ी क्षेत्र में अनधिकृत खनन के बारे में**

चूकि इन अनधिकृत खनन संक्रियाओ से किसी पड़ौसी खार, रेलवे अथवा सड़क को खतरा नहीं है, अत: किसी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय और अनुवर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है।

(ध) : अपराधियो के विरुध कोयला वोर्ड द्वारा पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के उत्पादन तथा लाभ में ह्रास

466 श्री चन्द्रप्पन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1970-71 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का उत्पादन तथा लाभ तेजी से कम हो गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं।

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं।

(ग) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की क्षति आयोजना की कमी तथा सामान्य अकुशलता और श्रमिक विरोधी नीति पर किये गये गंभीर आक्षेपों को विचार में रखते हुए सरकार का राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यकरण की जांच करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) 1970-71 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के उत्पादन में अवनति नहीं हुई है। 1969-70 वर्ष के

लिए 137·50 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 1970-71 वर्ष के दौरान उत्पादन 137·70 लाख टन था।

1970-71 वर्ष के लिए वार्षिक लेखे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है किन्तु अंतिम प्राक्कलन लगभग 42 लाख रुपये की हानि उपदर्शित करते हैं जबकि 1969-70 में 108 42 लाख रुपयों का लाभ हुआ था।

(ख) 1970-71 की सम्भाव्य हानि के लिए उत्तरदायी घटक इस प्रकार है :-

(i) कोयले की विक्रय कीमत में तत्समान वृद्धि के बिना कर्मकारों के परिवर्तनीय दैनिक भत्ते में वृद्धि, बिजली चुंगी में वृद्धि और मशीनरी और उपकरण की उच्चतर लागत,

(ii) वर्ष के प्रथमार्च में कोयले की अपर्याप्त मांग, और

(iii) असंतोष परिवहन स्थिति।

(ग) और (घ) 1970-71 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का कार्य पूर्णरूप से संतोषजनक रहा है। (जो संपूर्ण कोयला उद्योग के लिए प्रतिकूल था) यह कहना सत्य नहीं है कि निगम श्रमिक विरोधी नीति अपना रहा है या निगम में बर्बादी योजना का अभाव और साधारण अदक्षता है। अतः अभी सरकार का निगम के कार्यक्रम की जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जिला बांकुरा (पश्चिम बंगाल) में कोयले का पाया जाना

467 श्रीमती विभा घोष :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू सर्वेक्षण विभाग को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में पर्याप्त मात्रा में कोयले के भंडार का पता लगा है।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है, । और

(ग) इस कोयला निक्षेप के स्थानों का पता लगाने तथा उसका उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये गए अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप वारजोरा कोयला क्षेत्र के नाम से विदित एक लघु क्षेत्र 1951 में अन्वेषित किया गया था। यह कोयला क्षेत्र 33 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और अकोककर कोयले की घटिया श्रेणी के 120 लाख टन की प्रतिपादित उपलब्ध राशियों को सम्मिलित करते हुए कुल सकल उपलब्ध राशियां लगभग 247.00 लाख टन की हैं।

(ग) कोयला के अकोककर और घटिया प्रकार के होने के कारण इस क्षेत्र से कोयले के उपयोजन के पूर्वेक्षण उज्जवल प्रतीत नहीं होते हैं। परते साधारणतः पतली है और वृहत रानीगन्ज कोयला क्षेत्र के निकटता, जहां से अच्छे किस्म के कोयला की अपूर्ति होती है, इन कोयला निक्षेपों के उपयोजन को भी इस समय अवरुद्ध करेगी।

शिवसागर हजारीबाग, (बिहार) के क्रिस्टियन माइका इन्डस्ट्रीज के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

468. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1971 में हजारी बाग जिले में शिवसागर के क्रिस्टियन माइका इन्डस्ट्रीज के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी ;

(ख) कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने मांगों को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) : यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

समुद्री खनिज संसाधनों के विदोहन के लिए योजना

469. **श्री बी० नारायणन्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सीमित भूमिगत भंडारों के विकल्प के रूप में सामुद्री खनिज संसाधनों के विदोहन की कोई योजना बनाई है क्योंकि अब यह सिद्ध हो चुका है कि समुद्री तल पर मैंगनीज लौह निकल, कोवाल्ट तथा तांबा फैला पड़ा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार पी० एल० 665 के अन्तर्गत विशेषज्ञों को बुलाकर ऐसी कोई योजना बनाने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का 1965 में स्थापित हुआ समुद्री भूविज्ञान एकक हिन्द महासागर के प्रतितटीय क्षेत्रों को समन्वेषण कार्य कर रहा है और इसने देश के संपूर्ण" कोटिनेन्टल शैल्फ " के समन्वेषणार्थ दीर्घावधि कार्यक्रम बनाया है। अबतक किए गए कार्य के फलस्वरुप, लक्कादीव द्वीप-समूह में दो उपहृदो में उच्च श्रेणी के चूनेदार रेत की 160 लाख टन उपलभ्य राशियां प्रमाणित हुई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तरी अंडमान के समीप आसूचित फास्फोराइट प्राप्तियों के प्रारंभिक सर्वेक्षण का कार्य भी हाथ में ले लिया है और समुद्र-तट से एकत्रित नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है। प्रतितटीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के पश्चात समुद्र तह में के खनिज निक्षेपो के समुपयोजन के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

लौह तथा मैंगनीज अवस्क की खानों का बन्द किया जाना

470. श्री दण्डपाणि :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि निर्यात पत्तनों तक अयस्क ले जाने के लिए तुरन्त प्रभावशाली कार्यवाही न की गई तो क्या बहुत सी लौह तथा मैंगनीज अयस्क की खानों के बन्द होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). सरकार को मालूम नहीं है कि पत्तनों तक अयस्क को ले जाने के लिए रेलवे वैगनों की आवश्यकता न होने के कारण से किसी लौह अयस्क अथवा मेंगनीज खान के बन्द किये जाने की सम्भावना है ।

तथापि, भारत सरकार बंगाल-बिहार क्षेत्र में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क इत्यादि के संचालन के लिए रेलवे वैगनों की कमी से उत्पन्न स्थिति से पूर्णतया जानकार है । इसका मुख्य कारण रेलवे उपकरणों की चोरियों में वृद्धि का होना है । राज्य सरकार के परामर्श से स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नलकूप

471. श्री दलीपसिंह :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नलकूप-व्यवस्था की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां । चौथी योजना के दौरान 100 कम चौड़ाई वाले उथले नलकूप दिल्ली क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने का प्रस्ताव है । इनमें से 1969-70 के दौरान 30 नलकूप लगाये गये और 1970-71 में आरम्भ किये गये 30 और नलकूप लगभग पूरे हो रहे हैं । शेष नलकूपों को चौथी योजना की शेष अवधि में लगाने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, 3600 पम्पसेट संस्थानीय और निजी विनियोजन से चौथी योजना में लगाने का प्रस्ताव है (लगभग 2000 नलकूपों और 1600 खुदे कुओं पर पम्पसेट लगाये जायेंगे) । 1969-70 और 1970-71 (31-10-70 तक) में लगभग 1800 नलकूप/पम्पसैट लगाये गये ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए लाइसेन्स जारी किया जाना

472. श्री गदाधर शाहा :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटे इस्पात संयंत्र चालू करने के लिए बहुत से लाइसेंस जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी क्षेत्र से कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा उनका व्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग).

परम्परागत निरन्तर ढलाई की प्रक्रिया द्वारा रद्दी लोहे से इस्पात के बिलेट/पिंड करने हेतु सरकार को औद्योगिक लाइसेन्सों के लिए हाल में प्राप्त हुए आवेदनों का ब्यौरा तथा उन पर की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति संलग्न ब्यौरे में दिखाई गई है।

[ग्रंथालय में रखा। गया देखिए संख्या एल० टी० 210/71]

Gold Mine in Andhra Pradesh

473. Shri Mohan Swarup :

Will the Minister of **Steel and Mines** (Ispat aur Khan Mantri) be pleased to state :

(a) Whether a new gold mine has been found in a village in Andhra Pradesh;

(b) If so. the quantity of gold expected therefrom; and

(c) The date from which the excavation work would be taken in hand ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Ispat aur khan Mantralaya) man Rajya Mantry (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (c). The main know gold beoring area in Andhra Pradesh is the Ramigiri gold field in Anantapur District where the Geological survey of Insdia has carried out detailed investigation which indicated that this deposit has the possibility of being developed into a mine. The question of exploiting the depostion on a commercial scale is being examined in consultation with the State Government of Andhra Pradesh.

No other new gold deposit has been found in that State. However, in March, 1970 the Geological Survey of India and the State Department of Mines & Goleogy, Andhra Pradesh, carried out detailed investigations in Narayanpet wea Mahboobnagar District, but these investigations revealed no possibility of finding gold in the area,

मतदान दिवस को वेतन सहित अवकाश

474. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी।
श्री देवेन्द्र सत्पथी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मतदान दिवस मजदूरों के लिए वेतन सहित अवकाश का दिन नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मतदान दिवस को मजदूरों के लिए वेतन सहित अवकाश का दिन बनाने से लिए कानून में संशोधन करने पर विचार करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं। फिर भी भारत सरकार ने अनुदेश जारी किये कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में और केन्द्रीय सरकार के अधीन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी मतदान के दित सवेतन छुट्टी मंजूर की जाय, यदि वह दिन रविवार या किसी सवेतन छुट्टी को न पड़ता हो, बशर्ते कि राज्य सरकार ने उस दिन को अपने क्षेत्र में स्थानीय छुट्टी घोषित कर दिया हो।

(ख) सामान्य श्रमिकों के लिए छुट्टियों के सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय अधिनियम नहीं हैं।

पूर्वी जर्मनी से आयातित खराब ट्रैक्टरों को वापिस भेजना

+

475. विश्वनाथ झुंझुनवाला :
श्री टी० एस० लक्ष्मणन् :
श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी जर्मनी सरकार से अनुरोध किया है कि वे सप्लाई किये गये अपने उन ट्रैक्टरों को वासिस ले लें जो बाद में खराब साबित हुए;

(ख) क्या पूर्वी जर्मन सरकार ने उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो ट्रैक्टरों को किसकी लागत और खर्च पर वापिस भेजा जायेगा; और

(घ) क्या पूर्वी जर्मन सरकार केवल बिना बिके ट्रैक्टरों को वापिस लेगी अथवा उनके द्वारा बेचे गये सभी ट्रैक्टरों को जो बेचने के बाद खराब हुए ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ). पूर्वी जर्मनी के सप्लायर अशोधित आर० एस०—09 ट्रैक्टरों को वापिस लेने के लिये सहमत हो गए हैं। 21 फरवरी, 1971 को राज्य व्यापार निगम तथा पूर्वी जर्मनी के सप्लायरों के मध्य हस्ताक्षर किये गए नयाचार की एक प्रतिलिपि संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 211/71**] नयाचार में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इन ट्रैक्टरों की वापिसी का प्रबन्ध सम्बन्धित राज्य कृषि-उद्योग निगमों द्वारा किया जाएगा। किसानों और कृषि उद्योग निगमों द्वारा इस हानि को किस सिद्धान्त के आधार पर वहन किया जाएगा, इस पर कृषि उद्योग निगमों द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

Crash Programme for Removal of Unemployment in the Country

476. Shri Ramavatra Shastri
Shri B.K. Daschowdhury
Shri D.K. Panda :

Will the **Minister of Agriculture** (Krishi Mentri) be pleased to state :

(a) Whether Government have formulated a scheme to utilise Rs. 50 crores provided for the purpose of removing unemployment;

(b) If so the details thereof;

(c) Whether State Governments have also been asked to communicate their views in this regard; and

(d) If so, the details of the views expressed by the State Governments as also the action of the Centrol Government there to ?

The Minister of State in the Ministry of Agriclture Krishi Mantralaya Men Rajya Mantri Shri Sher Singh) : (a) & (b). The Crash Scheme for Rural Employment with an outlay of Rs. 50 crores during the year 1971-72 has been formulated. The scheme will be implemented by the State Governments/Union Territories with 100 o/o financial assistance by the Central Government. Additional employment is designed to be generated through a net work of rural projects of various kinds which are labour-intensive and create durable assets. Employment is to be provided in every district for at least 100 persons

for a period of 10 months in a year at a wage not exceeding Rs. 100/- per month. An amount, equivalent to one-fourth of the wage cost, will be available for materials and equipment. The order of outlay will be Rs. 12·50 lakhs per district per annum.

(c) & (d), The scheme was forwarded to the States. Twelve State Governments and seven Union Territory Administrations have already sent proposals giving details of some of the projects that would be taken up under the scheme. Proposals for eight States and six Union Territories have since been sanctioned for implementation. Proposals from the remaining States are under examination.

जर्मन लोकतान्त्रिक गणराज्य से आयातित खराब आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के बदले में उपयुक्त ट्रैक्टरों का आयात

478. श्री रामसहाय पांडे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जर्मनी से आयातित सभी ट्रैक्टर खराब पाये जाने पर उस देश को लौटा दिए गए हैं;

(ख) खराब आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के बदले में बढ़िया ट्रैक्टरों के आयात करने तथा उनको उन किसानों को जिन्हें वे ट्रैक्टर सप्लाई किए जाने हैं, सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं;

(ग) नए ट्रैक्टर कब तक प्राप्त होंगे और उन्हें कब तक किसानों को सप्लाई किया जायेगा; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए ट्रैक्टर भारतीय किसानों की मांगों के अनुकूल हों क्या उपाय किये गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क). आशोधित आर० एस०-09 ट्रैक्टरों को वापस करने के लिये राज्य-व्यापार निगम और पूर्वी जर्मनी के बीच 21-2-71 को एक नयाचार पर हस्ताक्षर किये गये थे। नयाचार की एक प्रति संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 212/71]** नयाचार की शर्तों के अनुसार आशोधित आर० एस०-09 ट्रैक्टरों की वापसी की व्यवस्था करने के लिये सबन्धित राज्य कृषि-उद्योग निगमें कदम उठा रही हैं।

(ख) से (घ) खराब आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के बदले में ट्रैक्टर आयात करने के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किये गये हैं। फिर भी सम्बन्धित राज्य-कृषि-उद्योग निगमों को सलाह दी गई है कि वे जैटर और उरसुस जैसे लोकप्रिय ट्रैक्टर इनके बदले में यथा सम्भव देने के प्रयत्न करें। जो कृषक कोई अन्य ट्रैक्टर लेना न चाहें, उन्हें निगम उन वित्तीय संस्थाओं की सलाह से जिन्होंने ऋण दिया है, नकद रूप में रुपया वापस करने पर विचार कर सकती है। इस मंत्रालय द्वारा इन ट्रैक्टरों का नियतन संबंधित राज्य कृषि उद्योग निगमों को वर्तमान आयतों में से पहले ही कर दिया गया है। आवश्यकता के अनुसार इन्हें और ट्रैक्टर भी नियत किये जायेंगे।

Freight Charges on Imported Foodgrains

479. Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Agriculture** (Krishi Mantri) be pleased to state.

(a) The expenditure incurred in terms of freight by Government on transportation of foodgrains imported from foreign countries during 1969-70 and 1970-71; and

(b) The provision made for this purpose for the financial year of 1971-72 ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Krishi Mantralya Men Rajya Mantri)--Shri Annasaheb P. Shinde:

(a) Year	Estimated amount of ocean freight in crores of rupees.
1969-70	51.09
1970-71	48.55

(The expenditure was incurred by the Food Corporation of India on whose account imports were made).

(b) : The expenditure on ocean freight during 1971-72 may be of the order of Rs. 35 crores,

कोयला उत्पादन में कमी

480. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970 में कोयला उत्पादन की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कोयला उत्पादन के लक्ष्य को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या विशिष्ट कारण हैं;

(ग) क्या कोयला उत्पादन में और अधिक कमी को रोकने तथा सम्भावित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार का विचार बड़े तापीय संयंत्रों की स्थापना करने और अन्य उपाय करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं। तथापि कोयले के उपयोग की उपनति और उपभोक्ता उद्योगों के कार्यक्रम में प्रगति को ध्यान में रखते हुए कोयला-उत्पादन के लक्ष्य को तत्कालिकतः पुनरीक्षित किया जाएगा।

(ख) उत्पादन-ह्रास प्रमुखतः कोयले के परिवहन के लिए वैगनों की कमी और इस्पात संयंत्रों आदि द्वारा कम अपक्रय के कारण से हुआ।

(ग) और (घ) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पहले ही अनेक बड़े तापीय बिजली घरों की स्थापना अन्तर्विष्ट हैं और पश्चातवर्ती योजनाओं में और अधिक लिये जा सकेंगे। कुछ अन्य बड़े कोयला उपभोक्ता सेक्टरों में सम्मुख विकासीय कार्यक्रम है। सरकार ने राष्ट्रीय ईधन नीति की सिफारिश देने के लिए उच्च शक्तियुक्त समिति गठित की है और आशा की जाती है कि उसकी सिफारिशों से कोयला उद्योग के भावी विकास पर प्रचुर प्रभाव पड़ेगा।

भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में समानता

+

481. श्री एम० कतामुतु
श्री दंडपाणि
श्री जी० विश्वनाथन् :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि की जोतों सम्बन्धी राज्य कानूनों में समानता लाने और इसे परिवार के आधार पर निश्चित करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). यह मामला केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के विचाराधीन है ।

वध निषिद्ध पक्षियों को मारने के लिये कार्यवाही

482. श्री मनोरंजन हाजरा :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन दो अमरीकी आयात कर्ताओं के विरुद्ध अभियोग चलाये जाने की ओर दिलाया गया है, जिन्होंने तमिलनाडु के मुदुमलाय आखेट वर्जित स्थल से भारतीय भूरी जंगली मुर्गियों के 262 गरदन-परों का आयात किया था; और

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है जो भारत में वध निषिद्ध पक्षियों के वध के लिए उत्तरदायी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख). जी हां । नयी दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास द्वारा फरवरी, 1971 में मैसर्स हरटर्स इन्क वासेका, मिनिसोटा का जाली सीमाशुल्क घोषणा-पत्र के अधीन भारत से संयुक्त राज्य अमरीका में भूरी जंगली मुर्गियों के गर्दन-पैरों के आयात का एक मामला हमारे प्रकाश में आया है । आयातित खालों की संख्या और वे किस स्रोत से भारत में प्राप्त हुई हैं, उपलब्ध नहीं है । ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे यह पता चले कि ये गर्दन-पर तमिलनाडु के मुदुमलाय आखेट से लिये गये हैं । फिर भी, सप्लाई के अन्य स्रोतों के बारे में जाँच जारी है ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के लिये शरणार्थी शिविरों की दयनीय स्थिति

483. श्री वीरेन दत्त :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के आने के कारण शरणार्थी शिविरों में बहुत भीड़ हो गयी है;

(ख) क्या औषधियों और डाक्टरों की कमी के कारण शिविरों में सफाई रखना कठिन हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का वहां महामारी को फैलने से रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क). जी, हाँ, ।

(ख) और (ग) : अचानक भारी संख्या में शरणार्थियों के आ जाने के कारण भीड़ हो जाने से, प्रारम्भिक अवस्था में सफाई का अपेक्षित स्तर बनाए रखने में कुछ कठिनाई हुई है। किन्तु शिविरों में शरणार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राज्य सरकारों के लोक स्वास्थ्य विभागों के माध्यम से चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य सुविधाओं की, जिसमें पानी की सप्लाई और सफाई भी शामिल है, आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है। जहाँ आवश्यकता होती है, केन्द्रीय सरकार दवाइयो के भंडार,दवाइयां रोगाणुनाशक की व्यवस्था कर रही है और कुछ मामलों में राज्य सरकारों के विभागीय संगठनों को मजबूत बनाने के लिये चिकित्सा का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की भी व्यवस्था कर रही है। महामारियों को फैलने से रोकने के लिए निरन्तर सतर्कता बरती जा रही है। शिविरों में पंजीकरण के बाद शरणार्थियों को हैजा और चेचक का टीका लगाया जाता है। अन्य रोक-थाम के उपाय जो किए जा रहे हैं उनमें पूर्वी बंगाल के साथ वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में रोग से रक्षा के अभियान में वृद्धि, पर्याप्त मात्रा में टीकों, रोगाणुनाशक और दवाइयों का स्टाक रखना, सफाई इत्यादि के वातावरण में सुधार, विशेषकर पानी के स्रोतों को रोगाणुओं से बचाने का प्रबन्ध और संक्रामक रोगों से रोगियों को अलग रखने के लिए अतिरिक्त शय्याओं की व्यवस्था शामिल है।

Refugees from East Bengal

485. Shri M.C. Daga :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **(Labour and Rehabilitation Shram aur Punarvas Mantri)** be pleased to state the number of refuees who crossed over to India during March and April, 1971 in the wake of genocide committed by the Government of Pakistan in East Bengal and the arrangements made by the Government of India for them ?

The Minister of Labour Rehabilitation **(Shram aur Punarvas Mantri) Shri R.K. Khadilkar :** According to information available, 300 refugees entered India during the month of March, 1971 (from 26.3,1971 to 31.3.1971) and 12,51,244 during April, 1971, bringing the total number of refugees who have entered India upto 30.4.1971 to 12,51,544.

The Government of India have issued instructions to the Governments of the border States of West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura, and also the Government of Bihar where some refugees have crossed over through West Bengal, to provide relief to the refugees in the shape of improvised shelter and food. In addition, arrangements have been made to provide medical facilities and steps have been taken to control epidemics.

दिल्ली में द्रुत कृषि कार्यक्रम योजना

486. श्री भानसिंह भौरा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन की कृषि द्रुत कार्यक्रम की एक करोड़ रुपये की योजना में गत तीन वर्षों के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ख) क्या इस योजना के लिये संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष द्वारा दी गई विधि अन्य असम्बद्ध परियोजनाओं पर खर्च की गई है।

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यकरण की कोई जांच की है। यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) दिल्ली प्रशासन ऐसी कोई योजना नहीं चला रहा है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं होते।

चसनाला कोयला खान, सिन्दरी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

487. श्री बी० के० मोडक :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, सिन्दरी की चसनाला स्थित चसनाला कोयला खान के कर्मचारियों ने अप्रैल मास में हड़ताल की थी, यदि हां तो इसका व्यौरा क्या है;

(ख) कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर्मचारियों की मांगें पूरी करने की दिशा में कोई कार्यवाही की है; और

(घ] यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (घ). मैसर्स इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० का चसनाला की पूर्वी तथा पश्चिमी कोयला खानों, डा० खा० पाथरडीह (धनबाद) के लगभग 79 कर्मचारियों ने बिना सूचना दिये 2-4-1971 को प्रथम पारी से "टूल डाउन" हड़ताल कर दी थी। उनकी मांग थी कि चसनाला कोयला खान की शैफ्ट फनिशिंग के लिये रखे गये कर्मचारियों को, जो पहले ठेकेदारों के पास काम करते थे, और जिन्हें बाद में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्रबन्धकों ने कुछ समय के लिए पुनः रख लिया था, उनके वर्तमान वेतन पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जाए। ३-4-71 से यह हड़ताल खान के सभी भागों में फैल गई। इस विवाद में चसनाला कोयला खान के 831 कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। इस हड़ताल से जितपुर कोयला खान से रज्जुपथ द्वारा उनकी चसनाला कोयला शोधनशाला तक कोयला ले जाने का काम भी ठप्प हो गया जिससे प्रबन्धकों को जितपुर कोयला खान के लगभग 2000 कर्मचारियों को जबरन छुट्टी देनी पड़ी। यह हड़ताल माइन मजदूर यूनियन ने करवाई थी।

सहायक श्रम-आयुक्त (केन्द्रीय) धनबाद ने तत्काल हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को 5-4-1971 को तथा6-4-1971 को बातचीत के लिए बुलाया परन्तु कोई समझौता न हो सका। जबकि हड़-

ताल समाप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे थे, माइन मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ने 17-4-1971 को 7 बजे सायं से भूख हड़ताल कर दी। पटना में बिहार राज्य के ऊपर मुख्य सचिव के समक्ष 13-4-71 को हुई बातचीत तथा उपयुक्त, धनबाद, के समक्ष 20-4-71 को आगे हुई बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में हुए समझौते के आधार पर 20-4-71 को दूसरी पारी से यह हड़ताल तथा समझौते के अनुसार ठेकेदारों के पास पहले काम करने वाले कर्मचारियों को इण्डियन भूख हड़ताल खत्म कर दी गई। आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में भविष्य में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिये प्राथमिकता देने तथा हड़ताल की अवधि के वेतन के मामले आदि मुख्य श्रम-आयुक्त (केन्द्रीय) को पंच-निर्णय हेतु भेजे जाने थे। इस बारे में दोनों पक्षों की पंच निर्णय के लिए रजामन्दी की प्रतीक्षा की जा रही है।

केरल में नींडाकारा पर मत्स्य बन्दरगाह का विकास

488. **श्री सी० जनार्दनन** :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में नींडाकारा नामक स्थान पर मत्स्य बन्दरगाह परियोजना नींडाकार के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) और (ख). नींडाकारा नामक स्थान पर एक मत्स्य बन्दरगाह के लिए जुलाई, 1970 में इस मन्त्रालय ने एक परियोजना प्रति-वेदन प्राप्त किया। कुल अन्दाजा 762·33 लाख रुपये का जिसमें (क) बन्दरगाह निर्माण (195·97 लाख रुपये) और (ख) तट निर्माण (566-36 लाख रुपये) सम्मिलित हैं। प्रतिवेदन यू०एन०डी०पी०, परियोजना को, मत्स्य बन्दरगाहों के निवेश पूर्व सर्वेक्षण के लिए, जो केरल में लघु पत्तनों पर अतिरिक्त मतस्य बन्दरगाहों के स्थानों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विचाराधीन करना है, भेज दिया है। केरल में लघु पत्तनों पर मत्स्य बन्दरगाह सुविधाओं के लिये मौजूदा मंजूरी लगभग 220-00 लाख रुपये की है। मौजूदा या स्वीकृत बन्दरगाहों पर अजिरिक्त बन्दरगाह और सुविधा प्रसारण के लिये, 10 स्थानों का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना के द्वारा सर्वेक्षण के लिये केरल राज्य ने प्रस्ताव किया है। नींडाकारा 10 बन्दरगाहों की इस सूची में सम्मिलित है। नींडकारा पर एक बन्दरगाह की मन्जूरी का प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना द्वारा केरल राज्य से परामर्श करके अग्रता निश्चय करने, और वरित स्थानों पर उसके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद विचाधीन होगा।

छठवें भारतीय सहकारी सम्मेलन में दिये गये सुझाव

+

489. **श्री बी० एन० रेड्डी** :

श्री पी० गंगादेव :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी।

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हुए छठवें भारतीय सहकारी सम्मेलन से सरकार को कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां तो उसके सुझाव तथा संकल्प किस प्रकार के हैं; और

(ग) उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). छठवें भारतीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने सरकार को सम्मेलन के प्रारूप-संकल्प भेजे हैं। उनके अन्तर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं :—

(1) सहकारी आन्दोलन के बारे में सामान्य पहुच।

(2) सहकारी ऋण।

(3) सहकारी विपणन, विधायन, भण्डारण तथा संभरण।

(4) उपभोक्ता सहकारी समितियां।

(5) औद्योगिक सहकारी समितियां।

(6) शहरी ऋण।

(7) सहकारी आवास।

(8) सहकारी बीमा।

(9) सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा

(10) महिला शिक्षा।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने यह भी सूचित किया है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की प्रशासी परिषद द्वारा अभी इन संकल्पों पर विचार किया जना है तथा इन्हें अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) अन्तिम रूप से स्वीकृत किए गए संकल्पों की प्रतीक्षा हैं।

हाथकरघा कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मंजूरी

490. श्री चन्द्रप्पन क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का हाथकरघा उद्योग के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी लागू करने के लिये कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो उसका व्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

481. श्री चन्द्रप्पन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कब तक कर देगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) समिति ने प्रारम्भिक कार्य समाप्त कर लिया है और जन साधारण संगठनों आदि से विचार एवं टीकायें आमन्त्रित करने के बाद शीघ्र ही जारी की जाने वाली प्रश्नावली को अन्तिम रूप दे दिया।

(ख) इस बारे में इस समय बताना सम्भव नहीं है, यद्यपि समिति जितनी जल्दी हो सके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में पूरा पूरा प्रयत्न कर रही है।

Registration of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Candidates with Employment Exchanges.

492. Shri P.L. Barupal :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** (Shram aur Punarvas Mantti) be pleased to state :

(a) whether it is essential for the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes to get their names registered with the Employment Exchanges in order to get employment in Government and private services; and

(b) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for which as Scheduled Caste/Tribe candidate is required to bring Employment Exchange registration card with him after he has applied for a post in a Government Department particularly when some posts are reserved for them ?

The Minister of Labour and Rehabilitalion Shram aur Punarvas Mantri Shri R.K. Khadilkar : (a) It is essential for all persons (including those belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) to get their names registered with emplooment exchanges for being considered for Central Government vacancies other than those filled by promotion/transfer or on the result of any examination conducted or interview held by or on the recommendation of an agency such as the Union Public Service Commission, Railway Service Commission and the like. It is not obligatory for job seekers to register with the employment exchange for entry into private services unless they want assistance of the exchange in securing employment.

(b) Does not arise.

सहकारी शीतागारों द्वारा मुनाफे का किसानों को छूट के रूप में वापस दिया जाना

493. श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी शीतागारों को यह परामर्श दिया है कि वे अपने लाभों का बड़ा भाग किसानों को छूट के रूप में बांट दें। और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसमें कहां तक सफलता मिली है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). सरकार ने सहकारी शीत भण्डारों के लाभ का उपयोग करने के बारे में कोई औपचारिक पत्र जारी नहीं किया है। तथापि, 15 और 16 अप्रैल 1971 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा आयोजित प्रथम अखिल भारतीय सहकारी शीत भण्डार सम्मेलन ने सुझाव दिया कि सहकारी शीत भण्डारों को

चाहिए कि वे आवश्यक सांविधिक आरक्षण निधियों की व्यवस्था करने के बाद बाकी अधिशेष के कम से कम 50 प्रतिशत भाग का उपयोग सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले भण्डारण प्रभार के आधार पर उनको कटौती देने के लिए करें। सम्मेलन ने यह भी सुझाव दिया कि यह सिद्धान्त सहकारी शीत भण्डारों की उपविधियों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकारों तथा साथ ही सम्बन्धित सहकारी समितियों को इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए कहेगा।

रानीगंज, बर्दवान में विक्टरी कोयला खान (एम) ग्रुप में तालाबन्दी

494. श्री मनोरंजन हाजरा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रानीगंज, बर्दवान में विक्टरी कोयला खान (एम) ग्रुप की अवैध तालाबन्दी की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ग) इस तालाबन्दी के क्या कारण हैं;

(घ) तालाबन्दी के फलस्वरूप कुल कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा तालाबन्दी समाप्त कराने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). विक्टरी कोयला खान (एस० जे० ग्रुप) के प्रबन्धकों द्वारा की गई अभिकथित अवैध तालाबन्दी के सम्बन्ध में 8 फरवरी, 1971 को सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), रानीगंज के समक्ष एक औद्योगिक विवाद उठाया गया। प्रबन्धकों ने यूनियन के आरोप का खण्डन किया है और यह कहा है कि श्रमिकों ने हिंसात्मक कार्यवाही शुरू की थी, जिसके परिणामस्वरूप प्रबन्ध सम्बन्धी और पर्यवेक्षी कर्मचारियों ने काम करने से इनकार कर दिया था प्रबन्धकों के अनुसार यह तालाबन्दी नहीं थी, बल्कि खनन कर्मचारी वर्ग और पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा की गई हड़ताल थी।

(घ) कामबन्दी से 700 श्रमिक प्रभावित हुए।

(ङ) केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क तंत्र के अधिकारियों ने सम्बन्धित पक्षों के साथ अनेक बार विचार-विमर्श किया और अन्त में 12 अप्रैल, 1971 को समझौता करा दिया। परिणामस्वरूप, कोयला खान में 13 अप्रैल, 1971 से काम शुरू हो गया।

वर्ष 1971-72 के लिये कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन

+

495. श्री दशरथ देव :

श्री निहार लास्कर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 के लिए कृषि मूल्य आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) यदि हाँ, तो उसमें दिये गये सुझावों का सार क्या है; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे (क) (ख) और (ग) सम्भवतः इसका तात्पर्य 1971-72 मौसम के रबी खाद्यानों के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट से है । इस रिपोटं में दिये गये मुख्य सुझाव ये है । (क) 1971-72 के विपणन मौसम के लिये गेहूं अधिप्राप्ति लक्षय 4० लाख मीटरी टन रखे जायं और (ख) सब राज्यों के लिये गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य समान रखे जायें देशी लाल किस्म के लिये 68/ रु० प्रति क्विन्टल और साधारण सफेद देशी और विभिन्न मेक्सीकन किस्मों के लिये 74/-रु० प्रति क्विन्टल रखे जायें । भाग (क) में दी गई सिफारिश सरकार द्वारा मान ली गई है। जहाँ तक सिफारिश (ख) का सम्बन्ध हैं यह निर्णय किया गया है । कि देशी लाल गेहूँ के अतिरिक्त गेहूं की सब किस्मों के लिये 76/- रु0 प्रति क्विन्टल अधिप्राप्ति मूल्य जारी रखे जायें । जहाँ तक देशी लाल गेहूँ का सम्बन्ध है यह निर्णय किया गया है कि राज्य सरकारें इनके मूल्य केन्द्रीय सरकार की सलाह से निर्धारित करेंगी बशर्ते कि यह मानक किस्मों के मूल्यों से कम से कम 2/-रु0 प्रति क्विन्टल कम होने चाहिये ।

आयोग ने हाल में ही 1971-72 के मौसम के लिये गन्ना रुई और पटसन और खराफ अनाजों के मूल्य नीति और साथ ही साथ न्यूनतम साहाय्र मूल्यों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की है । ये रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

रबी के मौसम के दौरान गेहूँ का वसूली मूल्य

+
96. श्री पी० गंगा देव :
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की यह सिफारिश रद्द कर दी है कि चालू रबी को मौसम में गेहूं का वसूली मूल्य कम कर दिया जाये, और

(ख) यदि हाँ तो सिफारिश के रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों का सारांश तथा उन पर लिया गया सरकार का निर्णय दिया गया है ।

(ख) राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श करने के बाद मूल्यों की घोषणा की गई थी । यह निर्णय लिया गया था कि मूल्यों को कम न किया जाय जैसा कि कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की थी क्यों कि इससे अधिप्राप्त एवं किसानों के उत्पादन में वृद्धि करने के उत्साह पर बुरा प्रभाव पड़ता ।

विवरण

कृषि मूल्य आयोग द्वारा 1971-72 के विपणन मौसम के लिये अभिस्तावित गेहूं का अधि- प्राप्ति मूल्य और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य विवरण ।

—	(रु0 प्रति क्विन्टल)
कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित मूल्य	**सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य**
देशी लाल 68.00 रुपये	71.00 से 74.00 रुपये
मक्सिकन देशी 74.00 (साधारण सफेद)	76.00 रुपये

प्रत्येक राज्य में मूल्य निर्धारित किये गए हैं जैसा कि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई थी।

मद्रास के गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

+

497. श्री पी० गंगादेव :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह सब बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल 1971 में मद्रास के गोदी कर्मचारियों ने अनिश्चित काल तक के लिए हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रम मंत्री ने प्रतिनिधियों और अधिकारियों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए कठिन परिश्रम किया था;

(ग) किन कारणों से हड़ताल की गई; और

(घ) क्या सरकार ने उनकी माँगें स्वीकार कर ली हैं ताकि हड़ताल शीघ्र ही समाप्त हो जाये ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) गोदी कर्मचारी 8 अप्रैल 1971 से 25 अप्रैल 1971 तक हड़ताल पर थे।

(ख) श्रम मंत्री के हस्तक्षेप से, संबंधित पक्षों के बीच नई दिल्ली में 25-4-1971 को एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार 26-4-1971 से हड़ताल समाप्त की गई।

(ग) विवाचन की पंचाट की क्रियान्वित और 14-4-71 तक बकाया की अदायगी सूचीबद्ध श्रमिकों के लिए पूर्ण मंहगाई भत्ता सूचीबद्ध श्रमिकों के लिए 21 दिन की न्यूनतम गारंटीकृत मजदूरी की अधिक महत्वपूर्ण मांगें थीं।

(घ) समझौते के अनुसार, श्रमिक नियोजित करने वाले पदाधिकारियों ने 31 मई, 1971 तक बकाया की अदायगी करना और पंचाट की क्रियान्विति करना मान लिया है। इसके अतिरिक्त, अयस्क अनुभाग के सूचीबद्ध श्रमिकों को 1 मई, 1971 से एक महीने में 16 दिनों की न्यूनतम गारंटीकृत मजदूरी दी जायेगी।

छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना

+

498, श्री पी० गंगादेव :

श्री निहार लास्कर :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में पांच छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों में प्रत्येक की क्या क्षमता होगी;

(ग) इससे इस्पात की माँग और उत्पादन का अन्तर किस सीमा तक कम हो जायेगा और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (घ). संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय उन एककों से है जिन्हें एकक अनुमोदित किया गया और जिनमें रद्दी लोहे से सीधे इस्पात बिलेट तैयार करने के इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस-एवं लगातार ढलाई मशीनें होंगी। सरकार ने सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में इस किस्म के छः कारखाने स्थापित करने की अनुमति दे दी है। इन कारखानों के काफी जल्दी तैयार हो जाने की संभावना है और इस तरह इस्पात के बिलेट की वर्तमान तथा प्रत्याशित कमी पूरी हो जाएगी।

(ख) उपरलिखित छः कारखानों की क्षमता नीचे दी गई है :—

	टन प्रति वर्ष
(1) मेसर्स पंजाब कनकास्ट—जिसे पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम ने स्पान्सर किया है।	50,000
(2) मैसर्स मोदी ईन्डस्ट्रीज	50,000
(3) मैसर्स आन्ध्र स्टील कारपोरेशन	50,000
(4) मैसर्स राठी एलायेज एण्ड स्टील लि०	40,000
(5) मैससं इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग लि०	40,000
(6) मैसर्स स्टील कम्पलैक्स, केरल (इसमें केरल औद्योगिक विकास निगम के शेयर हैं)	50,000

(ग) देश में बिलेट रीरोलरों की अनुमोदित क्षमता 30 लाख टन प्रति वर्ष है जबकि इस समय प्रमुख इस्पात कारखाने लगभग 6 लाख टन बिलट तैयार करते हैं। उपरलिखित छः कारखानों के 1972 में उत्पादन आरम्भ करने की संभावना है इसलिए आशा है कि 1972 के बाद ये कारखाने लगभग 280,000 टन प्रति वर्ष तक के अन्त को दूर करने में योगदान देंगे।

पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी

+

499. श्री पी० गंगादेव :

श्री आर०वी० बड़े :

श्री श्यामनन्दन मिश्र :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान में स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान शरणार्थी, जिनमें मुसलमान भी हैं, सीमा पार करके भारत में आये हैं।

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है और उनमें से त्रिपुरा आदि के शरणार्थी शिविरों में क्रमशः कितने-कितने शरणार्थियों को रखा गया है;

(ग) उनके पुनर्वास हेतु क्या उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या शरणार्थियों के कल्याण तथा उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास किये गये हैं। यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) उन पर अभी तक कितना व्यय हुआ है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) तथा (ख) जी, हां। पूर्वी बंगाल में हो रहे अत्याचारों के कारण वहां से सभी धर्मों के शरणार्थी जिनमें मुसलमान भी हैं भारत आए हैं। 24.5.1971 तक 35.56 लाख शरणार्थी भारत आ चुके हैं जिनमें से 18.19 लाख शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और बिहार के राहत शिविरों में रखा गया है। उनका राज्यवार वितरण नीचे दिया गया है :—

	(व्यक्ति)
पश्चिम बंगाल	12.98 लाख
आसाम	0.49 लाख
मेघालय	1.66 लाख
त्रिपुरा	3.03 लाख
बिहार	0.03 लाख
	18.19 लाख

(ग) चूंकि ऐसी आशा है कि जैसे ही सामान्य स्थिति पैदा होगी ये शरणार्थी अपने घरों को लौट जाएंगे, इसीलिए सरकार भारत में उनके पुनर्वास के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं कर रही है।

(घ) जी, हां। भारत सरकार ने इस विराट मानवीय समस्या के हल के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए सभी विदेशी सरकारों से अनुरोध किया है। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं से नकद या सामान दोनों ही रूपों में कुछ सहायता प्राप्त हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग के एक प्रतिनिधि मण्डल ने शरणार्थी शिविरों का दौरा भी किया है और स्थिति तथा आवयश्कताओं का पता लगाया है। किन्तु विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता की मात्रा अभी मालूम नहीं है।

(ङ) किए गए खर्च के वास्तविक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अधिकतर खर्च राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है जिसकी अन्ततः भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी। राहत

पर होने वाले खर्च के लिए 24.5.1971 तक "आन एकाउन्ट एडवांसेज" के रूप में संबंधित राज्य सरकारों को 6 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि मंजूर की जा चुकी है तथा इन शरणार्थियों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए भारत के खाद्य निगम को 800 लाख रुपए अग्रिम दे दिए गए हैं।

राज्यों में भूमि-लगान समाप्त किया जाना

500. श्री राज सिंह देव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य सरकार ने हाल ही में भूमि का लगान समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य उत्पादनों की वृद्धि करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य राज्यों पर भी यह दबाव डालने का है वे भी भूमि-लगान समाप्त कर दें ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) पंजाब सरकार ने भूमि राजस्व समाप्त करने का निर्णय किया है, निर्णय को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) भूमि राजस्व राज्य सरकार का विषय है।

खाद्यान्नों का आयात

+

501. श्री राज रार्जासिह देव :

श्री राम सहाय पांडे :

श्री के०एस० चावडा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों के कुल कितने उत्पादन की संभावना है और खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं;

(ख) पिछले वर्ष अमरीका तथा अन्य देशों से आयात किये गये खाद्यान्नों की मात्रा क्या थी और चालू वर्ष में कितना अनाज आयात किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार ने अमरीका अथवा किसी अन्य देश से खाद्यान्नों का आयात बन्द करने का निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) 1970-71 के दौरान गेहूँ तथा अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। मौजूदा संकेतों के अनुसार 1970-71 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1050 से 1060 लाख मी० टन तक हो सकता है।

खाद्य उत्पादन के लिए जो मुख्य उपाय अपनाए गए हैं उनमें अधिक उपज देने वाली किस्मों बहु-फसली कार्यक्रम, उर्वरकों का अधिक प्रयोग, कीटाणुओं के नियंत्रण के व्यापक तथा ठोस उपाय,

सिंचाई सुविधाओं में सुधार, अच्छे बीजों तथा कृषि औजारों की सप्लाई और किसानों को अच्छा उत्पादन करने के लिए ऋृण प्रदान करना तथा उन्हें प्रोत्साहन देना शामिल है।

(ख) 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों से लगभग 36 लाख मी० टन खाद्यान्नों का आयात किया गया था। 1971 में लगभग 30 से 35 लाख मी० टन खाद्यान्नों का आयात किया जा सकता है।

(ग) यह परिकल्पना की जाती है कि 1971 के बाद खाद्यान्नों का रियायती आयात बन्द कर दिया जाएगा।

Conference of Agriculrural Universities.

502. Shrl R. C. Vikal :

Will the Minister of Agriculture (Krishi Mantri) be pleased to State :

(a) Whether some demands were put forward in the Agricultural Universities Conferences held in Jullunder last year and in Pant Nagar (U. P.) in April, 1971;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) the difficulties being experienced by Government in meeting those demands ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya Men Rajya Mantri) (Shri Annasaheb P. Shinde : (a) Yes, Sir. The Association of Aricultural Universities did make some demands at the two conventions held at Ludhiana (not Jnllunder) and Pantnagar.

(b) Tne demands are administrative and Largely relate to increased financial assistance for the development of Agricultural Universities and the procedures adopted to give such assistance. Some of the demands olso relate to the research and extension responsibilities of the Agricultural Universities.

(c) The Association has been assured that the Government is anxious to give maximum possible support to all the Agricultural Universities. The main difficulty in meeting these demands has been the overall inadequacy of financial resources for country's various Plan projects, However, the demands from Agricultural Universities have always received them most sympathetic attention of the Goverment. Due priority has been given to the Agricultural Universities Development Project.

गेहूं के वसूली मूल्य में वृद्धि

503. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गेहूँ के वसूली मूल्य में वृद्धि करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की बैठक

+

504. श्री श्यामनन्दन मिश्र :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1971 में केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो किन विषयों पर चर्चा हुई थी और क्या निष्कर्ष निकले थे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) जी हाँ।

(ख) केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की एक बैठक 16 अप्रैल, 1971 को हुई। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब के मुख्य मन्त्री और तमिलनाडु के राजस्व मन्त्री (तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री की ओर से) बैठक में विशेष आमन्त्रित व्यक्तियों के रूप में शामिल हुए। बैठक में निम्न प्रश्नों पर विचार विमर्श किया गया।

1. उच्चतम सीमा क स्तर

यह देखने में आया कि कई राज्यों में उच्चतम सीमा का स्तर अभी भी अधिक था। फिर भी, समिति के पास उपलब्ध आंकड़े अपर्याप्त समझे जाने के कारण यह निश्चय किया गया गया कि उच्चतम सीमा स्तर में कमी करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने से पूर्व, विभिन्न राज्यों से और सूचना एकत्र की जानी चाहिए।

2. उच्चतम सीमा लागू करने की इकाई

उच्चतम सीमा लागू करने की इकाई के सम्बन्ध में, यह निश्चय किया गया कि एक परिवार के सभी सदस्यों द्वारा धारित संपूर्ण क्षेत्र पर उच्चतम सीमा लागू करने की विधि के सम्बन्ध में, कोई भी निर्णय विभिन्न राज्यों के वर्तमान अधिनियमों के उपबन्धों की कार्यान्वित के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद ही किया जायेगा।

3. छूट

यह स्वीकार किया गया कि उच्चतम सीमा से छूट स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कम से कम रखी जानी चाहिए।

खाद्यान्नों की कीमतें निर्धारित करने हेतु मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन

505. श्री श्यामनन्दन मिश्र :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की कीमतें निर्धारित करने हेतु हाल ही में मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें हुई बातचीत के मुख्य परिणाम क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1971-72 मौसम

के लिए रबी खाद्यान्नों की मूल्य नीति पर विचार करने के लिए 17-4-1971 को मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

17-4-71 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें बताने वाला विवरण।

1. 1971-72 के विपणन मौसम के लिए 40 लाख मी० टन गेहूं की अधिप्राप्ति के अभिस्तावित लक्ष्य को मान लिया गया था।
2. किसानों को प्रोत्साहन देते रहने की दृष्टि से अधिकांश राज्यों ने यह महसूस किया कि अधिप्राप्ति मूल्य में कमी करने का कोई औचित्य नहीं।
3. समाज के गरीब वर्ग की सुरक्षा करने की आवश्यकता को देखते हुए निर्गम मूल्यों में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए।
4. न्यूनतम लागत के सिद्धाँत पर कार्य करने के लिए सरकारी एजेंसियों के खाद्यान्नों को सम्भालने सम्बन्धी कार्याचालन की समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
5. यह निर्णय लिया गया कि यथा सम्भव बिचौलियों को हटा दिया जाए तथा सीधे कृषकों से खाद्यान्न अधिप्राप्त किया जाए। गाँवों में अधिप्राप्ति केन्द्र खोलने के लिए सहकारी समितियों की सेवाओं का यथासम्भव अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए।
6. स्टाक के शीघ्र तैयार हो जाने की दृष्टि में गोदामों के निर्माण कार्य को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारें गोदाम बनवाने के प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन में यथा सम्भव अधिक से अधिक सहायता प्रदान करेगी।
7. यह निर्णय लिया गया कि रेल मन्त्रालय के परामर्श से संचलन सम्बन्धी आवश्यक योजना तैयार की जानी चाहिए ताकि रबी मौसम में अधिप्राप्ति तथा संचलन सम्बन्धी कार्य सुगमता से होता रहे।
8. खाद्यान्नों की उपलब्धता में सुधार को देखते हुए यह महसूस किया गया कि बम्बई, कलकत्ता तथा आसनसोल दुर्गापुर कम्प्लैक्स के सांविधिक राशन व्यवस्था के शेष क्षेत्रों से गेहूं के संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटा लेना चाहिए।

सिर पर बोझा ढोने वाले भारतीय खाद्य निगम के मजदूरों को मजदूर संघ अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाना

506. श्री एस० के० गोपालन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम में सिर पर बोझा ढोने का कार्य करने वाले मजदूरों को भी मजदूर संघ अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाने का है;

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में मजदूर संघ के नेताओं द्वारा की गई अपील की ओर आकर्षित किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिये जाने की सम्भावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, 1926 में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो भारतीय खाद्य निगम के सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों को मजदूर संघ बनाने और अधिनियम के अन्तर्गत उसे रजिस्ट्रीकृत कराने में बाधक हो, बशर्ते कि इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों को पूरा कर लिया गया हो। इसलिए, मजदूर संघ अधिनियम के क्षेत्राधिकार में इन श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। किसी अभ्यावेदन के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

आसनसोल कोयला क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल में कोयला-खान मालिकों द्वारा मजदूरों को वेतन का भुगतान न किया जाना

507. **श्री रोबिन सेन :**

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के आसनसोल कोयला क्षेत्र में कोयला खानों के मालिकों द्वारा मजदूरों को देय वेतन का कथित भुगतान नहीं किये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) देय वेतन का भुगतान नहीं किये जाने के क्या करण हैं;

(ग) उन कोयला कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है। जिन्होंने देय वेतन का भुगतान नहीं किया है; और

(घ) सरकार ने देय वेतन का भुगतान करने हेतु कोयला कम्पनियों के प्रबन्धकों पर दबाव डालने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) अदायगी न किये जाने के कारण कोयले के स्टाक का जमा होना; वित्तीय संकट, श्रम कठिनाई आदि हैं।

(ग) निम्नलिखित कोयला-खानों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं :—

(1) मनोहर बहल कोलियरी।

(2) साउध जयरामडांगा कोलियरी।

(3) निम्चा कोलियरी।

(4) विक्टरी (एमजे) ग्रुप कोलियरी।

(5) मिथापुर कोलियरी।

(6) सेलेक्टेड साम्ला कोलियरी ।
(7) राधामाधवपुर कोलियरी ।
(8) घुसिक कोलियरी ।
(9) मुस्लिया कोलियरी ।
(10) विक्टरी (जीएल गुप) कोलियरी ।
(11) खास जाम्बाद कोलियरी ।
(12) सियरसोल कोलियरी ।
(13) कालीपहाड़ी कोलियरी ।
(14) न्यु घुसिक कोलियरी ।

(घ) प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों को मजदूरी तथा अन्य वैध देय राशि की अदायगी कराने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क तंत्र के अधिकारियों द्वारा कानून के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जा रही है ।

नई डिमागोरिया कोयला कम्पनी द्वारा मजदूरी का भुगतान न किया जाना

508. श्री समर मुखर्जी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में सुलतानपुर स्थित नई डिमागोरिया कोयला कम्पनी के प्रबन्धक गत दो मास से अपने मजदूरों को मजूरी देने से इन्कार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रबन्धकों द्वारा देय मजूरी का भुगतान कराने हेतु अनुरोध करने के लिए कोई कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

पश्चिम बंगाल को खराब किस्म के चावल की सप्लाई सम्बन्धी शिकायतें

509. श्री समर मुखर्जी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस शिकायत की ओर दिलाया गया है कि सरकार पश्चिम बंगाल को खराब किस्म के चावल का नियतन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल को सेला और अच्छी किस्म के चावल की सप्लाई करने हेतु तुरन्त कार्यवाही करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) उड़ीसा से भेजे गये चावल की किस्म के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार से शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) चावल के किस्म सम्बन्धी विवाद को तय करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधियों की कलकत्ता में एक समिति गठित की गई है।

(ग) केन्द्रीय भण्डार से पश्चिमी बंगाल समेत कमी वाले राज्यों को केवल मानक किस्म का चावल ही आवंटित किया जाता है। क्योंकि केन्द्रीय भण्डार में सेला चावल की उपलब्धि सीमित मात्रा में है, पश्चिमी बंगाल को सेला चावल की ही सप्लाई करने सम्बन्धी सभी आश्वासन को पूरा करना सम्भव नहीं है।

नारियल के उत्पादन में वृद्धि करने सम्बन्धी उपाय

510. श्री एस० एम० जोजफ :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नारियल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) देश में नारियल के उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 30 लाख रु० की कुल लागत से निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें हाथ में ली हैं :—

(1) मौजूदा उद्यानों में उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से पैकेज कार्यक्रम। इस उद्देश्य से, राज्यों द्वारा वांछित अतिरिक्त कर्मचारियों को व्यवस्था की जा रही है।

(2) अधिक उपज देने वाले ताड़ पौध तैयार करने के लिए संकर नारियल पौधों का किसानों में वितरण और उनका उत्पादन।

(3) रोपण के लिए श्रेष्ठ पौधों के उत्पादन की दृष्टि से श्रेष्ठ बीज फार्म की स्थापना करना।

(4) नारियल के उद्यानों के विकास के लिए सशक्त समुद्र तट का विकास और साहायय दरों पर नारियल के पौधों की सप्लाई और उत्पादन के लिये एक विशेष कार्यक्रम।

Scheme for Prevention of Sole Erosion Due to Deforestation

511. **N.S. Bisht :** Will the Minister of Agriculture (Krishi Mantri) be pleased to state :

(a) Whether large tracts of land have been cleared of forests during the last three years resulting in soil erosion on a large scale;

(b) If so; the details thareof;

(c) The afforestation schemes proposed to be launched by the Government, especiyall in Uttar Pradesh with the objective of preventing soil erosion and attracting rains; and

(d) The number of persons likely to get employment as a result thereof ?

The minister of state in and ministry of Agriculture (Krishi mantralya men Rajya mantri) (Shri Sher Singh): (a) Yes, sir. An area of 1,227,80 thousand (hectares) has been cleared off during the three years (1967, 1968 and 1969) for permanent alternative uses.

(b) The details of areas cleared off state-wise are appended herewith (Statement I). (Pleased in Library. S No. L. T. 213/71).

(c) These areas have been deforested for premanent alternative uses. A number of reafforestation and afforestation schemes were carried out during the successive Five year Plans. The important plantation schemes were :—

1. Plantation of quick growing species.
2. Economic Plantation for industrial and commercial uses.
3. Farm fores try-cum-fuelwood plantations.
4. Rehabilitation of degraded forests.

The details of areas covered in the country under these schemes during the period from 1966-67, 1967-68 and 1968-69 are given below :—

Scheme	(Thousand hectarss) Area afforested
1. Plantation of quick growing species.	164.60
2. Economic plantations for industial. and Commercial uses.	152.69
3. Farm fores try-cum-fuelwood plantation.	47.80
4. Rehabilitation of degraded forests	77.51
Total :—	442,60

About 833,90 thousand hectares are proposed to be covered under afforestation schemes during Fourth Plan period, in the country.

Uttar pradesh State has planted up an area of 68,36 thousand hectares under these schemes duridg three years 1966-67 to 1968-69. In the Fourth plan, about 148 thousand hectares will be covered under plantation schemes by the State.

As regards prevention of soil erosion, su'table steps are usually taken by the State Forest Departments concerned at the time of deforestation and subsequently when areas are put to other uses.

(d) Forest provide considerable employment to temporary and seasonal workers in creation of forest plantations. No specific studies have been taken so far by the State Forest Departments in respect of number of workers employed in plantation schemes. However, the astimates of labour potential have been Prepared by the Ministry for the guidance of the State Forest Departments. These astimates show that the labour potential of plantation activities is quite high. According to this 14.66 million mandays have been utilised for this work which comes to full time employment of 48,900 workers in creating 442.60 thousand hectares of plantations, by the States and the Union Terri tories during the period 1966-67 to 1968-69.

Unemployment Allowance

512. Shri N. S. Bisht :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation (Shram aur Punarvas Mantri) be pleased to state :

(a) Whether Government have taken any decision to give unemployment allowance to the unemployed persons; and

(b) If so, the date from which this allowance would be given and the basis to be adopted therefor ?

The minister of Labour and Rehabilitation (Shram aur Punarvas Mantri) (Shri R. K. KhadilKar) : (a) No.

(b) Does not arise

Conference to Study Products of Pine Industry

513. Shri N. S. Bisht :

Will the Minister of Agriculture (Krishi Mantri) be pleased to state :

(a) Whether a Conference was convened in new Delhi in April 1971 to study the products of pine industry with a view to give encouragement to the pine industry;

(b) If so, the names of the persons who attended the confernce;

(c) Whether the persons engaged in pine industry were also invited to the said conference; and

(d) The suggestions given by them to the Goverment in this regard ?

The Minister of State in Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya Men Rajya Mantri) (Shri Sher singh) (a) A seminar sponsored by producers and processors of Rosin and Turpentine and co-sponsored by the various All India Organisations like Indian Chemical Manufacturers Association, Indian Paper Mill Association, Indian Paint Association etc. was held on 13th and 14th April, 1971 at Vigyan Bhavan, in New Delhi. The Seminar was on "The Role of Pine Resin in the Economic and Industrial Development of India".

(b) The Organisers have furnished a list of persons who attended the Seminar which is appended herewith. (Placed library see No L T 214/71).

(c) The Seminar was given due publicity by the organisers through newspapers inviting all persons cercerned with Pine Resin industries.

(d) The Seminar was divided into three Sessions.

Session I : History, development and future of Pine Resin in India ;

Session II : Utilisation of Rosin, development of Rosin derivatives and their consuming industries; and

(Placed library see No. L- T. 214/71.)

Session III : Utilisation of Turpentine and development of Terpene Derivatives from constituents of turpentine for industrial use.

Suggestions from the organisers of the Seminar have not been recieved as yet by the Government.

केरल में लोहे तथा इस्पात का वितरण

514 श्री एम० के० कृष्णन् :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य में लघु उद्योगों को नियंत्रित मूल्यों पर लोहे

तथा इस्पात की सप्लाई करने का है ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को लघु उद्योगों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) (क) मुख्य उत्पादक सभी प्रकार का लोहा और इस्पात सारे देश में, जिसमें केरल भी शामिल है, संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निश्चित किये गये समान मूल्यों पर बेचते हैं। एक वैंगन से कम इस्पात देश में खोले गये मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों की मार्फत विनियमित किये गये समान मूल्यों पर दिया जाता है। केरल राज्य के कोचीन में हिन्दुस्तान स्टील लि० तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० का एक एक स्टाकयार्ड है जो उस राज्य के लघु उद्योग क्षेत्र के वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Setting up of a Pelletisation Plant by National Minerals Development Corporation at Bailadilla

515 Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of steel and Mines (Ispat aur Khan Mantri) be pleased to state ?

(a) Whather the Bailadilla Iron Ore Project has yielded iron ore fines in huge quantities;

(b) Whether these are not being utilised in any way;

(c) Whether the National Minerals Development Corporation have unber consideration a proposal to set up a Pelletisation Plant at Bailadilla based on the above fines; and

(d) If so, the present stage of the Proposal and the time by which the Plant is likely to be set up ?

The minister of State in the ministry of steel and mines (Ispat aur Khan mantralaya men Rajya mantri) (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (d) Yes sir. These fines are being stocked separately for future use. The feasibility study for the setting up of a Pelletisation Plant based on these fines has been initiated. The feasibility study is expected to be received shortly. The decision to set up the Pelletisation plant and the time schedule thereof, wiil depend upon the techno-economic feasibility of the project.

अण्दमान और निकोबार द्वीप समूहों से अधिकारियों का स्थानान्तरण

516 श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अण्दमान और नीकोबार द्वीप समूहों से मुख्य भूमि पर अपने स्थानान्तरण के लिए अनुरोध करने वाले अन्य अधिकारियों की कितनी संख्या है;

(ख) उन अधिकारियों की कितनी संख्या है जिनका पहले ही मुख्य भूमि पर स्थानान्तरण हो गया है और कितने अधिकारियों के आवेदन पत्र आये हैं।

(ग) क्या कुछ का स्थानान्तरण डाक्टरी-सलाह के कारण किया गया है ; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे अनुरोधों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) तीन ।

(ख) भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी की अण्दमान और निकोबार द्वीप समूह से उपूसी वन विभाग में बदली गयी है । प्रशासकीय कठिनाईयों के कारण भारतीय वन सेवा के अन्य दो अधिकारियों के अनुरोध को नहीं माना जा सका ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) अस्वस्थता के आधार पर किसी अधिकारी की बदली के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

General Assistance to Madhya Pradesh Regarding Distribution of Low-Yielding Areas

517. Shri Jagannathrao Joshi :

Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Agriculture (Krishi Mantri) be pleased to state ;

(a) The area of such cultivable land at present in Madhya Pradesh in which the yield is not proportionate to its target in the absence of irrigation facilities; and

(b) The assistance given to the State Government during the last two years and proposed to be gived during the financial year 1971-72 for this purpose ?

The minister of state in the ministry of Agriculture Krishi mantralaya men Rajya mantri (Shri Sher Singh) : (a) According to the latest statistics available for the year 1969-70 about 17.0 million hectares of cultivated land in Madhya Pradesh were not provided with Irrigation facilities.

(b) According to the procedure in vogue, Central Assistance is given in the form of block loans and grants and is not related to any individual programme. However, from the funds available under the State Plan the State Government incurred an amount of Rs. 13.97 crores on irrigation schemes, including major, medium and minor. during 1969-70 and Rs. 13.69 crores during 1970-71 (anticipated). The provision recommended for 1971-72 for irrigation schemes is 24.80 crores.

General Directive to Madhya Pradesh Regarding Distribution of Cultivable Fallow Land to Landless.

518. Shri Jagannathrao Joshi :

Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the minister of Agriculture (Krishi Mantri) be pleased to State :

(a) The average of such cultivable land in Madhya Pradesh as is not being cultivated at present on account of its non-allotment and for want of resources; and

(b) The diretcives issued by the Central Government to the State Government in regard to the distribution of the fallow cultivable land among the landless persons and to make the said land more fertile and the assistance given by the Centre to the State Government in this regard as also the future plan in this regard ?

The minister of State in the ministry of Agriculture (Krishi mantralaya men Rajya mantri) (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) Information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा चौथाई लिटर दूध की बोतल की सप्लाई का बन्द किया जाना

519 श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने जनता को चौथाई लिटर दूध की बोतल की सप्लाई बन्द कर दी है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं : और

(ग) क्या इसकी सप्लाई फिर से चालू करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं और उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) (क) दिल्ली दुग्ध योजना ने 18-1-1971 से चौथाई लिटर की दूध की बोतलों की सप्लाई अस्थाई तौर पर बन्द कर दी थी।

(ख) यह तबदीली कार्य सुविधा के लिये की गई। आधे लिटर बोतलों की तुलना में चौथाई लिटर की दूध की बोतलों की मांग बहुत कम है। चौथाई लिटर की बोतलें प्राप्त करने में कठिनाई आई। आधे लिटर से चौथाई लिटर की बोतलें भरने की तबदीली से भी कार्य में कठिनाईयां सामने आई।

(ग) जी हाँ। इन आवेदनों पर विचार करने के पश्चात चौथाई लिटर बोतलों में भी दूध सप्लाई करने का निर्णय किया गया है। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा अतिरिक्त चौथाई लिटर बोतले प्राप्त करने के लिये अपेक्षित प्रबन्ध किये जा रहे हैं यथाशीघ्र यह बोतलें मिलते ही सप्लाई पुनः आरम्भ कर दी जायेगी।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की भुर्कुण्डा कोयला खान, बिहार, के कोयला-खान मजदूरों द्वारा हड़ताल

520 श्री जगदीश भट्टाचार्य :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारी बाग जिले (बिहार) में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की भुर्कुण्डा कोयला खान के कोयला-खान मजदूरों ने हाल ही में हड़ताल की थी, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) मजदूरों की मुख्य मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) क्या उनकी माँगें पूरी करने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) से (ग) : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड की भुर्कुण्डा कोयला-खान के उजरती दर पर काम करने वाले 709

खनिकों ने खनिक सुरक्षा बूट तत्काल सप्लाई करने की मांग को लेकर 15-3-71 की पहली पारी से हड़ताल कर दी । संबंधित पक्षों के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श और समझौते के बाद, 18 मार्च, 1971 की दूसरी पारी से हड़ताल समाप्त हो गई । समझौते के बाद, प्रबन्धकों ने हंटर टाइप बूटों के 1050 जोड़े और कोयला-खान के भूमिगत श्रमिकों के लिए अनुमोदित किस्मों के 400 जोड़े सप्लाई किये हैं ।

रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम को हानि

521 श्री जगदीश भट्टाचार्य :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची को अब तक कुल कितनी हानि हुई है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा हानि को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) हैवीं इंजीनिगरिंग निगम, रांची में 1500 रुपये मासिक से अधिक के वेतन पर कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) (क) 31 मार्च 1970 तक हुई कुल हानि 58.90 करोड़ रुपये हैं। 1970-71 की अवधि में 1600 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है ।

(ख) भारी पूंजी विनियोजन तथा लम्बी जेस्टेशन अवधि के कारण इस आकार तथा प्रकार की परियोजना में उत्पादन के आरम्भिक वर्षों में हानि होनी अनिवार्य है । भारी इंजीनियरी निगम को हुई हानियों का कुछ हद तक यह भी कारण है कि इसमें उत्पादन क्षमता बहुत धीरे-धीरे बढ़ी है जिसके कई कारण हैं और जिनमें एक मालिक-मजदूर सम्बन्धों का सन्तोषजनक न होना भी है । व्याज के भारी बोझ, मूल्य ह्रास तथा ऊपरी खर्चों के कारण भी हानि में वृद्धि हुई है ।

आयोजन तथा उत्पादन नियंत्रण रखने, लक्ष्योन्मुख कार्यक्रम बनाने, प्रबन्धकों की कार्यकुशलता बढ़ाने और मजदूरों की उत्पादन-क्षमता में सुधार करने के लिये बड़े पैमाने पर कदम उठाये गये हैं तथा उठाये जा रहे हैं । इन उपायों के फलस्वरूप भारी इंजीनियरी निगम के कार्यकरण में अगले दो वर्षों में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है ।

(ग) 67 ।

गुजरात में कपास के मूल्यों में गिरावट के कारण कपास के उत्पादनों को हुई हानि

522 श्री डी० डी० देसाई :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण भारत में कपास और अपेक्षाकृत कम फसल होने पर भी जो लगभग 53

लाख गाँठों की है, कपास के मूल्य कम हो गए हैं जिसके कारण गुजरात के कपास उत्पादकों को बहुत अधिक हानि हुई है ;

(ख) क्या यह केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकारियों द्वारा लगाये गये नये कठोर ऋण प्रतिबन्धों और सरकार की कपास के प्रति-नीति के कारण है ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि गुजरात के कपास उत्पादक कृषिकों के साथ भेद-भाव नहीं हो और उन्हें कम दामों पर अपनी कपास बेचने के लिये बाध्य न किया जाये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) गुजरात तथा अन्य कपास उत्पादक राज्यों में सितम्बर, 1970 (चालू कपास मौसम का प्रारम्भ) तथा जनवरी, 1971 में कपास (लिंट) के मूल्य अत्याधिक बढ़े । किन्तु फरवरी, 1971 से मूल्यों में कुछ कमी हुई । भावों में इस गिरावट के बावजूद, वर्तमान मूल्य मौसम के प्रारम्भ के मूल्यों अथवा गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के मूल्यों से सामान्यतः अधिक हैं । 1 मई, 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह में कच्चे कपास के थोक मूल्यों का आर्थिक सलाहकार को सूचकांक 223.8 था जबकि एक वर्ष पूर्व का तदनुरूपी सूचकांक 188.7 था । इस प्रकार लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ख) मूल्यों में हाल के महीनों में होने वाला ह्रास मूलतः कपास की मिलों की सतत् माँग की समाप्ति, आयातित कपास की वास्तविक तथा संभावित आवक, रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा लगाये गये ऋण प्रतिबन्ध तथा सरकार द्वारा मूल्य नियमित करने के लिये अपनाये गये अन्य उपायों के कारण था ।

(ग) यह सही नहीं है कि गुजरात के कपास उत्पादकों कृषकों के प्रति कोई भेद-भाव किया जाता है अथवा उन्हें अपनी कपास कम मूल्य पर बेचने के लिये बाध्य किया जाता है । जो भी कदम उठाये जाते है वे राष्ट्रीय स्तर पर उठाये जाते हैं ।

हैवी इंजीनियरिंग निगम. रांची के मजदूरों की शिकायतों के बारे में संसद सदस्यों से अभ्यावेदन

+

523 श्री दिनेश जोरदर :

श्री ए० के० साहा :

क्या **इस्पात तथा खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग निगम के मजदूरों की कुछ शिकायतों के बारे में संसद सदस्यों की ओर से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (घ) : भारी इंजीनियरी निगम के प्रबन्धक वर्ग तथा कर्मचारियों के बीच 1969 में हुये समझौते की

मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित एक धारा की व्याख्या के बारे में हाल में संसद सदस्यों के कुछ पत्र प्राप्त हुये हैं। प्रबन्धक वर्ग तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने आपसी बातचीत द्वारा इस मामले को सन्तोषजनक ढंग से हल कर लिया है।

Famine Areas and Scarcity Hit Areas in Bihar

524. Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of Agriculture (Krishi Mantri) be pleased to state :

(a) whether Bihar Government had declared Certain areas as famineaffected areas and some other areas as scarcity areas;

(b) if so, the details thereof separately;

(c) whether Bihar Government have sought assistance from Central Government for relief operations; and

(d) if so, the details thereof and Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Krishi Mantralya Men Rajya Mantri) (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) Yes, Sir,

(b)	No. of Districts	No. of Blocks	Area (Sq. KM)	Population (lakhs)
(i) Famine affected areas as declared by Government of Bihar.	8	20	6400.0	18.00
(ii) Scarcity affected areas as declared by Government of Bihar.	12	100	24000.0	94.00

(c) Yes. Sir.

(d) The State Government has drawn a scheme involving an outlay of Rs. 12. 35 crores and sought from the Government of India an adhoc financial assistance of Rs. 3 crores. According to the procedure laid down, a Central team of officers under the Planning Commission is being set up for an on-the-spot assessment of the situation. A decision on the request of the state Government for Central assistance will be taken after the Team's report is received. The team is expected to visit the State shortly and the State Government has been informed of the position.

Damage to Rabi Crop Due to Rains in April, 1971.

525. Shri Ramavatar Shastri:

Will the Minister of Agriculture (Krishi Mantri) be pleased to state ;

(a) whether the untimely rains in the month of April, 1971 have caused heavy damage to Rabi crop in different parts of the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the farmers in Bihar and Uttar Pradesh have been worst affected as a result thereof; and

(d) if so, the action taken by Government to provide assistance to them ?

The Minister of State is and Ministry or Agriculture (Krishi Manatralaya Men Rajya Mantri) (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) Yes. Sir.

(b) (c) and (d) Reports have been received that damage had been caused to rabi crops due to untimely rains in April,1971, in the States of Bihar, U.P. and Chandigarh Adiministration. Available details are indicated below's Bihar. It was reported that some standing crops were damaged in the State in the month of April, 1971, but the damage was mostly to the harvasted wheat lying on the threshing floor to the extent of 20 to 25% The State Government have asked for help for giving relief to the people in the affected areas. A Central Study Team is to visit this State soon and necessary action will be teken on the receipt of the Team's report.

U.P. Widespread damage has been caused by untimely rains in April, 1971 in some districts of U.P. The State Government have allotted Rs. 16,22,400 for distribution of gratuitous relief and a sum of Rs. 1,35,00,000 for distribution as Takavi.

Chandigarh Admn :

Six villages were severaly affected causing damage to standing crops in area of 420 acres. Relief Assistance proposals are being formulated by the Revenue authorities.

विक्टरी कोलायरी (एम) ग्रुप तथा निमचा कोलायरी करनारी के प्रबन्धकों द्वारा कोयला खानों के मजदूरों की मजूरी की अदायगी न किया जाना

526. श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विक्टरी (एम) ग्रुप तथा निमचा कोलायरी करनारी, रानीगंज, बर्दमान, के प्रबन्धकों द्वारा अनेक सप्ताहों से मजदूरों की मजूरी नहीं दी जा रही है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या सरकार ने इन मजदूरों को मजूरी की अदायगी करने के लिए उन कोयला खानों के प्रबन्धकों को बाध्य करने के लिए कोई कार्यवाही की है; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

न्यूनतम बोनस में वृद्धि

527: श्रीमती भार्गवी लनकप्पन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यूनतम बोनस चार प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दस कर्मचारियों तक के प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना में सम्मिलित करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन

+

528: श्रीमती भार्गवी तनकप्पनी :
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है; जिससे यह अधिनियम 10 कर्मचारियों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में किए गए निर्णय का व्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) और (ख) : इस अधिनियम को ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू करने की, जिनमें 10 और 20 के बीच श्रमिक नियोजित हों, राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश विचाराधीन है। इस प्रस्ताव में कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1958 में संशोधन करना शामिल है और इस मामले को भारतीय श्रम सम्मेलन के समक्ष रखने का विचार है।

सेलम इस्पात कारखाने की स्थापना

+

529. श्री एम० कतामतु :
श्री सामिनाथन :
श्री एस० राधाकृष्णन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम इस्पात कारखाने की स्थापना करने में और कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितना खर्च हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) सेलम विशेष इस्पात प्रायोजना के लिए तकनीकी आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने का काम कलकत्ता स्थित मेसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी को सौंपा गया है। अगस्त 1971 तक उनसे प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है। परामर्शदाताओं की सलाह पर 2,750 एकड़ के एक सम्पूर्ण भू-भाग को कारखाने के लिए सीमांकित किया गया है। यह क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(1) अन्तर्गत अधिसूचित की गई क्षेत्र की सीमा के भीतर है। यह भी तै किया गया है कि भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा। बस्ती के विकास के लिए आवश्यक क्षेत्र का अस्थायी तौर पर सीमांकन कर लिया गया है। हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लि० का कंजामलाई लौह खनिज भंडार के खनन के सम्बन्ध में अन्वेषण कार्य और स्थल निर्माण का प्राथमिक कार्य और मिट्टी के अध्ययन का कार्य सौंपा गया है। हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लि० ने सेलम में एक कार्यालय भी खोल दिया है। विभिन्न कच्चे मालों के परीक्षण के लिए

सम्बद्ध अधिकरणों के साथ वार्ता चल रही है। भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था ने प्रायोजना स्थल और बस्ती-क्षेत्र के धरातल के विस्तृत सर्वेक्षण कार्य का दायित्व संभाला है। मुद्रित सर्वेक्षण नकशों के जून 1972 तक तैयार हो जाने की आशा है। रेलवे ने भी मार्शलिंग यार्ड और एक्सचेंज यार्ड तथा अन्य दल सुविधाओं आदि के लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया है।

(ख) अब तक सेलम प्रायोजना पर कुल 6·33 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

बीज, उर्वरक तथा पौधों की रक्षा सम्बन्धी सामग्री के वितरण की योजना

530. श्री एम० कतामुतु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पन्त नगर, द्वारा किये गये एक अध्ययन से पता चला है कि अधिक उपज देने वाले बीजों तथा 'देसी' बीजों के बाजार-मूल्यों के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या एक अध्ययन से यह भी मालूम हुआ है कि इन बीजों का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित खेती के लिए आवश्यक सामग्री की अधिक लागत के कारण सीमित संसाधनों वाले किसान उन्नत बीजों का उपयोग कर पाने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बीज उर्वरक तथा पौधों की रक्षा संबंध सामग्री उचित मूल्यों पर वितरण करने हेतु कोई उपयुक्त व्यवस्था करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। छोटे और बड़े दोनों कृषक सिफारिश किये आदानों से कम का प्रयोग करते हैं।

(ग) बीज, उर्वरक और कीटनाशी औषध जैसे सब आदान विभागीय एजेन्सियों, सहकारी समितियों, कृषि उद्योग निगमों और व्यापारियों द्वारा वितरण कराने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। जहां तक बीजों का सम्बन्ध है कीमतें गिरावट की ओर जा रही है। तथापि बीजों और कीटनाशी औषधों के मूल्यों पर कोई विधिक नियन्त्रण नहीं है। फिर भी कीटनाशी औषधों की कीमत कम करने के लिये जब वे शुद्ध रूप में आयात की जाती है भारत सरकार ने 63 अनिवार्य मदों पर आयात कर में कमी की है। और भी कीटनाशी औषध जो अधिकतर राज्य कृषि विभागों द्वारा बांटी जाती है, वे रेट कन्ट्रैक्ट/टैन्डर की विधि से खरीदे जाते हैं और 'बिना लाभ बिना हानि' आधार पर साहायय दरों पर कृषकों को बेची जाती है। महामारी में कीटनाशी औषध केन्द्रीय सरकार की विपदा राहत राशि के अधीन कृषकों की लागत के 50 प्रतिशत पर सप्लाई की जाती है। जहाँ तक उर्वरकों का सम्बन्ध है 4 महत्वपूर्ण नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के अधिकतम बिक्री मूल्य विधिवत नियंत्रित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हाल में ही यूरिया के मूल्य 20 रुपये प्रति टन कमी की गई है। आयातित उर्वरक केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा सारे देश में निकटतम रेलवे स्टेशन तक सामान निर्धारित मूल्यों पर बांटे जाते हैं। केन्द्रीय उर्वरक पूल 'बिना लाभ बिना हानि' के आधार पर कार्य करता है। उर्वरकों के आयात से हुई बचत को मूल्यों में कमी के रूप में कृषकों को अदा की जाती है।

छड़ों, स्लाखों और टारस्टील के मूल्य

+

531. श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** छड़ों, सलाखों और टारस्टील की पतों के बारे में 24 नवम्बर, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 309 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'रीरोलरज' द्वारा निर्मित छड़ों, सलाखों और टारस्टील की कीमतों को निर्धारित करने के बारे में सरकार ने इस बीच कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी. हां ।

(ख) निम्नलिखित तालिका में 1-5-1971 से लागू छड़ों तथा गोल छड़ों के मूल्य दिखाये गये हैं :—

मूल्य अनुसूची
(30-4-71/1-5-71 की अर्द्ध रात्रि से लागू)

	आधार मूल्य रीरोलरों के कारखाने से रेल/ट्रक तक निष्प्रभार प्रतिटन के हिसाब से है । रुपये ।		
	स्टैण्डर्ड भा० मा०-226	वाणिज्यिक भा०मा०-1977	आफग्रेड
(क) छड़ तथा गोल छड़ (चपटे उत्पादों को छोड़कर) सीधी लम्बाई 14 मि०मी० तथा उससे कम	1061	1051	1041
(ख) छड़ तथा गोल छड़ (चपटे उत्पादों को छोड़कर) 14 मि० मी० तथा उससे कम कुण्डलों में ।	1046	1036	1026
(ग) चपटे उत्पाद मोटाई 10 मि० मी० से कम ।	1051	1041	1031
(घ). (क) से (ग) के अलावा छड़ गोल छड़ और चपटे उत्पाद ।	1041	1031	1021

ऊपर दिये गये आधार मूल्यों में सैक्शनों, साइजों तथा क्वालिटी के लिए संयुक्त संयंत्र समिति के वर्तमान अतिरिक्त खर्च तथा अन्य अतिरिक्त खर्च जो भी लागू होंगे, शामिल नहीं है ।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

+

532. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**
श्री शिवनाथ सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों में इस्पात के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी मूल्य-वृद्धि हुई है; और

(ग) इस्पात के मूल्यों को कम करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, नहीं। 1-1-1970 से लेकर संयुक्त संयंत्र समिति की कीमतों तथा हिन्दुस्तान स्टील लि० के स्टाकयार्डो की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

फिर भी पुनर्बेल्लित उत्पादों की कीमतों में कमी करने के लिए सरकार ने बिलेट रीरोलरों के उत्पादों के वितरण तथा मूल्यों के विनियमन के लिए एक योजना बनाई है। यह योजना 1-5-71 से लागू की गई है। कृपया इस सम्बन्ध में बिलेट रीरोलर समिति की संलग्न विज्ञप्ति क्रमांक 1 दिनांक 28 अप्रैल 1971 में देखिये।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 215/71]

(ख) ऊपर के पैरा (क) में उल्लिखित कीमतों को छोड़कर 1968 से लेकर संयुक्त संयंत्र समिति की कीमतों में दो बार परिवर्तन हुआ है। एक बार जुलाई 1968 में जिसके परिणामस्वरूप लगभग 46 रुपये प्रति टन की औसत वृद्धि हुई। दूसरी वृद्धि 1-1-1970 से लागू की गई जिससे लगभग 75 रुपये प्रति टन की वृद्धि हुई।

(ग) संयुक्त संयंत्र समिति की कीमतों को कम करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

Setting up of a Steel Plant at Bailadilla

533. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the **Minister of Steel & Mines** (Ispat Aur Khan Mantri) be pleased to state :

(a) whether the feasibility of setting up a steel plant at Bailadilla in Bastar has been fully established;

(b) whether any decision has been taken to set up a steel plant at Bailadilla; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Ispat aur Khan Mantralaya) Men Rajya Mantri (Sori Shah Nawaz Khan) : (a) No. Sir,

(b) & (c) : Bailadilla, along with other suitable sites in the country, will be considered when further studies for the location of future steel plants are taken up.

Unemployed Doctors

534. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Minister of Labour and Rehabilitation** (Shram aur Punarvas Mantri) be pleased to state :

(a) the number of Doctors who got themselves registered with the Employment Exchanges during the last two years;

(b) the number of unemployed doctors in the country at present;

(c) whether Government have under consideration any scheme for providing employment to the unemployed Doctors; and

(d) if so, the details thereof and the number of those likely to be given employment during the financial year 1971-72 ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shram aur Punarvas Mantri) (Shri R. K. Khadilkar): (a) : 2,404 during 1969 and 4,011 during 1970.

(b) : Precise information is not available. The only available information relates to the number on the live register of Employment Exheanges which was 2,497 as on 31.12.1970.

(c) & (d) : There is in fact a shortage of doctors in the rural areas and there ought to be no unemployment among them. However, because of reluctance of doctors to serve in the rural areas, the medical graduates may be finding it difficult to seek employment in urban areas. As an incentive to encourage doctors to serve in rural areas special measures such as increased emoluments by way of special allowance and other facilities like provision for living and working accommodation, all-weather approach roads etc. are contemplated. An appeal to the doctors in the country to render their services to the rural areas has also been made by the Government.

शिक्षित बेरोजगार

535. **श्री राम सहाय पाँडे :**

श्री पी० के० देव :

श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च शिक्षा प्राप्त एवं तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों में बेरोजगारी की समस्या भयंकर रूप धारण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सख्त वर्गों के लिये रोजगार के समुचित माध्यम जुटाने के लिये क्या कार्यवाही की.जा रही है।

(ग) क्या इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया हैं और यदि हां, तो उनकी क्या राय है; और

(ख) क्या सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने के तथा उन बेरोजगारों का सनकी अर्हताओं के आधार पर वर्गीकरण करने के लिये समुचित नीति निर्धारित करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) देश में (शिक्षतों सहित)

बेरोज़गार लोगों की संख्या से सम्बन्धित यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, नियोजन कार्यालयों में नाम लिखाने वाले शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) : विवरण संलग्न है।

(घ) उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवकों को नियोजन अवसर जुटाने कें प्रश्न पर सरकार निरन्तर विचार कर रही है। नियोजन कार्यालयों में बेरोजगारों का नाम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण करते हुए, लिखा ही जाता है ।

विवरण

चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कृषि. उद्योग, परिवहन, संचार, सिंचाई व बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसी सामाजिक सेवाओं तथा समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर बेरोजगार लोगों को (जिनमें मिश्रित बेरोजगार भी शामिल हैं) अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाने के लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

गांवों में बिजली पहुंचाने के कार्य पर ज्यादा जोर देने, ग्रामीण क्षेत्रों की औद्योगिक गतिविधियों में विविधता लाने और कृषि-आधारित उद्योगों के विकास के लिए उच्च योग्यतायें प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इन विकास कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवकों को लाभ पहुंचाने की सम्भावना है। संगठित उद्योगों और खनन-उद्योगों में इंजीनियरों तकनीशनों, कुशल, अर्थ-कुशल और अकुशल कामगरों को बड़ी संख्या में नियुक्ति अवसर मिलने की सम्भावना है। सामान्य प्रशासन, शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसी सेवाओं के क्षेत्र में अध्यापकों, डाक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति अवसर मिलने की सम्भावना है।

इन्जीनियरों और तकनीशनों जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त कुछ वर्ग के लोगों से सम्बन्धित स्थिति का सामना करने के लिए विशेष उपाय अपनाना आरम्भ कर दिया गया है।

नौजवानों को उत्पादनकारी कार्यों/स्व-नियोजन के लिये प्रोत्साहन करने हेतु विश्वविद्यालय और स्कूलों में नियुक्ति सम्बन्धी सलाह और व्यावसायिक मार्गदर्शन के कार्य को सशक्त बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही साथ पढ़े लिखे बेरोजगारों (विशेषकर इन्जीनियरों और दस्तकारों) को स्व-नियोजन अथवा नियुक्ति के लिए अधिक उपयुक्त बनाने की दृष्टि से उद्योगों में प्रशिक्षण और वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम के पुनःनिर्धारण हेतु एक कार्यक्रम बनाया गया है।

जून 1970 में सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें छोटे किसान अधिकरण और ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम (चिरकाल से सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की स्कीमों सहित) जैसी विभिन्न योजनाओं के बारे में राज्य सरकारों/संघशसित क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श किया गया ताकि इन योजनाओं के कार्यान्वियन के बारे में उनके विचारों व उनकी कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जा सके ।

अप्रैल, 1971 में मुख्य सचिवों का एक और सम्मेलन नियोजन अवसर जुटाने की योजनाओं के विभिन्न पहलुओ पर विचार करने के लिये हुआ ।

त्रिपुरा में बंगला देश के शरणार्थी

536. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "स्वाधीन बंगला" आन्दोलन के प्रारम्भ होने से कितने शरणार्थियों ने त्रिपुरा में प्रवेश किया;

(ख) उन्हें बसाने के लिये कितने कैम्प खोले गये है;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति को कितना खाद्य पदार्थ दिया जाता है;

(घ) क्या सहायता कार्य के लिये कोई केन्द्रीय अधिकारी नियुक्त किये गये हैं; और

(ड.) यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार का कार्य करना होता है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) (क) 18.5.1971 तक, पूर्वी बंगाल से त्रिपुरा में 6,17,777 व्यक्ति आ चुके थे जिनका व्यौरा नीचे दिया गया है :—

	शिविरों में	शिविरों से बाहर	योग
	3,02,777	3,15,000	6,17,777
(ख)	15		
(ग)	चावल	400 ग्राम	
	दाल	100 ग्राम	
	सब्जी	300 ग्राम	

इसके अतिरिक्त, भोजन बनाने के लिये तेल, मसाले, और नमक भी दिया जाता है ।

(घ) और (ड.) :

पुनर्वास विभाग द्वारा एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, जो राहत सम्बन्धी कार्य का समवन्य स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से सम्पर्क रखेगा ।

कलकत्ता स्थित भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय-श्रमिकों द्वारा हड़ताल

537. **श्रीमती बिभा घोष :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1971 में भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय के समक्ष कलकत्ता स्थिति भारतीय खाद्य निगम में खाद्य सामग्री के चढ़ाने और उतारने के कार्य में संलग्न कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारियों की मुख्य मांग क्या हैं; और

(घ) क्या उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने कोई उपाय किये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्पासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 9 अप्रैल, 1971 से कर्मचारियों ने सामूहिक भूख हड़ताल का, प्रदर्शन किया, अधिकारियों का घेराव किया तथा धीरे काम करने के तरीके अपनाए।

(ग) कर्मचारियों की मुख्य मांगें निम्न प्रकार थीं :—

(i) कलकत्ता, पंडुआ, डिपों, कलकत्ता में स्थिति जगन्नाथघाट ग्रुप के डिपों, केन्द्रीय भाण्डागार निगमाराज्य भाण्डागार निगम के डिपों जहां अभी तक श्रमिकों का विभागीयकरण नहीं हुआ है और बिहार के तीन डिपों अर्थात जमशेदपुर, गया तथा मोकामेह के रेलवे साइडिंग पर कार्य कर रहे श्रमिकों का विभागीयकरण;

(ii) भंडारण एजेन्टों द्वारा तथाकथित निकाले गए लगभग 700 कर्मचारियों को पुनः नौकरी प्रदान करना तथा भंडारण एजेंसी प्रणाली को समाप्त करना।

(iii) विभागीयकृत्त कर्मचारियों के लिये मासिक वेतन को शुरू करना।

(घ) बातचीत द्वारा समझौता होने के बाद 11 मई, 1971 के अपरान्ह से भूख-हड़ताल समाप्त कर दी गई थी।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को घाटा

538. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर आयरन् एण्ड स्टील लि० ने भारी घाटा दिखाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि० के कार्यक्लाप में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) : मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, जो मैसूर सरकार का उपक्रम है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कम्पनी को 1967-68 से घाटा हो रहा है। वर्ष-वार घाटा निम्नखिखित है :—

वर्ष	वास्तविक हानि-लाख रुपए
1967-68	206.66
1968-69	268.32
1969-70	239.37
1970-71	151.05 (अस्थायी)

(ग) मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड आवश्य फालतू पुर्जों और कच्चे माल की समय पर प्राप्ति के लिए अग्रिम कार्यवाही कर रही है ताकि लगातार उत्पादन होता रहे तथा ऋण के कुछ भाग को परिवर्तित करने के प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं जिससे ब्याज के भारी बोझ को कम किया जा सके। उत्पादन की दर पर भी सतत ध्यान दिया जा रहा है।

आर एस-09 ट्रैक्टरों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण मुआवजे की मांग

539 **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्री पी० के० देव :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर एस-09 ट्रैक्टरों के त्रुटिपूर्ण होने से हुई हानि के कारण कई राज्य सरकारों तथा संगठनों ने मुआवजे की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) से (ग) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से और आंध्र प्रदेश आर० एस० एस०-09 ट्रैक्टर ओनरस संस्था से भी त्रुटिपूर्ण आर० एस० 09 ट्रैक्टरों के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए मांग की गई थी। पंजाब आर० एस०-09 ट्रैक्टर ओनरस संस्था ने भी दोषपूर्ण आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के कारण हुई किसानों को हानि के विषय में लिखा है। तथापि मूल मांग आर० एस०-09 ट्रैक्टरों की वापसी और उनके स्थान पर अन्य ट्रैक्टरों के दिये जाने की थी। संशोधित आर० एस०-09 ट्रैक्टरों की वापसी के संबंध में राजकीय व्यापार निगम ने पूर्वी जर्मनी के सम्भरणकर्ताओं के साथ एक संधि पर 21—2—1971 को हस्ताक्षर किये हैं। सम्बन्धित राज्य कृषि निगमों को इन ट्रैक्टरों को यथा सम्भव जैटर ओर उर्सरन ट्रैक्टरों से बदलने के लिये सूचित कर दिया गया है।

वेतनों का स्थिरीकरण

540 **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूरों के वेतनों के स्थिरीकरण करने की सरकार की कोई इच्छा नहीं थी ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) सरकार की ऐसी कोई इच्छा नही थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संविद श्रमिक पद्धति का समाप्त किया जाना

541 **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें केन्द्र द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार संविद श्रमिक पद्धति को समाप्त करने के लिये राजी हो गई है ।

(ख) यदि नहीं, तो वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया है और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकार ने ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों को 10 फरवरी, 1971 से लागू किया है। जहां तक ऐसे प्रतिष्ठानों का प्रश्न है, जिनके लिये राज्य सरकारें उचित सरकारें हैं, राज्य सरकारों के नियम बनाने और अधिनियम को लागू करने के लिए प्रार्थना की गई है। वे तदनुसार कार्यवाही कर रही है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

542 श्री एस० एम० बनर्जी : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पूरे देश के कर्मचारियों ने 16 अप्रैल 1971 के एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि नहीं, तो उनकी मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त मांगें श्रम मन्त्रियों एवं श्रम मन्त्रालय द्वारा अनेक आश्वासन देने के पश्चात भी लम्बे समय से पूरी नहीं की गई है ; और

(घ) द्विपक्षीय वार्ताओं द्वारा उन माँगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और भारत सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) 16 अप्रैल, 1971 को, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय सहित) के 16 कार्यालय में से केन्द्रीय कार्यालय और बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान और उत्तर-प्रदेश के छः प्रादेशिक कार्यालयों के अधिकांश कर्मचारी बिना प्राधिकार के ड्यूटी से अनुपस्थित रहे ।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें आल इंडिया एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड स्टाफ फेडरेशन की माँगें दी गई हैं।

(ग) इन 9 मांगों में से 7 मांगें फेडरेशन द्वारा जून, 1969 में प्रस्तुत किए गए दूसरे मांग पत्र में दी गई थी । ये अनिर्णीत पड़ी थीं, क्योंकि फेडरेशन ने लगभग 16 मास तक इन मांगों के समर्थन में आधार प्रस्तुत नहीं किये । इन मांगों की स्वीकृति के सम्बन्ध में श्रम मंत्री या श्रम मंत्रालय द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिए गए ।

(घ) फिर भी, इन नौ मांगों पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त और आल इंडिया एम्प्लाइज प्राविडेंट फंड स्टाफ फेडरेशन के प्रतिनिधियों के 18-1-71 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई थी और केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने इन मांगों की जाँच करने के लिए एक समिति स्थापित की। इस समिति की रिपोर्ट के संबंध में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिशें, जहां आवश्यक होगा, शीघ्र ही सरकार को भेजी जायेंगी।

विवरण

1. आवश्यकता पर आधारित निर्वाह न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था किए जाने तक वेतन-मानों में संशोधन करके कर्मचारियों के वेतन-मानों को 'ए' श्रेणी बैंकों के रिजर्व बैंक में उपलब्ध वेतन-मानों के बराबर बनाया जाय।
2. आंध्र-प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के संबंध में वेतन के 20 प्रतिशत की दर से और पश्चिम बंगाल, दिल्ली और तमिलनाडु के कर्मचारियों के संबंध में वेतन के 25 प्रतिशत की दर से महाराष्ट्र क्षेत्र के कर्मचारियों के संबंध में वेतन के 30 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ते की अदायगी।
3. वर्तमान कसौटी के अनुसार विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की मंजूरी-फेडरेशन द्वारा मांगे गए पर्याप्त पदों के निलम्बित सृजन से शुरूआत।
4. कार्यभार में कमी अर्थात लेखा विभाग में प्रति लेखा परीक्षक 1000 लेखे और प्रवर्तन विभाग में प्रति क्लर्क 25 छूट प्राप्त। छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान; केन्द्रीय कार्यालय के सम्बन्ध में कसौटी निर्धारित की जायें।
5. अवर श्रेणी और उच्च श्रेणी क्लर्कों के संवर्गों को मिलाकर एक साझा लिपकीय संवर्ग बनाना।
6. 7 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ श्रेणी के अयोग्य कर्मचारियों की तरक्की के लिए 25 प्रतिशत लिपकीय रिक्त-स्थानों का आरक्षण और रिकार्ड सार्टरों, रिकार्ड कीपर, गैस्टेटनर आपरेटरों के नए पदों, दफ्तरी आदि के अतिरिक्त पदों का सृजन ताकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तरक्की के रास्तों में वृद्धि हो।
7. आल इंडिया एम्प्लाइज प्राविडेंट फंड्स स्टाफ फेडरेशन तथा उसके सम्बद्ध एककों को, जिनकी एक सूची पहले ही भेजी जा चुकी है, मान्यता देना।
8. तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के सेवा-काल को ध्यान में रखे बिना विभिन्न संवर्गों में सभी तदर्थ नियुक्तियों का नियमितकरण।
9. सेवा-समाप्तियों, मुअत्तलियों, वेतन-वृतियां बन्द करने, वेतन में कटौतियों, आदि, जैसे दमनकारी का निवर्तन।

Chairmanship of Employees State Insurance Corporation

543. Shri Atal Bihari Vajpayee: Will the **Minister of Labour** and Rehabilitation (Shram aur Punarras Mantri) be pleased to staie :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the recommendation of the Estimates Committee that the Shram Mantri should not be the Chairman of the Employees State Insurance Corporation, but an eminent public man having experience of Labour welfare should instead be appointed as Chairman of the aforesaid Corporation; and

(b) if so, the reasons for non-acceptance of this recommendation uptil now?

The Minster of Labour and Rehabilitttion (Sharm aur Punarvas Mantri) (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes.

(b) Under the Employees State Insurance Act, 1948, the Central Government is **inter-alia** responsible for (a) fixing the rate of contribution payable by employers and (b) promoting uniformity of standards and benefits in the working of the Scheme and co-ordination among the various State Governments, while the State Governments are responsible for the administration of medical care under the Employees' State Insurance Scheme. The Corporation has been facing financial difficulties recently. To contain the expenditure within available resources, it had to take certain decisions, including imposition of a ceiling on the cost of medical care per employee per annum. In the opinion of Government, it is necessary to continue the Union Labour Minister as Chairman of the Corporation for the present to secure co-operation of the State Governments in the administration of the Scheme and the implementation of the various measures taken for promoting economy in expenditure.

This recommendation of the Estimates Committee was also considered by the Standing Committee of the Employees' State Insurance Corporation and the Corporation and both were of the opinion that the present arrangement should continue for sometime in the larger interests of the Corporation,

Government have, therefore, not been able to accept the Estimates Committee's recommendation. The Committee has. however, reiterated its recommendation recently. The matter is under further examination;

नये इस्पात कारखानों की स्थापना

544 **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये इस्पात कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ये कारखाने स्थापित किये जायेंगे;

(ग) क्या इस प्रकार के इस्पात कारखानों के निर्माण और डिजाइनों के लिए निविदा आमन्त्रित किए गए हैं;

(घ) क्या इस प्रकार के कारखानों का डिजाइन तैयार करने और उनका निर्माण करने के लिए किसी इंजीनियरिंग कम्पनी को क्रयादेश दिया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो डिजाइनों को तैयार करने वाली और निर्माण करने वाली उन कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) . जी हाँ। प्रधान मन्त्री ने 17 अप्रैल, 1970 को लोक सभा में इस निर्णय की घोषणा की थी कि तमिलनाडू में सेलम के स्थान पर विशेष इस्पात का एक कारखाना, मैसूर में हास्पेट के स्थान पर तथा आँध्र प्रदेश में विशाखापतनम के तटीय क्षेत्र में साधारण इस्पात का एक एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना स्थापित किया जायेगा।

(ग) से (ङ) : हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपाँकन व्यूरो को हास्पेट प्रायोजना के लिए तकनीकी आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है तथा सेलम और विशाखापतनम के लिए इसी प्रकार का प्रतिवेदन तैयार करने के लिए मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। शक्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने तथा अनुमोदित हो जाने के पश्चात ही विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। इस अवस्था के पश्चात ही निर्माण कार्य आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। फिर भी स्थल अध्ययन करने के कुछ प्रारम्भिक कार्य हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कन्सट्रक्शन लिमिटेड को, जो एक सरकारी उपक्रम है सौंप दिए गए हैं।

अन्दाल, पश्चिम बंगाल के निकट की कोयला खानों में कार्य की शर्तें

545 श्री मुरूगनन्तम : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान विभाग द्वारा अन्दाल के निकट वाली प्रोपर कजोरिया कोलरी और बिरला की मादरा कोलरी के कार्य की भूमिगत परिस्थितियों की पूर्ण जाँच सितम्वर, 1970 से अप्रैल, 1971 के बीच हो गई थी; यदि हाँ, तो कब;

(ख) क्या उसके परिणामस्वरूप खान अधिनियमों, नियमों और विनियमों के अनेक उल्लंघनों का पता लगा है; यदि हाँ, तो उनका व्यौरा क्या है;

(ग) इन उल्लंघनों के लिए कम्पनी के मैनेजर, एजेंट तथा निदेशकों के विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है; और

(घ) क्या खान विभाग द्वारा बताई गई सभी कमियाँ तथा अनियमितयाएं दूर कर दी गई हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) . एक विवरण संलग्न है, जिसमें प्रौपर कजोरा और मोइरा कोलियरीज के सम्बन्ध में सूचना दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 216/71)

उपभोक्ता सहकारी भंडारों को होने वाली हानि को रोकने के लिए उपाय

547 श्री मुरुगनन्तम् : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में उपभोक्ता सहकारी भण्डरों को हानि हुई है;

(ख) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन सहकारी भण्डारों को लाभ के साथ चलाने के प्रयास किये गये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस दिशा में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हाँ

(ख) मुख्य कारण ये हैं : (1) खाद्यान्नों तथा चीनी, जिनका उनके व्यापार में अधिकांश भाग था, पर नियंत्रण ढीला किये जाने के कारण हाल ही के वर्षों में उनकी कुल बिक्री में हुई कमी; (2) कृषि पदार्थों के मूल्यों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव; (3) लाभ की कम गुंजाइश के मुकाबले में भारी ऊपरी लागत, विशेष रूप से नियंत्रित पदार्थों पर; (4) उधार पर की गई सप्लाई के बारे में सदस्य समितियों से बड़ी मात्रा में अतिदेयों का होना; (5) विवेकहीन खरीद और वस्तु-सूची नियंत्रण का अभाव; (6) प्रबन्धको एवं कर्मचारियों का अपेक्षाकृत कम अनुभवी होना; (7) कुछ मामलों में, कुप्रबन्ध, स्टाक में भारी कमी, उठाईगीरी और अन्य कदाचार।

(ग) जी हाँ।

(घ) केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर किए गए निरीक्षणों एवं अध्ययनों द्वारा उपभोक्ता सहकारी समितियों के सामान्य रूप से और साथ ही अलग-अलग संस्थानों के अलाभकर कार्यचालन के कारणों का पता लगाया गया है और उनके कार्य चालन में सुधार करने के लिए उपाय सूचित किए गए हैं। राज्य सरकारों को सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त विभिन्न सहकारी भण्डारों के बारे में विस्तृत सुझावों के साथ भेजे गए हैं। इनकी समस्याओं तथा उन्हें दूर करने के उपायों के बारे में सम्मेलनों, गोष्ठियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों की केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठकों और अन्य मंचों पर चर्चा की जाती है और निर्णय एवं सिफारिशें सभी सम्बधितों को परिचालत की जाती हैं। उपभोक्ता सहकारी समितियों की केन्द्रीय सलाहकार समिति की उप समिति ने पांच राज्यों की उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्यचालन का अध्ययन किया, और इसके प्रतिवेदन जिनमें इसकी टिप्पणियां तथा सुधार के लिए सिफारिशें दी गई हैं, राज्य सरकारों को भेजे गए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन

548 श्री मुरुगनन्तम् :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो किस तरह के संशोधन करने का विचार है; और

(ग) संशोधन करने वाले विधेयक को संसद में कब लाया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 में अन्य बातों के साथ-साथ दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों को और अधिक कठोर बनाने के लिए संशोधन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

बिहार सरकार द्वारा चीनी मिलों को धमकी

549 श्री नरेन्द्र कुमार साँधी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 के बाद, चीनी के वसूली-मूल्य अभी तक अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं किए गए हैं और अभी तक वर्ष 1969-70 के लिए निर्धारित अस्थायी दरों पर ही चीनी दी जा रही है;

(ख) क्या इससे चीनी उद्योग में वित्तीय संकट नहीं उत्पन्न हो गया है जिसके फलस्वरूप मिलों की ओर गन्ने की खरीद की भारी धनराशि बकाया रहती है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने मिलों को धमकी दी है कि उनके द्वारा की गई गन्ने की खरीद का भुगतान करने के लिए उनके स्टाक ले लिए जायेंगे तथा उसे बेच डाला जाएगा; और

(घ) इस प्रकार मिलों तथा गन्ना उत्पादकों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) 1969-70 मौसम के लिए लेवी चीनी का मूल्य जो कि शुरू में 20 फरवरी, 1970 को निर्धारित किया गया था और पहली मार्च, 1970 को बिना उत्पादन-शुल्क के फिर अधिसूचित किया गया था, में कुछ क्षेत्र के सम्बन्ध में संशोधन किया गया था और अधिक संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा गया था। चीनी के मूल्य और वितरण पर से अब नियंत्रण हटा दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) बिहार सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को गन्ने के मूल्य का भुगतान कराने हेतु कानूनी पग उठाने के लिए निवेश दिए हैं और उन्हें ये अनुदेश दिये हैं कि यह सुनिश्चित करें कि चीनी कारखाने खुली बिक्री की चीनी से प्राप्त राशि में से किसानों को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि के भुगतान को तरजीह दें।

(घ) (1) सम्बन्धित प्राधिकारियों से वाणिज्यक बैंकों द्वारा चीनी कारखानों को पर्याप्त ऋण सुविधाओं की व्यवस्था कराने के लिए अनुरोध किया गया है।

(2) कारखानों के पास स्टाक के अनुपात में विषमता को दूर करने के लिए बिक्री की चीनी की नियुक्ति अब उत्पादन की बजाय स्टाक के आधार पर की जाती है। ऐसे कारखानों को चीनी की अतिरिक्त मात्रा भी खुले बाजार में बेचने हेतु नियुक्त की गई है।

(3) राज्य सरकारों से कारखानों द्वारा गन्ने के मूल्य के बकायों का शीघ्र भुगतान कराने की व्यवस्था करने और चूककर्त्ता कारखानों के विरूद्ध सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है।

चावल की वसूली के लक्ष्य तथा राज्यों को उनकी सप्लाई

550 **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के उत्पादन पर कृषि क्रांति का नगण्य प्रभाव पड़ा है। यदि हां, तो उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) इस वर्ष चावल की वसूली का क्या लक्ष्य है;

(ग) क्या केवल पश्चिम बंगाल ने ही केन्द्र से 6·25 लाख मी० टन चावल की सप्लाई करने का अनुरोध किया है जो कि इस वर्ष राज्य के वसूली-लक्ष्य से 50 प्रतिशत अधिक है; और

(घ) क्या अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार का अनुरोध किया है; और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णसाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1966-67 और 1969-70 के बीच गेहूं के उत्पादन के सम्बन्ध में 'हरित क्रांति' की विशेष चर्चा चल रही है जबकि चावल के मामले में इसका प्रभाव सापेक्षतः कम रहा है। तथापि, अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत आये क्षेत्रों और 1969-70 तथा 1970-71 के उत्पादन से आगामी वर्षों में चावल के उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी होने की आशा बंधती है। चावल का उत्पादन बढ़ाने हेतु उठाए जा रहे पगों में कई कई विकसित अधिक उपज देने वाली किस्मों का परिक्षण, गहन समन्वित अनुसन्धान, सिंचाई और पानी के प्रबन्ध पर बल देना, इनपुट सप्लाई करना, ऋण सुलभ करना और किसानों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

(ख) 1970-71 के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित चावल की अधिप्राप्ति का लक्ष्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार के अद्यतन अनुमान के अनुसार 1971 के लिए उन्हें केन्द्रीय भण्डार से सरकारी वितरण के लिये 6·25 लाख मी० टन चावल की आवश्यकता है जबकि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए 2 लाख मी० टन अतिरिक्त चावल की आवश्यकता है।

(घ) केवल पश्चिमी बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जिसे केरल के अधिप्राप्ति लक्ष्य से 50 प्रतिशत अथवा उससे भी अधिक चावल केन्द्रीय भण्डार से लेने की आवश्यकता है।

1970-71 विपणन मौसम (सीजन) 1 नवम्बर, 1970 से 31 अक्तूबर 1971 तक के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित चावल की अधिप्राप्ति का लक्ष्य बताने वाला विवरण :

राज्य	लक्ष्य (हजार मीटरी टनों में)
आंध्र प्रदेश	650
आसाम	225
बिहार	100
गुजरात	50

राज्य	लक्ष्य (हजार मी० टनों में)
हरियाणा	275
जम्बू व कश्मीर	75
केरल	150
मध्य प्रदेश	425
महाराष्ट्र	250
मैसूर	125
उड़ीसा	350
पंजाब	400
राजस्थान	—
तमिलनाडू	700
उत्तर प्रदेश	275
पश्चिमी बंगाल	600*
संघ राज्य क्षेत्र	50
	कुल 4700

*राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को पुन रीक्षित करके 4·5 लाख मीटरी टन कर दिया था।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में निधारत क्षमता तथा इस्पात का वास्तविक उत्पादन

551 श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री एस० आर० दमाणी :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के उत्पादन को धक्का पहुँचा है तथा यह उत्पादन अपने लक्ष्य के 10 लाख मीटरी टन पीछे है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात कारखानों की निर्धारित क्षमता कितनी है तथा उनका वास्तविक उत्पादन कितना है;

(ग) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) : निम्नलिखित तालिका में सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों की निर्धारित क्षमता, वर्ष 1970-71 के उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन दिया गया है। तालिका से पता चलता है कि

26 लाख टन का वास्ततिक उत्पादन 24 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य से 8 लाख टन कम रहा :—

		1970-71 में विक्रेय इस्पात का उत्पादन (000 टन)	
कारखाने का नाम	**निर्धारित क्षमता**	**लक्ष्य**	**वास्तविक उत्पादन**
भिलाई	1965	1707.0	1548.6
दुर्गापुर	1239	695.1	412.6
राउरकेला	1225	1044.4	683.6
	4429	3446.5	2644.8

(ग) ऊष्मसह और रेलवे इन्जनों की कमी के कारण भिलाई में कारखाने के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दुर्गापुर कारखाने में पूरे साल का और राउरकेला में वर्ष पूर्वार्ध में मालिक मजदूर सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे। इन कारखानों में कुछ तकनीकी परिचालनात्मक त्रुटियाँ भी रहीं।

(घ) हिन्दुस्तान स्टील लि० को आशा है कि श्रमिक स्थिति के सन्तोषजनक होने पर उसके भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्थित इस्पात कारखानों में 1970-71 में इस्पात पिण्ड के वास्तविक उत्पादन की तुलना में वर्ष 1971-72 में 10 लाख टन अधिक उत्पादन होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे सभी आवश्यक उपाय कर रहे हैं जिनमें उपकरणों की उपलब्धि में वृद्धि के लिये संधारण कार्यक्रम निर्धारण उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असंतुलन को दूर करने के विचार से बड़े-बड़े पूंजीगत कार्यक्रमों की पूर्ति में शीघ्रता, कच्चे माल, आवश्यक फालतू पुर्जे, ऊष्मसह रेलवे इन्जन की प्राप्ति और प्रोद्योगिक सुधारों को लागू करना आदि शामिल है। इसके लिए हरेक कारखाने का तीन साल का बेलन कार्यक्रम तैयार किया गया है। उत्पादन की गति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन को समर्थ बनाया जा रहा है।

अस्यसह परियोजना की स्थापना

552 श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक लाख मीटरी टन क्षमता की एक अस्यसह परियोजना को भिलाई में स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त परियोजना का योजना परिव्यय क्या है और इसके कब तक प्रारम्भ होने और पूरा हो जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, हाँ।

(ख) शक्यता अध्ययन के आधार पर परियोजना पर 13.1 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। कारखाने का निर्माण 1972 की तीसरी तिमाही में शुरू होने की सम्भावना है। आशा है कारखाना 1975 में चालू हो जाएगा।

स्टेनलेस स्टील से बनी वस्तुओं के मूल्य

553 श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनलैस स्टील से तैयार वस्तुओं के मूल्य वर्ष 1969-70 के मूल्यों की तुलना में बहुत ऊंचे हैं;

(ख) क्या इस कारण देश में इस्पात के दोषपूर्ण वितरण तथा इस्पात की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस्पात के मूल्यों को कम करने के लिए कोई योजना तैयार की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) बेदाग इस्पात की तैयार वस्तुओं जैसे बर्तनों, फाउन्टेन पेन की निबों, घड़ी की चेनों, रेजर ब्लेडों, घड़ी के पुर्जों, अस्पताल में काम आने वाले साज सामान आदि मूल्य अथवा वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। अतः सही जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से नारियल उद्योग के लिये वित्तीय सहायता

554 श्री आर० कडनापल्ली :
श्री बी० नारायणन् :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में 'एशियन कीकोनट कम्युनिटी' को संयुक्त विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता दिये जाने का आश्वासन दिया गया है;

(ख) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने भी नारियल के उत्पादों के उत्पादन, वनस्पति रक्षण और नारियल उत्पाद तैयार करने के कार्यों को बढ़ावा देने से सम्बन्धित अनुसन्धान की गति तेज करने में सहायता देने का आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन के प्रेक्षकों ने, जिन्होंने हाल में नई दिल्ली में एशियन नारियल सामुदायिक के चौथे अधिवेशन में भाग लिया, बताया कि संसाधनों की सीमा में किसी भी विशेष प्रस्ताव पर जो देशों के उपयुक्त तकनीकी कर्मचारी वर्गों के आपसी दौरों, प्रजनन सामग्री का आदान प्रदान, कुछ क्षेत्रों में सलाहकारों की सेवाओं को व्यवस्था करने, और नारियल उत्पादों विपणन निर्धारण की सम्भाव्यताओं का अध्ययन और उत्पाद बनाने के लिये सर्वोपयुक्त पौदों की किस्मों के बारे में, दोनों संगठन सहृदयता से विचार करेंगे।

कृषि तथा परिस्थिति विज्ञान में अनुसन्धान के लिये अमरीका से अनुदान

555. श्री आर० कडनापल्ली:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने कुछ भारतीय संस्थाओं को कृषि तथा परिस्थिति विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान के लिये कोई अनुदान स्वीकार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा राशि क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) पी० एल० 480 निधि के अन्तर्गत अनुसंधान के लिये अभी तक 78 भारतीय संस्थानों को अनुदान स्वीकृत किये गये हैं। अभी तक संस्वीकृत अनुसंधान परियोजनाओं की कुल संख्या 311 है। इन परियोजनाओं का कुल परिव्यय लगभग 9.78 करोड़ रुपये होगा।

जमूरिया, आसनसोल, स्थित ईस्ट बाराबोनी कोयला खान का बन्द होना

556. **श्री माधुर्य्य हालदर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में जमूरिया, आसनसोल, स्थित ईस्ट बाराबोनी कोयला खान के बन्द होने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके बन्द होने के क्या कारण है ?

(ग) इसके फलस्वरूप कुल कितने मजदूर बेरोजगार हो गये हैं;

(घ) क्या इस बन्द हुई कोयला खान को पुनः खोलने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) कार्य-स्थलों का उपलब्ध न होना और कोयले की समाप्ति।

(ग) लगभग 600।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इस कोलियरी के बन्द होने के सम्बन्ध में सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के समक्ष 30 मार्च, 1971 को एक औद्योगिक विवाद खड़ा किया गया। आपसी विचार-विमर्श के लिए यूनियन ने इसे वापिस ले लिया था। बाद को संबंधित पक्षों ने आपस में विचार-विमर्श किया और 13 अप्रैल, 1971 को एक द्विपक्षीय समझौते पर पहुंचे जिसमें ऐसे श्रमिकों को, जिनकी सेवायें कोलियरी बन्द हो जाने के कारण समाप्त की गई, वैध देय राशि और श्रम कानूनों के अन्तर्गत मुआवजे की अदायगी 25 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से अनुग्रह-पूर्वक अदायगी की भी व्यवस्था थी। ये अदायगियां की जा चुकी हैं।

इस्पात संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

557. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम तथा होस्पेट के नये इस्पात संयंत्रों को कोयले की सप्लाई की समस्या का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने इस बीच सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) विशाखापतनम और हास्पेट में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के लिए कोयले की सप्लाई की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जून 1970 में नियुक्त की गई कोयला समिति ने अगस्त, 1970 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था ।

(ख) समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है कि विशाखापतनम और हास्पेट दोनों कारखानों की आवश्यकताओं के लिए कोकिंग कोयला देशीय स्रोतों से मिल सकता है, तथा रेलवे यातायात की सुविधायें बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं और यदि कुछ हद तक उपलब्ध नहीं है तो उनको उपलब्ध कराया जा सकता है । फिर भी कोयले के सीमित भंडारों उसमें राख की बढ़ती हुई मात्रा, खनन कोयला शोधन तथा यातायात के लिये आवश्यक अतिरिक्त पूंजी विनियोजन को ध्यान में रख कर समिति ने यह सुझाव दिया है कि सलाहकारों को राख की कम मात्रा वाले कोकिंग कोयले का आयात करने और उसे देशीय कोयले के साथ मिला कर नये इस्पात कारखानों में प्रयोग में लाने से होने वाली लाभ हानि पर भी विचार करना चाहिए और उन्हें अपने विचार शक्यता प्रतिवेदनों में रखने चाहिएं ।

(ग) सरकार ने कोयला समिति की सिफारिशों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है ।

भारतीय खाद्य निगम के किस्म निरीक्षकों का राजस्थान में बाजरे के मूल्यों में गिरावट के लिये उत्तरदायित्व

558. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले मौसम की वसूली के समय राजस्थान में बाजरे के मूल्य में भारी गिरावट आई थी;

(ख) क्या बाजरे के मूल्य में गिरावट भारतीय खाद्य निगम के किस्म निरीक्षकों द्वारा उसे खरीदने में बरती गई उदासीनता के कारण आई थी;

(ग) क्या उक्त निरीक्षकों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में, विशेषतः बाजरे की खरीद में उनकी लापरवाही की शिकायत सरकार से की गई है; और

(घ) यदि हां, तो की गई जांच के क्या निष्कर्ष हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राजस्थान के कुछ भागों में देर से वर्षा होने के कारण बाजरे का रंग बदल गया था । क्योंकि बिक्री के लिये दिया गया स्टाक निर्धारित मानक से घटिया था, इसलिए भारतीय खाद्य निगम खरीदारी न कर सका और परिणामस्वरूप वर्षा से प्रभावित बाजरे के मूल्य काफी गिर गये । किसानों के हित में

निर्दिष्टियों में ढील दे दी गई थी लेकिन फिर भी उसमें से कुछ स्टाक ढील दिए गये मानक की परिधि में नहीं आ पाया। उसके बाद राज्य सरकार ने अपने खाते में भारतीय खाद्य निगम की एजेन्सी से निर्दिष्टि से कम पर बाजरा 48.00 रुपये की दर से खरीदने का निर्णय किया। उसके बाद स्थिति सुगम हो गई।

(ग) से (घ) : भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ द्वारा कदाचार करने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और भारतीय खाद्य निगम उन पर उपयुक्त कार्यवाही कर रहा है। अलवर तथा रामगढ़ में उत्पादकों से खरीदारी न कर व्यापारियों से खरीदारी करने सम्बन्धी एक विशिष्ट शिकायत पर जाँच की कार्यवाही की गई थी। उक्त शिकायत जांच-कार्य से भी सम्बन्धित थी। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों का उसमें सहभागी होना सिद्ध नहीं हुआ था।

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के आगमन को देखते हुए खाद्यान्नों के भंडारों का मूल्यांकन करना

559. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'बंगलादेश' से शरणार्थियों के भारी संख्या में आगमन को देखते हुए क्या सरकार ने देश में खाद्यान्नों के भण्डारों का मूल्यांकन किया है ताकि बढ़ती हुई मांग के अनुसार पर्याप्त पूर्ति का सुनिश्चय किया जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अनाज का आयात करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में विस्थापितों के आने के फलस्वरूप विशेषतया खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी अतिरिक्त वाणिज्यिक अथवा रियायती आयात करने का विचार नहीं है लेकिन विस्थापितों को भोजन देने हेतु अन्य देशों से सहायता के रूप में कुछ अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की क्षमता के उपयोग की कमी

560. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में काम की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और जनवरी 1971 से संयंत्र में उसकी निर्धारित क्षमता जो 1.6 मिलियन टन है, से 25 से 30 प्रतिशत ही उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या 1969-70 में निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत उपयोग होता था; और

(ग) यदि हां, तो क्षमता के उपयोग में कमी के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जनवरी

1971 से अप्रैल 1971 तक की अवधि का उत्पादन 232,132 टन पिण्ड था उत्पादन की यह दर निर्धारित क्षमता का लगभग 44 प्रतिशत थी ।

(ख) 1969-70 में 818,000 टन पिण्ड का उत्पादन हुआ जो निर्धारित क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत था ।

(ग) जनवरी 1971 से अप्रैल 1971 की अवधि में क्षमता का कम उपयोग होने के मुख्य कारण मालिक मजदूर सम्बन्धों का अच्छा न होना तथा कुछ प्रौद्योगिक बाधाओं का होना है ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों तथा भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची का कार्य

561. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :
श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों तथा रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम के कार्य का गहरा अध्ययन करने के आदेश जारी कर दिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी अध्ययन-प्रतिवेदन के कब तक तैयार हो जाने की आशा है; और

(ग) क्या प्रत्येक प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

खाद्यान्नों को चढ़ाना-उतारना और उनकी वसूली

562. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में कितनी मात्रा में और किस कीमत पर चावल और गेहूं की वसूली की गई;

(ख) सुरक्षित भण्डारों की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्यों से कितनी मांग पूरी होने की सम्भावना है;

(ग) खाद्यान्नों को चढ़ाने-उतारने और उनकी वसूली के कारण कितना लाभ अथवा हानि हुई और इस बारे में पिछले दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) अगर घाटा हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं और क्या वे पिछले वर्षों के कारणों जैसे ही हैं और यदि हाँ, तो उपचारात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1970-71 के दौरान अधिप्राप्त गेहूं और चावल की मात्रा तथा उसका मूल्य इस प्रकार हैं :—

अनाज	मात्रा अधिप्राप्त (लाख मी० टन में)	मूल्य करोड़ रुपयों में
देशों में अधिप्राप्ति		
गेहूं	31.36	272.85
चावल	25.79	265.59
आयात		
गेहूं	22.85	140.44
चावल	3.15	23.82

राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों द्वारा उनकी ओर से गेहूं और चावल की अधिप्राप्ति इस प्रकार थी :—

गेहूं	0.56	(लाख मी० टन में)
चावल	5.93	

राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों द्वारा अधिप्राप्त मात्रा की कीमत के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास अप्रैल, 1971 के अन्त में खाद्यान्नों में कुल स्टाक लगभग 55 लाख मी० टन था। इसमें से लगभग 20 लाख मी० टन स्टाक को परिचालन स्टाक और शेष 35 लाख मी० टन स्टाक को बफर स्टाक समझा जा सकता है।

केन्द्रीय पूल से राज्यों की खाद्यान्नों की माँग राज्य में खुले बाजार में उपलब्धता, खुले बाजार में मूल्यों का स्तर आदि पर निर्भर करते हुए प्रत्येक मास भिन्न भिन्न होती है। तथापि, केन्द्रीय पूल से राज्य सरकारों की औसत मासिक माँग 5.8 लाख मी० टन से अधिक होने की आशा नहीं है।

(ग) और (घ) : 1968-69 से 1970-71 तक के तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति करने और उन्हें सम्भालने के कारण निम्नलिखित हानि हुई है :—

वर्ष	हानि की राशि रु०
1968-69	16.71 करोड़
1969-70	31.08 ,,
1970-71	8.52 ,, अनुमानित

पहली अप्रैल, 1969 से खाद्यान्नों के आयात/अधिप्राप्ति, भण्डारण और वितरण से सम्बन्धित सारा कार्य भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया गया था। जहाँ तक 1968-69 का सम्बन्ध है, पत्तन परिचालन का कार्य भारतीय खाद्य निगम को सोपानवार दिसम्बर, 1968 और मार्च, 1969 सौंपा गया था। अतः 1968-69 की हानि को भी खाद्य विभाग द्वारा सम्भालने में हुई हानि के खाते में लिया गया है। क्योंकि एक वर्ष में दर्ज भुगतानों में पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित कुछ भुगतान भी होते हैं इसलिए उपर्युक्त अधिलिखित हानि एक ही वर्ष के कार्य से सम्बन्धित नहीं होती है।

खाद्य सप्लाई विषयक कार्य में हानि उपभोक्ता विशेषतया जनता के गरीब वर्गों के हित में सहायता प्राप्त मूल्यों पर अर्थात् लागत दाम से कम मूल्य पर खाद्यान्नों के निर्णय के कारण होती है। समाज के गरीब वर्गों के हित में जब तक यह सहायता आवश्यक है तब तक खाद्य सप्लाई कार्य में हानि होना अनिवार्य है।

रुई, पटसन और तिलहन की फसलों के लिए सघन खेती कार्यक्रम

563. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई, पटसन, तिलहन जैसी व्यापारिक फसलों की सघन खेती एवं उनका प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और उसके लिये कितनी निधि नियत की गई हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) जी हाँ।

(ख) इन कार्यक्रमों की मुख्य बातें ये हैं :—

1. उन्नत बीजों के प्रयोग, बीज उपचार, रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग, जहाँ सम्भव हो वहां सिचाई का विस्तार करना, वनस्पति रक्षण उपाय और कृषि पद्यतियों को अपनाने जैसी पैकेज पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाना।

2. समय पर अपेक्षित आदान तथा तकनीकी सलाह उपलब्ध करना।

3. कृषकों को पैकेज पद्धतियों के लाभ समझाने के लिए प्रदर्शन प्लाटों की व्यवस्था करना।

4. वनस्पति रक्षण रसायनिकों और हाथ से चलने वाले उपस्कर के लिये सहायता देना।

5. वनस्पति रक्षण के भूमि/हवाई उपाय का एक अभियान के आधार पर आयोजन करना।

6. जूट, मेस्टा और कपास पर यूरिया के (हवाई/भूमि से छिड़काव) पर्णीय प्रगोग के प्रदर्शन करना।

1971-72 के दौरान इन कार्यक्रमों के लिये 483.63 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त इन फसलों के अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजनों के अन्तर्गत नकदी फसलों के अनुसन्धान का कार्य भी शुरू किया गया है। इसके लिए 1971-72 के दौरान 113.96 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

कृषि उत्पादकों की उत्पादन लागत की जानकारी के लिए किये गये सर्वेक्षण

564. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सघन कृषि कार्यक्रमों के अपनाये जाने और उसके परिणामस्वरूप हुई भारी पैदा-

वार को ध्यान में रखते हुये तथा सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कृषि उत्पादन व्यय विशेषतः अनाजों की उत्पादन लागत का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया था ; और

(ख) उक्त सर्वेक्षण कब किया गया था और उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) और (ख) : देश के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य फसलों की खेती जिनमें खाद्यान्न भी सम्मिलित हैं, की कीमत के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए भारत सरकार ने एक विशेषयोजना अनुमोदित कर दी है। अपेक्षित जानकारी नमूने के तौर पर कृषकों से अध्ययन हेतु क्रम से एकत्रित की जायेगी । 15 राज्यों में योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक मनूरिया हाल में ही प्रेषित कर दी गई है । कुछ राज्यों में कुछ एजेन्सियों ने जिनको इस योजना का कार्यान्वियन सौपा गया है आँकड़े एकत्रित करना पहले ही शुरू कर दिया है, जबकि अन्य राज्यों में उन्होंने प्रारम्भिक कार्यों को जो नमूना-कृषकों के चयन से सम्बद्ध हैं, हाथ में ले लिये हैं ।

पूर्णिया (बिहार) जिले में बसे पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी

565. श्री डी० के० पंडा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णिया (बिहार) जिले में बसे पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी अभी हाल में अपना मामला सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये नई दिल्ली आये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भाग (ख) : बिहार के पूर्णिया जिले के किशनगंज से 55 परिवार और मधुवनी 6 परिवार 7-4-1971 को दिल्ली आये थे। इन सभी परिवारों को छोटे मोटे कारोबार में लगाकर फिर से बसा दिया गया है ।

किशनगंज के परिवारों ने अनुरोध किया था कि उन्हें व्यापार चलाने के लिये और ऋण दिये जाने चाहिए । उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें अलाट किये गये आवासीय प्लाटों में बहुत से गड्ढे और छेद थे, जिनके फलस्वरूप मकान बनाने से पहले उन्हें उस क्षेत्र को समतल करने के लिए और धन लगाना पड़ा था ।

मधुवनी के परिवारों की मुख्य शिकायत यह थी कि इस बस्ती और पूर्णिया नगर के बीच नाले के कारण उन्हें आवागमन में बड़ी कठिनाई हो रही थी । उनकी यह भी शिकायत थी कि इस बस्ती के 10 परिवारों को मंरंगा (पूर्णिया) शिविर के अहाते में व्यापार करने की अनुमति

नहीं दी जा रही थी और शिविर में उन्हें अलाट किये गये कारोबार के प्लाटों को खाली करने के नोटिस जारी कर दिये गये थे।

भाग (ग) : इस विभाग के एक अधिकारी ने अप्रैल, 1971 के अन्तिम सप्ताह में इन बस्तियों का दौरा किया था और इन व्यक्तियों की समस्याओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिकारियों से बात-चीत की थी।

इन परिवारों के पुनर्वास के लिये निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

किशनगंज बस्ती : बिहार सरकार ने, मार्च, 1969 में छोटे-मोटे व्यापार। कारोबार में बसाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों के 67 परिवार इस बस्ती में भेजे थे। रिहायशी क्षेत्र के विकास, भूमि को समतल करने, 9 नलकूपों को लगाने, सड़कों, नालियों और 36 सैप्टिक शौचालयों इत्यादि के निर्माण जैसी मदों पर 1,30,542.70 रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इन परिवारों को दी गई अन्य सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

	सहायता का स्वरूप	परिवारों की संख्या
(i)	व्यापार के स्वरूप के आधार पर प्रति परिवार 1,200/-रूपये से 2000/-रुपये के बीच कारोबार ऋण।	67
(ii)	2000/-रुपये प्रति परिवार की दर से गृह निर्माण ऋण।	67
(iii)	500/-रुपये प्रति परिवार की दर से कारोबार के लिए स्थाननिर्माण के लिए ऋण।	59

इन परिवारों को उसी दर पर भरण-पोषण सहायता भी दी गई थी जैसी कि छोटे-मोटे कारोबार करने वाले परिवारों के लिए स्वीकार्य है।

ऋण की पहली किश्त ले लेने के बाद 5 परिवार छोड़कर चले गये, चूंकि तीन परिवार ग्वालों के थे, इसलिये उन्हे स्टालों के निर्माण के लिये ऋण की आवश्यकता नहीं थी।

किशनगंज में बसाये गये परिवारों के लिए बिहार सरकार ने अतिरिक्त ऋण देने की कोई सिफारिश नहीं की है।

मधुवनी बस्ती : इस बस्ती और नगर के बीच आवागमन की सुविधा के लिए ह्यूम पाइप से बनी पुलियों वाली एक सड़क के निर्माण के लिये बिहार सरकार ने हाल ही में प्राक्कलन भेजे हैं। प्रस्ताव पर ध्यान दिया जा रहा है।

यह सूचित किया गया है कि ये परिवार पूर्णिया शिविर में अनधिकृत रीति से कारोबार कर रहे थे।

कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय आसनसोल

566. श्री डी० के० पंडा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय आसनसोल में गम्भीर

भ्रष्टाचार तथा कदाचार के मामलों की ओर दिलाया गया।

(ख) क्या उक्त कार्यालय के सचालन के मामलों की कोई जाँच की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो जांच कब और किसके द्वारा; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कोयला खान भविष्य निधि का प्रशासन कोयला खान भविष्य निधि पाकि पेंशन और बोनस योजना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित कोयला खान भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड से ताल्लुक रखता है और इससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित सूचना भेजी है।—

(क) प्रादेशिक कार्यालय, आसनसोल में गलत अदायगी के कुछ मामले पकड़े गये हैं। उस कार्यालय ने भ्रष्टाचार की एक सामान्य शिकायत भी ध्यान में आई है।

(ख) से (घ) : गलत अदायगियों के मामले की जांच करने का प्रश्न यथौचित अधिकरण से उठाया गया है। ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों की जो मुख्य रूप से नकद अदायगियों से उत्पन्न होते हैं, कम-से-कम करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। नकदी अदायगियों की प्रणाली को सीमित करने का एक प्रस्ताव, न्यासियों के बोर्ड द्वारा स्थापित उप-समिति के विचाराधीन है। इसी बीच, कुछ कर्मचारियों की आसनसोल कार्यालय से बदली कर दी गई है।

भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार

567. श्री डी० के० पंडा : क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार के कार्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना का अनुमानित व्यय क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इन्जीनियरी तथा रूपाँकन व्यूरो द्वारा भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के बारे में किए गए शक्यता अध्ययन में बताया गया है कि 227 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कारखाने की 25 लाख टन इस्पात पिण्ड की वर्तमान क्षमता 42 लाख टन इस्पात पिण्ड प्रति वर्ष तक की जा सकती है।

शक्यता परिवर्तन पर विचार किया गया है और उपलब्ध गर्भ धातु के अधिकतम उपयोग के आधार पर भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य हाथ में लेने का निश्चय किया गया है तथा (हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के) केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन व्यूरो को विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहा गया है।

कोयला खानों में मजूरी की अदायगी न करना

568. श्री डी० के० पंडा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला खानों के मजदूरों को उनके मालिकों द्वारा साप्तहिक मजूरी, मासिक वेतन तथा अन्य न्याय-संगत देय-राशि की अदायगी न किये जाने के कारण कोयला खानों के मजदूरों में व्याप्त असन्तोष से अवगत है;

(ख) उन कोयला खानों के क्या नाम हैं जहां से मजूरी की अदायगी न किये जाने सम्बन्धी गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) उन कोयला खानों के मालिकों को मजूरी की अदायगी समय पर करने को बाध्य करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) जिन कोयला खानों के सम्बन्ध में अदायगी न किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके नाम नीचे दिए गये हैं :—

पश्चिम बंगाल क्षेत्र

1. मनोहरबहल कोलियरी।
2. साउथ जयरामडांगा कोलियरी।
3. निम्चा कोलियरी।
4. विक्टरी (एमजे) ग्रुप कोलियरी।
5. मिथापुर कोलियरी।
6. सेलेक्टिड साम्ता कालियरी।
7. राधामाधवपुर कोलियरी।
8. घुसिक कोलियरी।
9. मुस्लिया कोयलरी।
10. विक्टर (जी० एल० ग्रुप) कोलियरी।
11. खास जाम्बाद कोलियरी।
12. सियरसोल कोलियरी।
13. काली पहाड़ी कोलियरी।
14. न्यु घुसिक कोलियरी।

बिहार क्षेत्र

1. केदला कोलियरी।
2. झारखण्ड कोलियरी।

3. बंसदेवपुर कोलियरी ।
4. न्यू हिन्नोडीह कोलियरी ।
5. बेनिडीह कोलियरी ।
6. नुदखर्की कोलियरी ।
7. डायमंड तिसरा कोलियरी ।
8. साउथ झरिया कोलियरी ।
9. नार्थ कुजामा कोलियरी ।
10. तोप्सा कोलियरी ।
11. तीरा कोलियरी और
12. न्यु स्टैंडर्ड लोवना कोलियरी ।

(ग) प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों को मजदूरी तथा अन्य वैध-राशि की अदायगी कराने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क तंत्र के अधिकारियों द्वारा कानून के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जा रही है ।

बम्बई कस्टम हाउस के एजेन्टों की श्रमिक पूल योजना

569. श्री डी० के० पंडा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई कस्टम हाउस के एजेण्टों ने असुरक्षित कर्मचारियों के लिए 1 मई, 1971 से श्रमिक पूल की स्थापना की है;

(ख) क्या इस श्रमिक पूल से कर्मचारियों को लाभ होगा; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या देश के अन्य भागों में भी 'श्रमिक पूल' योजना लागू करने का सरकार का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 4 मई, 1971 से एक पूल स्थापित किया गया है ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) यह एक निजी द्विपक्षीय व्यवस्था है और किसी ऐसी योजना का भाग नहीं है जिसे सरकार ने गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 के अधीन बनाया है ।

आर० एस०—09 ट्रैक्टर के नमूने की जाँच करने के लिए समिति की प्रतिनियुक्ति

570. श्री टी० एस० लक्ष्मणन् : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर० एस०—09 ट्रैक्टर के नमूने की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसकी रिपोर्ट की प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी;

(ग) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि पूर्वी जर्मनी द्वारा सप्लाई किये गये सभी आर० एस०—09 ट्रैक्टर उनके द्वारा वापस लिये जा रहे हैं, इन त्रुटिपूर्ण ट्रैक्टरों के आयात के लिए जिम्मेदार दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या एक निष्पक्ष जांच के लिए उक्त मामला केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपा जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जी हाँ। 1965 में बुदनी में आर० एस०—09 ट्रैक्टरों के परीक्षण से सबंधित रिकार्ड की जाँच-पड़ताल और निरीक्षण तथा उससे सम्बन्धित अन्य मामलों को दृष्टिगत रखते हुए 4 नवम्बर, 1970 को सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) और (घ) : सरकार द्वारा तकनीकी समिति की रिपोर्ट की पूर्ण रूप से जाँच करने के उपरान्त इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि से डेरी उद्योग के लिए सहायता

571. श्री टी० एस० लक्ष्मणन : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि के कार्यकारी मण्डल (बोर्ड) ने हमारे डेरी उद्योग के विकास के लिए नई सहायता की स्वीकृति हाल में दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना सं० 618 दुग्ध विपणन और डेरी विकास को कार्यान्वियन करने के लिये यूनीसेफ से अनुरोध किया गया था कि वे 1970-71 और 1971-72 वर्षों के दौरान प्रथम चरण की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये डेरी परिसंस्करण औजारों, कल पुर्जों और इस्पात सामग्री के आयात के लिए 25 लाख डालर की सहायता की व्यवस्था करें। यूनिसेफ को कार्यकारी दल भाड़े सहित अमरीकी 15 लाख डालर के मूल्य के निःशुल्क औजार और इस्पात देने के लिये पहले ही सहमत हो गया है और हाल में ही कार्यकारी योजना पर भारत सरकार और यूनिसेफ ने हस्ताक्षर किये हैं। कार्यकारी योजना में व्यवस्था की गई है कि वे (भाड़ा सहित) 15 लाख डालर के मूल्य के डेरी परिसंस्करण औजार, कल पुर्जे और इस्पात सप्लाई करें ताकि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के 4 बड़े नगरों में सार्वजनिक क्षेत्र में दूध प्लान्टस की वर्तमान क्षमता का विस्तार किया जाये। यूनीसेफ औजार भारत में जून, 1971 में पहुंचने आरम्भ हो जायेंगे। 1970-71 के दौरान 15 लाख

डालर के मूल्य के औजारों और इस्पात की सप्लाई के समझौते के अतिरिक्त उन्हें अतिरिक्त 9 लाख डालर के मूल्य के डेरी औजार और इस्पात 1971-72 के लिये सप्लाई करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रार्थना की गई है। यह मांग स्थानीय यूनीसेफ कार्यालय द्वारा कार्यकारी मण्डल को भेज दी गई है। कार्यकारी मण्डल के अनुमोदन के बारे में भारत सरकार को जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात की अनुमानित मांग

572. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान देश में इस्पात की अनुमानित माँग क्या है;

(ख) क्या इस्पात कारखाने उक्त माँग को पूरा कर सकते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय द्वारा गठित लोहा और इस्पात का कर्णधार समिति ने, जिसने फरवरी 1969 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, 1973-74 में इस्पात की आंतरिक माँग के 71.2 लाख टन होने का अनुमान किया था। इससे पूर्व 1968 में राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद ने अनुमान लगाया था कि 1970-71 में इस्पात की माँग 74·01 लाख टन और 1975-76 में 119.34 लाख टन होगी। चूंकि ये दोनों अध्ययन अब कुछ पुराने हो गये हैं इसलिए इस्पात की मांग का फिर से अनुमान लगाया जा रहा है।

(ख) और (ग) : इस समय देश के पांचों प्रमुख इस्पात कारखानों की निर्धारित क्षमता 67 लाख टन विक्रेय इस्पात की है। इसके अतिरिक्त रद्दी माल का प्रयोग करने वाली कई विद्युत भट्ठियां भी हैं और उनके 1973-74 तक पर्याप्त मात्रा में इस्पात के उत्पादन करने की सम्भावना है। चौथी योजना के अन्त तक बोकारो का 25 लाख टन इस्पात की क्षमता वाला प्रथम चरण पूरा हो जायेगा। इन सभी स्रोतों से होने वाले उत्पादन से आंतरिक मांग बहुत हद तक पूरी हो जायेगी।

आर० एस०-09 ट्रैक्टर के निर्माण के लिये मै० इण्डियन एग्रो मशीन्स को दिये गये लाईसेंस का रद्द किया जाना

573. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या आर० एस०-09 ट्रैक्टरों में आधारभूत त्रुटियों को ध्यान में रखते हुये, हैदराबाद में इन ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये मै० इण्डियन एग्रो मशीन्स को दिये गये लाईसेंस को रद्द

करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ. तो इस बारे में क्या अन्तिम कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : सर्वश्री भारत एग्रो-मशीन्स, नई दिल्ली को आर० एस०-09 कृषि ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिये अभी तक कोई औद्योगिक लाईसेंस नहीं जारी किया गया है और इसलिये इसे रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में ट्रैक्टरों की मांग

574. श्री सी० चित्ति बाबू : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में कृषकों की ट्रैक्टरों की मांग का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित ट्रैक्टरों की अश्व शक्ति और संख्या कितनी है; और

(ग) मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) **से** (ग) : कृषि मशीनरी और औजारों से सम्बन्धित कार्यकारी दल ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न अश्व शक्तियों के ट्रैक्टरों की माँग का निर्धारण किया था और योजना के अन्त तक इसने माँग का जो अनुमान लगाया था, वह निम्न प्रकार है :—

अश्व शक्ति	**संख्या** (1973-74)
12 से 20 डी बी अश्व शक्ति तक	25,000
21 से 35 ,, ,, ,,	45,000
36 से 50 ,, ,, ,,	18,000
51 और इससे अधिक अश्व शक्ति	2,000
कुल	90,000

ट्रैक्टरों की कुल मांग को पूरा करने के लिए, यथा संभव देशी उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रति वर्ष 56,000 ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिए यूनिटों को लाइसेन्स दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष 1,18,800 ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिए आशय-पत्र जारी किए गए है। प्रति वर्ष 33,000 ट्रैक्टरों के विनिर्माण की योजनायें भी बिचाराधीन हैं । चूंकि देशी उत्पादन बढ़ती हुई मांग को पूरी करने में समर्थ नहीं है, अतः आवश्यकता अनुसार ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति दी जा रही है ।

इस्पात कारखानों में इस्पात का उत्पादन

575. **श्री सी० चित्ति बाबू :**
श्री मार्तण्ड सिंह :
डा० कर्णीसिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस्पात कारखानों की निर्धारित क्षमता और उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 1970-71 के दौरान कुल कितने मीटरी टन इस्पात का उत्पादन हुआ;

(ख) विभिन्न इस्पात कारखानों में उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस इस्पात कारखानों की निर्धारित क्षमता तक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) निम्नलिखित तालिका में निर्धारित क्षमता तथा 1970-71 का उत्दादन-लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन दिखाया गया है ।—

1970-71 में विक्रेय इस्पात का उत्पादन
(000 टन)

संयंत्र का नाम	निर्धारित क्षमता	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
भिलाई	1965	1707.0	1548.6
दुर्गापुर	1239	695.1	412.6
राउरकेला	1225	1044.4	683.6
	4429	3446.5	2644.8
टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०	1500	(आँकड़े उपलब्ध नहीं है।	1374.6
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि०	800	(	523.2
कुल जोड़	6729		4542.6

(ख) भिलाई कारखानों में ऊष्मसह और रेलवे इंजन की कमी के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । दुर्गापुर कारखाने में पूरे साल भर और राउरकेला में वर्ष के पूर्वाध मालिक-मजदूर संबन्ध अच्छे नहीं रहे । इन कारखानों में कुछ तकनीकी परिचालनात्मक त्रुटियां भी रहीं ।

टिस्को में वर्ष 1969-70 की तुलना में 1970-71 में विक्रेय इस्पात के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण बेलन कार्य के लिए खरीदे गये इस्पात पिण्डों की कम उपलब्धि थी । कारखाने की कोक भट्टी और धमन भट्टी में भी परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयां थीं और उसे खरीदे गये कोक की अपर्याप्त उपलब्धि, फनेस आयल की कमी आदि कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। 'इस्को' में मालिक मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लि० को आशा है कि श्रमिक स्थिति संतोषजनक है । पर उसके भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्थित इस्पात कारखानों में 1970-71 इस्पात पिण्ड के वास्तविक उत्पादन की तुलना में वर्ष 1971-72 में 10 लाख टन से अधिक उत्पादन होगा । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे सभी आवश्यक उपलब्धि जिनमें उपकरणों की उपलब्धि में वृद्धि के लिए साधारण कार्यक्रम का निर्धारण उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असंतुलन को दूर करने के विचार से बड़े बड़े कार्यक्रमों की पूर्ति में शीघ्रता, कच्चे माल आवश्यक फालतू पुर्जे, ऊष्मसह रेलवे इंजन की प्राप्ति और प्रौद्योगिक सुधारों को लागू करना, आदि शामिल है। इसके हरेक कारखाने का तीन साल का बेलन कार्यक्रम तैयार किया गया है उत्पादन की गति पर कड़ी नजर रखी जाएगी । उत्पादन वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन को समर्थ बनाया जा रहा है ।

'टिस्को' और 'इस्को' के प्रबन्धक वर्ग द्वारा भी इस प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं।

औद्योगिक सम्बन्ध आयोग

576. श्री बी० नारायणन् : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक सम्बन्ध आयोग स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच अविश्वास की भावना दूर करने के लिए कोई वैकल्पिक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यद्यपि स्थायी, श्रम समिति जुलाई 1970 में इस प्रस्ताव को मानने के पक्ष में थी, श्रमिकों के कुछ केन्द्रीय संगठनों ने जिन्होंने समिति की बैठक में भाग नहीं लिया था, इस विषय पर संकोच व्यक्त किये थे । विवाद तय करने के सर्वोतम उपयुक्त तंत्र बनाने का प्रश्न पुनः ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के 20-21 मई, 1971 को हुए सम्मेलन और नियोजकों के संगठनों के 22 मई, 1971 को हुए सम्मेलन के समक्ष आया । औद्योगिक संबंधों के इस तथा अन्य पहलुओं पर आगे एक त्रिपक्षीय बैठक में विचार किया जाना है ।

खेतों पर दवाइयां छिड़कने वाले वायुयानों के लिये विश्व बैंक से ऋण

577. श्री बी० नारायणन् : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या खेतों पर दवाइयां छिड़कने वाले वायुयानों को अनाज की फसलों की सुरक्षा

के लिये बरतने की कोई योजना हैं क्योंकि हाल के विश्व बैंक ऋण से कई कम्पनियाँ ऐसे वायुयान खरीद पाई हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक ने कितना ऋण स्वीकार किया है, कितने वायुयान खरीदे गये क्षौर उन्हें खरीदने वाली कम्पनियों के क्या नाम हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां :

(ख) विश्व बैंक ने 60 लाख डालर का एक ऋण, जिसे 82 कृषि वायुयानों के आयात में प्रयोग किया जायेगा, की आफर की हैं । विश्व बैंक के साथ एक इकरारनामें पर हस्ताक्षर हो गये हैं और ऋण को अभी प्रभावत्मक होना है, उसके बाद ही इन 82 कृषि वायुयानों के आयात के लिये बैंक द्वारा निधि नियुक्ति की जायेगी ।

सहकारी आन्दोलन को लोकप्रिय बनाना

573 **श्री सामिनाथन् :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी आन्दोलनों को सर्वव्यापी बनाने, उसके सदस्यों को क्रियाशील बनाने और इस मृत आन्दोलन के दोषों को दूर करने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) क्या उक्त आन्दोलन में जनता का विश्वास पैदा करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर जाँच कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) इस दिशा में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) (क) : चौथी योजना का मूल सिद्धान्त स्थायित्व के साथ विकास होने के कारण एक ओर कृषि में सहकारी समितियां और दूसरी ओर उपभोक्ता सहकारी समितियां देश में सहकारी विकास की नीति में केन्द्रीय स्थिति ग्रहण किये हुये हैं यह स्वीकार किया है कि नियोजित विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है कि देश के सभी भागों में सहकारी समितियों का विकास किया जाये और विभिन्न किस्मों की सहकारी संस्थाओं के कार्यो में समन्वय सुनिश्चत किया जाये, जिसमें वर्तमान समितियों को उनके ससाधनों तथा सदस्यता में वृद्धि करके और उन एककों, जिनकी पुनःस्थापना अथवा पुनः प्रचलित करने की कोई संभावना नहीं है, को समाप्त करके सक्रिय करना भी शामिल है । योजना में इस उद्देश्य के लिए विभिन्न कार्यक्रम शामिल किये गये हैं ।

(ख) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

श्रमिक संघ संगठनों की सदस्य संख्या

579 **श्री ए० पी० शर्मा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस राष्ट्रीय श्रमिक संघ संगठन के देश में सर्वाधिक सदस्य हैं और सदस्यता की जानकारी कसे प्राप्त की जाती है ; और

(ख) क्या सरकार विभिन्न राष्ट्रीय श्रमिक संघों की 31 मार्च, 1971 की सदस्य संख्या बताने की स्थिति में है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) : 31 दिसम्बर, 1968 को सत्यापित सदस्य-संख्या के अनुसार राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के सर्वाधिक सदस्य हैं। चार केन्द्रीय संघ संगठनों अर्थात राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा और यूनाइटिड ट्रेडस यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध मजदूर संघों की सदस्यता की जांच 1958 में हुये भारतीय श्रम सम्मेलन के 16वें अधिवेशन में लिये गये निर्णय के अनुसरण में स्वीकृत सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

(ख) जी, नहीं। सदस्यता का सत्यापन वित्तीय वर्ष की बजाय कैलेन्डर वर्ष के आधार पर दो वर्ष में एक बार किया जाता है।

बेरोजगारों की संख्या का निर्धारण

580 **श्री ए० पी० शर्मा :**

श्री सेझियान :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1971 को देश में बेरोजगार व्यक्तियों (पढ़े-लिखे व अनपढ़) की संख्या क्या थी ।

(ख) इन व्यक्तियों को नौकरी देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? और

(ग) क्या उन्हें नौकरी देने का कार्य विभिन्न चरणों में पूरा किया जायेगा अथवा सरकार ने उन्हें नौकरी देने की राज्य-वार और जिला-वार कोई योजना तैयार की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) विषय पर उपलब्ध जानकारी नियोजन कार्यालयों को चालू रजिस्टर में दर्ज काम चाहने वालों की संख्या से ही सम्बन्धित है जो 42.21 लाख थी। इन रजिस्टरों में पढ़े-लिखे काम चाहने वालों (मैट्रिक और इससे अधिक) की संख्या 18.22 लाख थी।

(ख) और (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कृषि, उद्योग, परिवहन व संचार सिंचाई व बिजली, और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यक्रमों को चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के पुलेख में विस्तारपूर्वक समझाया गया है जिनसे (शिक्षित सहित) बेरोजगारों के लिये अधिकाधिक काम-काज के अवसर प्राप्त होने की संभावना है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों के अतिरिक्त, समाज के निबल वर्ग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के निबल वर्ग के लाभ के लिये अधिक संख्या में काम-काज के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कुछ विशिष्ट योजनाएं चालू की गई है; इन योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा "सामाजिक न्याय के साथ उन्नति की ओर" नामक प्रलेख में दिया गया है जिसे 1970-71 बजट पत्रों के साथ माननीय सदस्यों में बांटा गया था। इन योजनाओं में कुछ अधिक महत्वपूर्ण योजनायें जैसे छोटे किसानों के लिये विकास एजेन्सियों की स्थापना, सीमान्त-किसानों और खेतीहर मजदूरों के

लिये योजना, अजल-खेती विकास योजना, देहाती क्षेत्र में निर्माण कार्यक्रम-क्षेत्रीय विकास योजनायें हैं। मध्यमवर्गी और लघु उद्योगों के विकास पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। तकनीकी तथा प्रबन्धकीय जानकारी देने तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य संस्थापनाओं जैसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों को अपना निजी कार्य आरम्भ करने के लिए आवश्यक ऋण देने के लिये एक योजना लागू की जा रही है।

अभी हाल ही में अप्रैल, 1971 से देहाती क्षेत्र में नियुक्ति अवसर जुटाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम (क्रैश प्रोग्राम) आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम, के अधीन जिसके लिये चौथी योजना के दौरान प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अधीन देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 1000 व्यक्तियों को मूल भूत ढांचा तैयार करने वाले ऐसे निर्माण कामों में नियुक्त अवसर मिलेंगे, जो अन्ततोगत्वा सम्बन्धित जिले के क्षेत्रीय विकास योजनाओं के साथ मेल स्थापित करेंगे।

उत्पादनकारी नियोजन/स्व-नियोजन की ओर युवकों को लगाने के लिये विश्वविद्यालय तथा स्कूलों में वृत्ति-सलाह और व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिये भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ-साथ प्रशिक्षण के वर्तमान कार्यक्रमों को पुर्नगठित और पुनरस्थापित किया जा रहा है जिनसे तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति विशेषकर इंजीनियर और हस्तकार, अपना काम स्वयं करने और नियुक्ति अवसर प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक योग्य बन सके।

इस्पात के आयात और निर्यात मूल्य

581 श्री ज्यतिर्मय बसु :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री इस्पात के आयात और निर्यात मूल्यों के सम्बन्ध में 30 मार्च 1971 के अन्तरांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल,-दिसम्बर 1970 के दौरान भारत से निर्यात किये गये इस्पात के जहाज तक निशुल्क-औसत मूल्य और चार श्रेणियों के इस्पात विशेष रूप से अमरीका और इंगलैण्ड से आयातित के औसत मूल्य के बीच अत्यधिक अन्तर के क्या कारण हैं।

(ख) इस अवधि के दौरान इस मद पर भारत को यदि कोई हानि हुई तो कितनी;

(ग) 1970-71 के दौरान भारत में प्रत्येक श्रेणी के इस्पात का औसत उत्पादन-मूल्य क्या था ;

(घ) 1970-71 के दौरान निर्यातित इस्पात के औसत जहाज तक निःशुल्क मूल्य और उत्पादन-मूल्य में क्या अन्तर रहा; और

(ङ) इसमें क्या हानि अथवा लाभ रहा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जैसा कि 30 मार्च, 1971 को अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर में बताया गया था कि जिन श्रेणियों के इस्पात का निर्यात किया गया उनमें से किसी भी श्रेणी के इस्पात का बड़ी मात्रा में आयात नहीं किया गया। अतः मूल्य की कोई सार्थक तुलना करना सम्भव नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इन श्रेणियों का आयात नहीं किया गया ;

(ग) से (ङ) उत्पादन लागत के विस्तृत आंकड़े इस रूप में उपलब्ध नहीं है कि उनकी सार्थक तुलना की जा सके ।

पश्चिम बंगाल में अनाज का उत्पादन, वसूली तथा उसके मूल्य

582 श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 और वर्ष 1970-71 में पश्चिम बंगाल में चावल, गेहूं तथा अन्य अनाजों का कुल कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1971-72 में कितने उत्पादन की आशा है ।

(ख) 1969-70 तथा 1970-71 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुल कितना चावल खरीदा गया और 1971-72 वर्ष में खरीद का क्या लक्ष्य है ;

(ग) क्या यह सच है कि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद राशन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से बाहर पश्चिम बंगाल में चावल का मूल्य हाल में बढ़ा है ; यदि हां तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए यदि कोई उपाय किये गये हैं तो वे क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1969-70 में पश्चिम बंगाल में चावल, गेहूं तथा अन्य अनाजों का कुल उत्पादन 58.6 लाख मी० टन होने का अनुमान था । वर्ष 1970-71 के दौरान उत्पादन के अनुमान केवल जुलाई अथवा अगस्त में उपलब्ध होंगे । कृषि वर्ष 1971-72 के दौरान उत्पादन का कोई अनुमान देना अभी मुश्किल ही होगा । क्योंकि यह वर्ष केवल जुलाई, 1970 में शुरू होगा ।

(ख) **वर्ष**	**भा० खा० नि० द्वारा अधिप्राप्त की गई मात्रा**
1969-70 (नव० 69 से अक्तू० 70)	4.11 लाख मी० टन
1970-71 (नव० 70 से 6-5-71)	2.42 लाख मी० टन

1971-72 के लिए अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जल्दबाजी होगी ।

(ग) 1970-71 के दौरान उत्पादन में वृद्धि की पुष्टि नहीं की जा सकती । वर्ष के इस भाग के दौरान चावल के मूल्यों में कुछ मौसमी वृद्धि होना एक आम बात है । इस वर्ष जिन अन्य कारणों से वृद्धि हुई, वे इस प्रकार हैं :—

(1) इस वर्ष अमन चावल का कम उत्पादन ।
(प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार)

(2) राज्य में कानून तथा व्यवस्था की गम्भीर स्थिति ।

(3) मध्यावधि चुनाव जिन्होंने जिला प्रशासन तथा पुलिस को व्यस्त रखा ।

(4) चुनाव-पूर्व की अनिश्चितता से मंडी में अव्यवस्था ।

(5) पूर्वी बंगाल से भारी संख्या में लोगों का आगमन ।

(घ) केन्द्रीय पुल से पश्चिमी बंगाल की खाद्यान्नों की सप्लाई में वृद्धि कर दी गई है। भारी संख्या में विशेषकर गरीब वर्ग के लोगों को सशोधित राशन व्यवस्था के अन्तर्गत लाया गया है और राज्य सरकार कमी वाले जिलों तथा अधिशेष जिलों के कमी वाले भागों में चावल का अधिकाधिक आवंटन कर रही है। राज्य सरकार चावल मिलों के उत्पादन के लेवी मुक्त भाग के चावल को खुले बाजार में सप्लाई करने के लिये भी प्रबन्ध कर रही है। इन सभी उपायों के परिणाम स्वरूप पश्चिमी बंगाल में मई 1971 के प्रारम्भ से चावल के मूल्यों में धीरे धीरे सुगमता की प्रवृत्ति आई है।

खेतीहर और भूमिहीन श्रमिकों को ऋण देने हेतु राज्य सहकारिता अधिनियम में संशोधन

583. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सहकारी अधिनियम में इस समय भूमिहीन किसानों, बटाईदारों और कृषि-श्रमिकों को ऋण देने की व्यवस्था है;

(ख) क्या इससे ग्रामीण जनसंख्या का लगभग दो तिहाई सहकारी संस्थाओं से लाभ उठाने तथा ऋण सुविधा प्राप्त करने से वंचित रह जाता है;

(ग) क्या देश की प्रत्येक पंचायत से कृषि-श्रमिकों और भूमिहीन किसानों के लिए अलग सहकारी संस्थाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता अधिनियमों और नियमों में तत्काल संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). सहकारी समिति अधिनियम और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियम भूमिहीन किसानों, बटाईदारों और कृषि श्रमिकों को सहकारी समितियों के सदस्य बनने और ऋण सुविधाओं तथा अन्य सेवाएं प्राप्त करने से नहीं रोकते हैं।

(ग) और (घ) : उपर्युक्त भाग (क) व (ख) के उत्तर को देखते हुए सहकारी समिति अधिनियमों तथा नियमों में संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता है। इन कानूनों में संशोधन करने का प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। यह कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि भारत के संविधान के अन्तर्गत यह विषय राज्य सूची में आता है।

फसल ऋण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी समितियों की ऋणदायी नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रतिभूति आधारित होने के स्थान पर उत्पादन अभिमुख बनाने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं और इस प्रकार ये भूमिहीन किसानों, बटाईदारों और कृषि श्रमिकों आदि के लिए लाभदायक बन सकें।

सरकार ने 41 लघु कृषक विकास अभिकरण और 34 सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनाएं भी स्थापित की हैं। इन संस्थाओं से आशा की जाती है कि ये सहकारी समितियों तथा वाणिज्य बैंकों जैसे संस्थागत अभिकरणों के माध्यम से छोटे कृषकों, भूमिहीन कृषकों और कृषि श्रमिकों को ऋण, निवेशों और अन्य सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि करेंगी।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन राँची के मुसलमान कर्मचारियों का पुनर्वास

584. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 के साम्प्रदायिक झगड़ों से प्रभावित हुए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के सैकड़ों मुसलमान कर्मचारियों को अभी तक बसाया नहीं जा सका है; और

(ख) यदि हां, तो उनके तत्काल बसाये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) दंगे से प्रभावित लगभग 500 मुस्लिम कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर कम्पनी के दो होटलों में ठहराया गया था। इनमें से 61 कर्मचारी 1970 में बस्ती में दिए गए क्वार्टरों में वापस चले गये थे। इनमें से 26 ने क्वार्टर छोड़ दिए हैं और रहने का अपना प्रबन्ध कर लिया है। अभी और अधिक कर्मचारियों को बस्ती में क्वार्टरों की अलाटमेंट स्वीकार करने के लिए राजी करना सम्भव नहीं हो सका है।

(ख) यह एक नाजुक सामाजिक समस्या है जिसमें सभी सम्बन्धितों के ऐच्छिक सहयोग की आवश्यकता है। कम्पनी के प्रबन्धक वर्ग द्वारा इस विषय में सक्रिय प्रयत्न जारी है।

चीनी का उत्पादन तथा उसकी मांग और गन्ना उत्पादकों को अदायगी

585. श्री सेझियान :

श्री विश्वनाथ राय :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में देश में चीनी के उत्पादन तथा उसकी मांग की क्या स्थिति रही; और

(ख) गन्ना उत्पादकों को उन्हें देय धन दिलाने और मिलों और बाज़ारों से चीनी के फालतू स्टाक को निकालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) 1968-69 तथा 1969-70 के दो वर्षों में चीनी का उत्पादन तथा निकासी इस प्रकार थी :

(लाख मी० टन)

वर्ष	**उत्पादन**	**निकासी**
1998-69	35.59	26·09
1969-70	42.62	32.61

(ख) (1) राज्य सरकारों से समय समय पर कहा गया हैं कि वे कारखानों द्वारा गन्ने के बकाया का शीघ्र भुगतान कराने की व्यवस्था करें तथा चूककर्ता कारखानों के विरुद्ध बड़े उपाय करें।

(2) सम्बन्धित प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे चीनी कारखानों को अधिक बैंक ऋण लेने की अनुमति दें।

(3) कारखानों के पास स्टाक के अनुपात में विषमता कम करने की दृष्टि से बिक्री

के लिये चीनी की नियुक्ति अब उत्पादन की बजाय स्टाक पर की जाती है। जिन कारखानों के पास अधिकतर अनुपात में चीनी का स्टाक है। उन्हें भी खुले बाजार में बिक्री के लिए चीनी की अतिरिक्त माला दी गई है।

(4) चीनी के मूल्य तथा वितरण पर लगे प्रतिबंधों को उठा लिया गया है।

पूर्व पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की समस्या का समाधान करने के लिये विशेष ऐजेंसी की स्थापना

586. श्री त्रिदिव चौधरी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार पूर्व बंगाल से आये नये शरणार्थियों के लिए जिन्होंने 25 मार्च, 1971 के पश्चात उस देश में सेना द्वारा किये जा रहे अत्याचारों से बचने तथा आश्रय प्राप्त करने के लिए सीमा पार की है; कोई विशेष एजेंसी स्थापित करने का विचार कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार यह भी विचार कर रही है कि उक्त कार्यों को केन्द्रीय सूची की मद संख्या 10,12,17 और 19 तथा समवर्ती सूची की मद संख्या 27 तथा संविधान की नौवीं सूची के अधीन केन्द्रीय उत्तरदायित्व समझा जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो उक्त विशेष संगठन का ढाँचा तथा स्वरूप क्या होगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). जी नहीं। केन्द्रीय पुनर्वास विभाग राज्य सरकारों की सहायता से पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों को आवश्यक राहत सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इस सम्बन्ध में जो भी खर्च किया जा रहा है, उसे केन्द्रीय सरकार वहन कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वर्तमान पुनर्वास विभाग के अतिरिक्त किसी विशेष ऐजेंसी की स्थापना नहीं की गई है।

पश्चिम बंगाल को अतिरिक्त अनाज की सप्लाई

587. श्री त्रिदिव चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने, खाद्य वसूली में कमी के कारण उस राज्य को दिये जाने वाले इस वर्ष (1970-71) के स्वीकृत अनाज के कोटे के अतिरिक्त कितने चावल और गेहूं की मांग की है; और

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री और उनके साथ इस सम्बन्ध में कोई बात चीत हुई है, और यदि हां तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल की सरकार से चावल के लिए पंचाँग वर्ष के आधार पर और गेहूं के लिये मासिक आधार पर मांगें प्राप्त होती हैं। जैसा कि अक्तूबर, 1970 से सूचित किया गया था, राज्य की पंचांग वर्ष

1970 के लिए मूल मांग 4 लाख मी० टन थी। इसको बढ़ाकर मार्च, 1971 में 5 लाख मी० टन और अप्रैल, 1971 में 6.25 लाख मी० टन कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त अब उन्होंने पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के लिए 2 लाख मी० टन चावल की अपनी आवश्यकता सूचित की है।

जहां तक गेहूँ का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से वित्तीय वर्ष 1970-71 के दौरान कुल 12.45 लाख मी० टन तक की मासिक मांगें प्राप्त हुई थीं। उन्होंने अप्रैल, 1971 के लिए 125 हजार मी० टन और मई तथा जून के प्रत्येक महीनों के लिए 135 हजार मी० टन के लिये मांग की थी।

(ख) राज्य के खाद्य मन्त्री द्वारा 17-4-1971 को केन्द्रीय कृषि मंत्री के साथ विचार-विमर्श करने के बाद राज्य सरकार ने 6.25 लाख मी० टन चावल की अधिक मांग के लिए लिखा था। पश्चिमी बंगाल की सरकार को सूचित किया गया है कि उनकी चावल सम्बन्धी संशोधित आवश्यकता को नोट कर लिया गया है और उनकी सारी उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जायेंगे। भारतीय खाद्य निगम अपने पश्चिमी बंगाल में स्थिति गोदामों में केन्द्रीय सरकार की ओर से चावल का पर्याप्त स्टाक रखता है। अन्य राज्यों से इन गोदामों में और अधिक चावल ले जाया जा रहा है और राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार उन्हें प्रत्येक मास इन गोदामों के स्टाल में से चावल निर्मुक्त किया जाता है। राज्य सरकार की गेहूं विषयक मांग को पहले ही पूर्ण रूप से पूरा किया जा रहा है।

चूहों द्वारा खाद्यान्न की क्षति

588. श्री के० सी० चावड़ा :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कतिपय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश में प्रति व्यक्ति 4 से अधिक औसतन चूहे जो लगभग 2 अरब 40 करोड़ हैं और जो प्रति वर्ष लगभग 20 लाख 40 हजार टन खाद्यान्न खा जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार खाद्यान्न को चूहों द्वारा खाये जाने से रोकने के लिये या तो चूहों की संख्या कम करने या अन्य पर्याप्त उपायों द्वारा कार्यवाही करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) जी हां। सरकार ने यह समाचार देखा है।

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने चूहा नियन्त्रण कार्य हाथ में ले लिया हैं। 1969-70 तक राडेन्टिसाइड के प्रयोग से चूहों को समाप्त करने की एक योजना, राज्य सरकारों के जरिये केन्द्र द्वारा प्रचालित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही थी जिसको 1969-70 से राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दिया गया है। चूहा नियन्त्रण के विभिन्न उपाय, जैसे जाल में फंसाना, लुभाकर फंसाना, बिलों में गैस भरना, चूहों की संख्या को नियन्त्रण करने के लिये काम में लाये जा रहे हैं। केन्द्रीय खाद्य विभाग ने भी, किसानों के स्तर पर सर्वप्रिय सुथरे किस्म के भण्डारगारों को बनाने के लिये प्रसारण कार्य को तेज कर दिया है। खाद्यान्नों के भण्डारण को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकी तथा पेस्ट नियन्त्रण द्वारा आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि चूहों के कारण खाद्यान्नों को होने वाली हानि को कम से कम किया जा सके।

Arrears of Sugarcane Price Outstanding Against Sugar Mills

589. Shri Mohan swarup :

Shri V. N. P. Singh :

Will the **Minister of Agriculture** (Krishi Mantri) be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that even after the month of April, lakhs of rupees of sugarcane price arrears are still outstanding against most of the sugar mills in Uttar Pradesh and the payment thereof has been totally held up by them;

(b) If so, whether Government have tried to as certain the reasons therefor; and

(c) The details of the concrete steps being taken to ensure the payment of sugarcane price arrears to the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Krishi mantralaya men Rajya mantri) (Shri Sher Singh) : (a) ; Against the cane price dues of Rs. 9257.82 lakhs for sugarcane purchased in 1970-71 upto 30th April, 1971, a sum of Rs. 7282.41 lakhs had been paid to the cane growers till that date and out of the last season's (1969-70) cane price dues of Rs. 812.31 lakhs at the beginning of the season, a sum of Rs, 619.59 lakhs has been paid during the current season (1970-71) upto 30th Aril, 1971. The payment of cane pr ce dues is, therefore, not totally held up.

(b) : The larger cane price arrears are mainly attributable to accumulation of stocks of sugar due to the record production in 1969-70 and larger carry-over stocks of the previous season.

(c) : Government of India have asked the State Government to take stringent measures including coercive steps aginst defaulting sugar mills to enforce timely payment of cane price arrears. Recovery Certificates have been issued in U. P, against 26 defaulting sugar factories on the basis of the position of cane price dues as on 15th April, 1971. Eight sugar factories have been placed under receivership. Collectors have announced auction of five sugar factories. The owner of one sugar mill was put under revenue lock up for holdig up payment of cane price dues. Three sugar factories have entered into agreement with the State Government for payment of arrears in instalments.

Increase in Price of Agricultural Inputs

590. Shri mohan Swarup : Wiil the **Minister of Agriculture** (Krishi Mantri) be pleased to State :

(a) Whether the prices of agricultural commodities have been failing and the prices of the articles purchased by farmers have been going up;

(b) If so, whether it is proposed to strike a definte ratio between the prices of agricultural commodities and the prices of industrial products;

(c) Whether the inputs required in agriculture have also become very costly; and

(d) If so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Miniastry of Agriculture (Krishi Mantralaya Men Rajya Mantri) (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) During the last decade (1961-62-1970-71) prices of agricultural commodities have almost doubled whereas prices of many of the articles purchased by farmers like cotton manufactures, matches, tobacco, tea and salt have shown a rise of only about 15 to 60 per cent.

Compared to 1969-70, prices of agrtcultural commodities during 1970-71 showed a rise of 3.4 per cent but the rise in prices of some of the articles purchased by the farmers, viz.; cotton manufactures, tea and salt was greater, being from 9.2 pe cent to 29.7 per cent.

Prices of tobacco and leather products (shoes) showed a fall while those of matches remained steady during 1970-71 compared to 1969-70. Among agricultural commodities, the prices of non-foodgrains showed a rise, while those of foodgrains registered some fall in 1970-71.

(b) No.

(c) The rise in prices of important agricultural inputs, namely, fertilisers, electricity, diesel oil. cement, insecticides, tools and implements, lubrication oil and iron and steel manufactures varied between 21 and 64 per cent only during the period 1961-62-1970-71 as against commodities during the same Period.

(d) The increase in prices of inputs is expected to have been more than offset by the increase in yields resulting from adoption of high yielding varieties on at inereasing scale and rise in prices of agricultural products over the last few years. In so far as fertilizers are concerned, it is hoped that with the establishment of larger fertilizer factories with the latest technology, the cost of production and hence the prices of fertilisers would come down.

Reasonable Price of Wheat to Farmers

591. **Shri Mohan Swarup :** Will the **Minister of Agriculture** (Krishi Mantri) be pleased to state :

(a) Whether despite fixation of the procurement price of wheat by Government at Rs. 76 per quintal, the farmer is getting only Rs. 70 or 72 per quintal in the market;

(b) whether the Food Corporation of India propose to purchase wheat direct from the farmers instead of purchasing through the agents; and

(c) the additional steps proposed to be taken to ensure reasionable price of wheat to the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya Men Rajya Mantri) (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) : The farmers are being paid at Rs. 76 per quintal for fair average quality wheat. For wheat below fair average quality the farmers are paid after making deductions on account of quality according to prescribed specifications.

(b) Yes. Sir. It is the policy of the Food Corporation to purchase wheat directly from the farmers or through cooperatives to the maximum extent possible. Even though at present in areas where the cooperatives are either not forthcoming or are not capable of undertaking procurement on behalf of the Food Corporation, the Food Corporation is using agents, the efforts is to change over to direct purchase from the farmers and through cooperatives as quickly as possible.

(c) Addition to the number of purchase centres, opening of more pay offices to ensure quick payment and constant supervision by touring officials of the Corporation and the State Governments are the steps taken to ensure payment of the prescribed procurement price to the farmers.

चावल की वसूली

592 **श्रीमति ज्योत्सना चन्दा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की वसूली राज्यवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कर ली गई है;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को चावल सप्लाई करने का है जिनमें पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी बस गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख); क्योंकि अधिकांश राज्यों में खरीफ की अधिप्राप्ति का मौसम नवम्बर से अक्तूबर तक है, इसलिए राज्यों में चावल की अधिप्राप्ति का कार्य अभी भी चल रहा है। कृषि मूल्य आयोग द्वारा मध्य प्रदेश और पंजाब के लिए अभिस्तावित लक्ष्य से भी अधिक अधिप्राप्ति की जा चुकी है लेकिन मौसम की समाप्ति से पूर्व आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लक्ष्य प्राप्त कर लेने अथवा उसके आस पास तक पहुंच जाने की सम्भावना है। वर्तमान संकेतों के आधार पर असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मैसूर, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल राज्यों में लक्ष्य तक अधिप्राप्ति नहीं भी हो सकती है। गुजरात में इस वर्ष कोई भी अधिप्राप्ति नहीं की जा रही है क्योंकि राज्य सरकार के पास पिछले वर्ष का ही बचा हुआ पर्याप्त स्टाक पड़ा हुआ है और खुले बाजार में सुगम उपलब्धि के कारण उचित मूल्य की दुकानों पर बिक्री बहुत कम है। कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूरा न कर सकने के कुछ कारण आयोग की सिफारिश के समय प्रत्याशित मात्रा से कुछ राज्यों में उत्पादन का कम होना ऊंची कीमतें और कानून तथा व्यवस्था सम्बन्धी समस्यायें (पश्चिमी बंगाल के मामले में) हैं।

(ग) जी हां।

कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

593 **श्री रामनारायण शर्मा** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1967 में कोयला खान उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड ने कोयला खान मजदूरों के लिए उत्पादन की व्यवस्था, अर्जित अवकाश की मजूरी सहित बढ़ी हुई मात्रा, वेतन सहित आकस्मिक अवकाश लागू करने, मकान किराया, शिशिक्षुओं (एप्रेन्टिसेज) के लिए न्यूनतम मजूरी, त्रैमासिक बोनस स्कीम से उपस्थित योग्यता को हटाये जाने की सिफारिश की थी;

(ख) सरकार द्वारा अभी तक इन सिफारिशों को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इन सिफारिशों को कब तक स्वीकार करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) उत्पादन योजना की आवश्यकता को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में विधान बनाना शामिल हैं और इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्रालयों, विभागों का परामर्श लेकर कार्यवाही की जा रही है। त्रैमासिक बोनस योजना के न्यूनतम उपस्थिति की शर्त को हटाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। अर्जित छुट्टी की मात्रा में वृद्धि, सवेतन आकस्मिक छुट्टी लागू करने और मकान किराया भत्ते के सम्बन्ध में सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं, क्योंकि इनमें अतिरिक्त वित्तीय बोझ सन्निहित है। शिक्षुओं और प्रशिक्षार्थियों के पारिश्रमिक सम्बन्धी सिफारिश पर उसकी सभी पेचीदगियों सहित विचार किया जा रहा है।

कोयला खान उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

594. **श्री राम नारायण शर्मा :**

श्री रोबिन सेन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी कोयला खानों ने कोयला खनन उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) ऐसी कोयला खानें कितनी हैं जिन्होंने 1 अप्रैल, 1971 से 1 रुपये 86 पैसे प्रति दिन के हिसाब से परिवर्ती मंहगाई भत्ता कर दिया है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऐसी कोयला खानों से जिन्होंने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया है, कोयला खरीदने को कहा गया था;

(घ) क्या 1 रुपये 86 पैसे प्रतिदिन के परिवर्ती मंहगाई भत्ता केवल राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की कोयला खानों द्वारा ही अदा किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कानूनी रूप देने और उनके उल्लंघन को कारावास द्वारा दण्डनीय बनाने पर विचार करेंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

595. **श्री दशरथ देव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 के दौरान त्रिपुरा में आये विस्थापित व्यक्तियों को त्रिपुरा से बाहर बसाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) यदि हाँ, तो अब तक क्या प्रगति हुई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : 1970-71 के वर्ष में जो परिवार त्रिपुरा आये, उनके पुनर्वास का कार्य सीमावर्ती राज्यों में आये नये प्रवासियों के सम्पूर्ण पुनर्वास कार्यक्रम का एक भाग है। इन परिवारों को माना और अन्य आवाजाही शिवरों में भेजा जाता है और वहां से फिर उन्हें क्रमिक कार्य-क्रम के अनुसार, जो पुनर्वास परियोजनाओं की प्रगति से सम्बन्धित होता है, पुनर्वास स्थलों पर भेजा जाता है। कृषक परिवारों को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मैसूर इत्यादि की वर्तमान कृषि परियोजनाओं में भूमि पर बसाया जाता है। उन्हें दण्डकारण्य में भी बसाया जाता है। बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से अतिरिक्त भूमि देने के लिए अनुरोध किया गया है। गैर कृषक परिवारों को विभिन्न योजनाओं में बसाया जाता है जिसमें व्यापार ऋण का दिया जाना और औद्योगिक योजना में रोजगार दिया जाना भी शामिल है।

1970-71 के दौरान त्रिपुरा में आये 5,818 व्यक्तियों में से 5,305 व्यक्तियों को त्रिपुरा के शिवरों में प्रवेश दिया गया। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार त्रिपुरा के शिवरों में रखे गए 5,305 व्यक्तियों में 3,846 व्यक्ति पहले ही त्रिपुरा से बाहर भेजे जा चुके हैं। 1,000 व्यक्ति शीघ्र ही भेजे जा रहे हैं। शेष व्यक्ति मुख्य रूप में दीर्घकालीन दायित्व श्रेणियों के हैं, जिन्हें त्रिपुरा के स्थायी दायित्व गृहों में आवास दिया जायेगा।

त्रिपुरा में भूमिहीन कृषि श्रमिकों का पुन: बसाया जाना

596. श्री दशरथ देव : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को पुनः बसाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) जी, हां।

(ख) यह योजना तीसरी योजना के दौरान पहले-पहल प्रारम्भ की गई और यह अनुसूचित जातियों आदिम जातियों तथा शरणार्थियों को छोड़कर भूमिहीन कृषि श्रमिकों के पुनर्वास से सम्बन्धित है।

चौथी योजना के दौरान, 29,00 लाख रुपये की लागत पर 300 परिवार प्रतिवर्ष की दर से 1500 परिवारों को पुन: बसाने का विचार है।

तीसरी योजना की अवधि के दौरान, 840 परिवार पुन: बसाये गये।

त्रिपुरा में खाद्यान्न की सप्लाई

597 श्री दशरथ देव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और अप्रैल, 1971 के दौरान त्रिपुरा को कुल कितना खाद्यान्न (चावल तथा गेहूँ अलग-अलग रूप से) आवंटित किया गया;

(ख) बंगला देश में हाल ही में हुई घटनाओं और विस्थापितों के बहुत बड़ी संख्या में आगमन को ध्यान में रखते हुए क्या यह आवंटन बढ़ाया जायेगा;

(ग) इस अवधि के दौरान केन्द्र से त्रिपुरा के लिये कुल कितना चावल और आटा अब तक भेजा जा चुका है; और

(घ) क्या अब तक भेजा गया खाद्यान्न अपर्याप्त है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे): (क) केन्द्रीय भण्डार से त्रिपुरा को चावल का आवंटन पूरे पंचांग वर्ष के लिए किया जाता है। लेकिन गेहूं का आवंटन मासिक आधार पर किया जाता है। पंचांग वर्ष 1971 के लिए त्रिपुरा को अब तक 22·5 हजार मीटरी टन चावल आवंटित किया गया है। पंचाँग वर्ष 1970 के लिए केन्द्रीय भण्डार से त्रिपुरा को वास्तव में सप्लाई की गई चावल की मात्रा 15·5 हजार मी० टन थी।

वित्तीय वर्ष 1970-71 में त्रिपुरा को आवंटित गेहूं की कुल मात्रा 3000 मी० टन थी। अप्रैल, 1971 में उन्हें आवंटित की गई गेहूँ की मात्रा 2 हजार मीटरी टन है।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए त्रिपुरा सरकार की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाएगी।

(ग) पंचांग वर्ष 1971 के लिए आवंटित 22·5 हजार मी० टन चावल में से 13·3 हजार मी० टन चावल भेजा जा चुका है। वित्तीय वर्ष 1970-71 में त्रिपुरा को भेजी गई गेहूँ की मात्रा 2·2 हजार मी० टन थी। अप्रैल 1971 में भेजी गई मात्रा 205 मी० टन थी और मात्रा भेजने का कार्य प्रगति पर है।

(घ) जी नहीं।

Completion of Famine Relief Works in Rajasthan

598. **Shri Shiv nath Singh :** Will the **Minister of Agriculture** (Krishi Mantri) be pleased to state;

(a) Whether there is any sheme to complete the unfinished famine relief worhs worth two crores of rupees in each of the ten Districts of rajasthan, which have been regarded as backward because of their exposure to famines;

(b) If so, the basis of their selection;

(c) Whether Government propose to include the Districts of Jhunjhunu and Sikar under the aforesaid scheme, keeping in view the scarcity of water and scent rainfall in both the Districts as also their exposure to famine every year;

(d) Whether the condition of Jhunjhunu and Sikar Districts is worse then the Districts which have been selected; and

(e) The reasons why ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya Men Rajya Mantri) (Shri Sher Singh) : Under the Rural Works Programme for chronically drought affected areas, labour-intensive and production-oriented schemes in sectors like Minor Irrigation. Soil Conservation, Afforestation and Communications are taken up. In Rajasthan State. 10 districts, viz. Jaisalmer, Barmer, Pali, Jalore, Bikaner, Churu. Jodhpur, Banswara, Nagaur and Durgapur, have been selected for the implementation of the Programme. For each selected district, an outlay of approximately Rs. 2 crores will be available for the Fourth Plan period. Although the Programme is not meant for the completion of incomplete famine relief works, priority is given to such works if other conditions are satisfied.

(b) The basis of selection of Rural Works Progremme districts, which are the hard core of the drought affected areas, is their proneness to droughts, as determined on objective criteria like pattern and incidence of rainfall, frequency and extent of occurrence of drought, percentage of irrigated area to the total croped area in the distric and other relevant factors.

(c) No Sir.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Steps to Check Fall in Price of Agriculural Products

599. **Shri Shiv nath :** Will the **Minister of Agriculture** (Krishi Mantri) be pleased to state :

(a) The percentage of fall in prices of agricultural products like wheat, gram, rice and bajra in 1971 as compared to those in 1970 and the steps being taken by the Government to check it;

(b) Whether the Food Corporation of India failed to check the fall in prices of foodgrains and several complaints against the officers and employees of the Corporation have been received as they did not procure foodgrains direct from the farmers but through foodgrain traders; and

(c) If so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya Men Rajya Mantri) (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) A statement is attached.

Procurement agencies have been advised to purchase wheat and bajra at the procurement Prices. Government have not fixed any procurement/support price for gram.

(b) & (c) : Food Corporation is making price support purchases of grains falling with in the specifications and has to a large extent succeeded in assuring support to the producer at prices fixed by Government, Some complaints have been received that the Food Corporation is buying foodgrains through the traders and not directly from the farmers. Whenever such complaints are received, they are looked into and the procedure for purchase is examined to see whether it could be improved to ensure that the purchases are made directly from the producers.

Statement

The All-India Index Numbers of Wholesale Prices of Foodgrains

(Base : 1961-62 — 100)

Commodity	Year	Percentage of fall (—) in the indices between 27th December and 15th May
Wheat	1970-71	(—) 3.7
Bajra	"	(—) 15.5
Gram (Whole)	"	(—) 9.7

The index number for rice indicated a rise during the period.

Rise in Prices of Foodgrains in West Bengal

600. **Shri Bibhuti Mishra** ; Will the **Minister of Agriculture** (Krishi Mantri) be pleased to state :

(a) Whether the prices of foodgrains have registered a steep rise in West Bengal from March, 1971 onwards;

(b) If so, the reasons therefor; and

(c) Whether Government of West Bengal have asked for some assistanee from the Central Government in order to take effective steps to control the prices there ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya Men Rajya Mantri) Shri Annasaheb P. Shinde : (a) The prices of rice which is a main food crop in West Bengal, showed a rise during March-April 1971. Since the beginning of May 1971, the rice prices have shown a steady to easy trend.

(b) The rise was partly seasonal and partly on account of lower production of Aman crop owing to cyclone and floods in South Bengal in the latter part af 1970. The law and order situation, heavy influx of refugees and lower internal procurement this year as

compared to last year, also contributed to the rise in prices. The improvement in the prices since May was on account of higher market arrivals of rice and prospect of better summer crop. Regular. supplise through public distribution agencies helped in checking the rise prices.

(c) Yes, Sir.

मालिकों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की बकाया राशि

601. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालिकों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बढ़ती हुई बकाया राशि को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) इस समय बिहार और अन्य राज्यों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले लम्बित हैं और उन्हें तुरन्त न निपटाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त किया गया है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) ऐसे दोषी छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के विरुद्ध, जो भविष्य निधि की देय-राशि की अदायगी में चूक करते हैं, निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है—

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन अभियोजन चलाया जाता है।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली कार्यवाही शुरू की जाती है।

(iii) समुचित मामलों में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा, 406/409 के अधीन पुलिस न्यायालयों के पास शिकायतें दायर की जाती है।

(iv) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 की धारा 14 बी के अधीन दांडिक क्षति लगाई जाती है।

(v) चूक को नियोजकों और श्रमिक संगठनों, जिनमें मजदूर संघ शामिल हैं, के ध्यान में लाया जाता है।

(vi) कुछ मामलों में, पर्याप्त गारंटी, जमानत आदि दिए जाने पर, समुचित किश्तों में बकाया राशि अदा करने के लिए मौका दिया जाता है।

(vii) ऐसी कपड़ा मिलों के मामले में जो समापन की अवस्था को प्राप्त हो गई हैं, उनके द्वारा तैयार की गई पुनर्निर्माण योजनाओं (जिनमें सामान्यत: राज्य सरकारें भागी होती हैं) पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) 31-12-1970 को बिहार में 329 वसूली मामले और 2210 अभियोजन मामले

अनिर्णित पड़े थे, जबकि अन्य राज्यों में 14,841 वसूली मामले और 11,262 अभियोजन मामले अनिर्णित पड़े थे। अभियोजन के मामले अनिर्णित पड़े हैं क्योंकि नियोजकों द्वारा प्रायः आदेश मांगे जाते हैं और मजिस्ट्रेटों द्वारा सामान्यतः अनुमति दी जाती है।

हैदराबाद में अंगूर अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना

602. श्री गंगा रेड्डी : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में अंगूर, बैंगनों और टमाटरों से भी सस्ते हो गये हैं;

(ख) क्या हैदराबाद में प्रतिवर्ष 10 करोड़ रु० से भी अधिक का अंगूर पैदा होता है और उसे बेचने में बड़ी कठिनाई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अंगूर के निर्यात के लिए प्रबन्ध करने का है; और

(घ) क्या सरकार बंगलौर और दिल्ली की तरह हैदराबाद में भी अंगूर उत्पादकों की समस्या सुलझाने के लिए एक एक अंगूर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : (क) जी नहीं।

(ख) हैदराबाद के आस-पड़ौस में उत्पादित अंगूरों का मूल्य लगभग 5 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हैदराबाद में उत्पादित अंगूरों के विपणन की मुख्य कठिनाई कम मूल्य होना है, जिसका कारण हैदराबाद में तथा मुख्य बाजारों के आस-पास के क्षेत्रों में अंगूरों की पैदावार अधिक क्षेत्र में होना है, इनको हैदराबाद के अंगूरों को विक्रय के लिए भेजा जाता है।

(ग) जी हां। राजकीय व्यापार निगम विदेशों को निर्यात के लिए बाजार ढूंढने के के विचार से अंगूरों के प्रेषण को प्रयोग के रूप में भेज रहा है। ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए नकद प्रोत्साहन भी है, जिसमें अंगूर भी एक मद है।

(घ) जी नहीं।

दक्षिणी राज्यों में इस्पात संयन्त्र का खोला जाना

604. श्री एम० राजंगम : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण भारत के राज्यों में स्थापित किये जाने वाले इस्पात संयन्त्रों की प्रगति के सम्बन्ध में कोई और कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है और उनके कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) दक्षिण भारत के राज्यों (मैसूर तमिल नाडू और आँध्र प्रदेश) में तीन नये इस्पात कारखाने स्थापित करने के सरकार के निर्णय के फलस्वरूप प्रायोजना स्थलों के चयन के लिए तथा इन कारखानों को कच्चे माल के स्रोतों से सम्बद्ध करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। स्थल चयन समिति की सिफारिश पर तीनों नये इस्पात कारखानों के लिए स्थलों का चयन किया जा चुका है। सेलम कारखाने को सेलम नगर से 14 कि० मीटर पश्चिम में कजामलाय

पहाड़ी के उत्तरी किनारे पर स्थापित किया जायेगा, हास्पेट कारखाना बैलारी हास्पेट रेलवे लाइन के मध्य में टोनागाल् नामक स्थान में स्थापित किया जायेगा और विशाखापतनम कारखाना विशाखापतनम नगर से लगभग 25 कि० मीटर दक्षिण में समुद्र तट केनिकट बाल.चेरवू में स्थापित किया जायेगा । सलाहकारों तथा हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड (सरकारी उपक्रम) की संयुक्त सिफारिशों पर परियोजना क्षेत्रों की सीमा निर्धारित कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही आरम्भ हो गई है। लौह खनिज तथा कोयले के अतिरिक्त कच्चे माल की समिति और कोयला समिति ने भी अपनी रिपोर्टें दे दी हैं। लौह खनिज समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दे देंगी। परन्तु यह तै कर लिया गया है कि विशाखापतनम कारखाने को बैलाडिला खनिज भंडार से खनिज प्राप्त होगा तथा हास्पेट कारखाने को बैलारी-होस्पेट खनिज भण्डार से खनिज प्राप्त होगा। तीनों ही कारखानों के लिए तकनीकी आर्थिक-शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति फरवरी 1971 में की गई थी। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपांकन ब्यूरो को हास्पेट प्रायोजना के लिए तथा मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को सेलम और विशाखापटनम के कारखानों के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है आशा है कि सेलम कारखाने के लिए शक्यता प्रतिवेदन अगस्त, 1971 के अन्त तक तैयार हो जायेगा जबकि विशाखापटनम तथा हास्पेट कारखानों के शक्यता प्रतिवेदनों के नवम्बर, 1971 में तैयार हो जाने की संभावना है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग तीनों कारखानों के स्थलों के लिए धरातल के विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य कर रहा है। जून 1971 के अन्त तक सर्वेक्षण के मुद्रित नक्शों के तैयार हो जाने की संभावना है। हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड को मिट्टी की जांच सम्बन्धी अध्ययनों का कार्य सौंपा गया है। हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० सेलम परियोजना के लिए कंजामलाई लौह खनिज भंडार के बारे में अन्वेषण कार्य भी करेगी। तीनों कारखानों को जलप्रदाय के लिए राज्य सरकारों के प्रस्तावों की जाच की जा रही है। कारखानों के लिए मार्शलिंग यार्ड, एक्सचेंज यार्ड तथा रेलवे साईडिंग सुविधाएं इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए रेलवे ने सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिये हैं।

इस समय, जबकि शक्यता प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं, यह बताना समय पूर्व होगा कि ये कारखाने कब तक चालू हो जायेंगे।

उड़ीसा में बारानी खेती हेतु केन्द्रीय सहायता

605. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बारानी खेती हेतु किन स्थानों को चुना गया है; और

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1970-71 और 1971-72 में उड़ीसा सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने एक बारानी खेती मार्गदर्शी परियोजना की स्थापना के लिए म्यूरभंज जिले बामनघाटि उपमण्डल के मालदा पी० एस० क्षेत्र चुना है।

(ख) जी हाँ। उड़ीसा सरकार को बारानी खेती मार्गदर्शी परियोजना की क्रियान्विति के के लिए 11.95 लाख रुपए की एक राशि (इसमें 1.55 लाख रुपए का अल्पकालीन वह ऋण भी शामिल है जिसकी सांस्थानिक स्रोतों द्वारा व्यवस्था की जानी है; मन्जूर की गई है।

उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में भी एक मुख्य अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना की गई है और 1970-71 के दौरान 54,000 रुपये की एक राशि विश्वविद्यालय को भेजी गई थी। 1971-72 के दौरान उड़ीसा कृषि और प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय को 1.83 लाख रुपए की एक राशि मंजूर करने का प्रस्ताव है।

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन रांची की क्षमता

606. श्री एस० राधाकृष्णन : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन राँची की कुल क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या अब तक कारपोरेशन की पूरी क्षमता का उपयोग किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो असन्तोषप्रद प्रगति के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) भारी इन्जीनियरी निगम के तीन कारखानों में से भारी मशीनें बनाने का कारखाना तथा भारी उपयन्त्र बनाने का कारखाना तैयार हो चुका है और फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट अभी तैयार होना बाकी है। कारखानों की वर्तमान क्षमता निम्नलिखित है—

भारी मशीनें बनाने का कारखाना—	
यांत्रिक उपकरण	80,000 टन
संरचनात्मक मदें	25,000 टन
भारी उपयन्त्र बनाने का कारखाना—	278 उपयन्त्र
फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट—	
ग्रे आयरन फाउन्ड्री	39,060 टन
सान फैरस फाउन्ड्री	700 टन
इस्पात फाउन्ड्री	66,000 टन
फोर्जशाप	27,700 टन
	1,33,460 टन

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारी इन्जीनियरी निगम के कारखानों जैसे कारखानों के उत्पादन में वृद्धि अनिवार्यत: बहुत धीमी गति से होती है और यह कई बातों पर निर्भर है, जैसे प्रौद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त कौशल का विकास, कुशल प्रबन्धकीय नियन्त्रण और मालिक मजदूरों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध।

Employment to East Pak Refugees

607. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the **Minister of Labour & Rehabilitation (Shram Aur Punarvas Mantri)** be pleased to state :

(a) the action taken by Government for providing employment to the refugees from Bangla Desh; and

(b) the number of graduates and doctors whose services have been availed of so far and the rates of their pay ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shram Aur Punarvas Mantri) (Shri R. K. Khadilkar) : (a) As it is the firm intention of the Government that the refugees should return to their homes when favourable conditions are available, the question of providing employment to them does not arise.

Certain Governments of border States had, however, intimated that some doctors and para-medical personnel have come over from East Bengal and were staying in relief camps and they proposed to utilise their cervices on payment of honorarium. It was agreed that their services might be utilized as a purely temporary measure on payment of daily remuneration, after suitable verification of their antecedents etc. from security angle.

(b) The information is not avaiiable, at present.

Production of Wheat Rice and Cotton In Madhya Pradesh During 1969-71.

608. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of Agriculture (Krishi Mantri) be pleased to state :

(a) the quantity of wheat, rice and cotton produced in Madhya Pradesh during the financial years 1969-70 and 1970-71 ;

(b) the type of technical assistance given by the Central Government to the State Government to increase the production of wheat, cotton and rice ; and

(c) the type of assistance proposed to be given in future by the Central Government to the State Government to increase the agricultural production in the State ?

The Minister of State ia the Ministry of Agriculture (Krishl Maniralaya Men Rajya Mantri) (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) According to the All India Final Estimates production estimates of wheat, cotton and rice in Madhya Pradesh during the agricultural year 1969-70 were as under :—

Wheat	2,216.0 thousand tonnes.
Cotton	313.7 thousand bales of 180 Kg. each
Rice	3,201.6 thousand tonnes.

Similar data for 1970-71 is not available yet.

(b) The Centre made available to the State Government the latest research results and field experience and helped them in drawing up the package of practices for these crops. In addition assistance was also provided in identifying pests and diseases and taking timely control measures. National demonstrations were organised; assistance was also rendered in organising training courses for the staff and the farmers. The technical experts from the Centre visited the State from time to time and helped the State Government in solving some of their field Problems.

(c) In addition to the above technical assistance, the State Government would continue to be rendered help in securing their requirements of seeds, fertilizers and

pesticides. Short-term loans would also be sanctioned for the purchase of seeds and pesticides marketing and distribution of fertilizers etc. Various Centrally Sponsored Schemes, such as the scheme on multiple cropping etc. will assist the State Government in increasing agricultural production.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की श्रोर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance.

पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई भारी गोलाबारी

श्री मुख्तयार सिंह मलिक (रोहतक) : श्रीमन्, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं श्रौर उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"25 मई, 1971 को मेघालय के गारो पहाड़ी जिले के दालू क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई भारी गोला बारी और उसके परिणामस्वरूप भारतीय सीमा सुरक्षा दल के 9 सैनिकों समेत 22 श्रन्य व्यक्तियों के मारे जाने का समाचार।"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : 25 मई 1971 को प्रातः साढ़े चार बजे पाकिस्तानी सैनिकों ने, जिन्हें भारी मोटरों का समर्थन प्राप्त था, दालू से लगभग 500 गज दूर स्थित जिलापाड़ा में सीमा सुरक्षा दल की पड़ताल चौकी पर आक्रमण किया। सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी ने इस आक्रमण का वीरता से मुकाबला किया किन्तु उन पर पाकिस्तानी सैनिकों के अधिक संख्या में होने के कारण काबू पा लिया गया और चौकी अधिकार में कर ली गई।

मुझे खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि इस आक्रमण के परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा दल के 9 कर्मचारी मारे गये और 2 लापता हैं। असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस आक्रमण में 13 नागरिक भी मारे गये और 11 घायल हुए।

तथापि दालू में सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी ने पाकिस्तानी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका तथा भारतीय क्षेत्र से पीछे खदेड़ दिया।

Shri Mukhtiar Singh Malik : Sir, the metter seems to be very serious. According to spokesmen of Governmeut, on 24th May at 11' o'clock Pakistani troops attacked on Sutarkandt on border of karimganj sector in Assam. 13 civilians and 9 Jawans of Border security Force were killed and 2 jawans are missing. This grave incident took place simply because reinforcement was not sent there. Discussions are held almost every just regarding incidents on our border. But no adequate arrangements have been made by the Government. Today, neither our borders nor our jawans of Border security Force are safe. Pakistani Air Force has intruded into our territory and there are a numher of incidents of intrusion by Pakistan into Indian teeritory. But nothing has been done in this connection.

I would like te know whether the hon. Minister has enquired why the reinforcement was not sent as required by the Jawans of Border security Force ?

Our Spokesman has stated that Pakistan is not abiding by the ground rules while we are observing these rules unilaterally. But who is unaware of the fact that rod is the logic of fools. I would like to know whether the hon. Minister will ensure that army would be sent to borders, when required so that our troops can repulse the attack. We should adopt the 'tit for tat' policy in the matter.

Shri K. C. Pant : The House is aware that in Assam, Meghalaya and Bengal Border, situation has assumed serious proportions and House has taken serious not of it. Discussion has been held in this regard and statement was also made by the Government.

So far as the incident, which took place in sutarkandi is concerned, it is a different issue and does not relate to the subject which is being discussed here now. But if Mr. Speaker allows. I would like to say something in this regard.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have submitted a privilege motion regarding sutarkandi. Either motion should be accepted or you may ask the hon. Minister not to say. anything until a statement is made on that. This call attention is a different matter.

Mr. Speaker : Member belonging to your own party has made a reference to it, Had he not done so, the reply need not have been given. But when a reference is made reply can be given.

Shri Atal Bihari Vajpayee : you should take decision on my privilege motion.

Shri K. C. Pant : I have not asked the question. I am here to reply the questions raised by the hon. Members. I would like to say that reinforcement was sent and as a result of that Border security Force beat the Pakistani troops back from Indian territory and captured the check post which wes earlier over-run. According to information received by me, Pakistani army was driven away at 4·30 A·M.

Secondly. I would like to say the jawans of Border Security Force have done their duty nicely and I do not like to say anything which may bring down their morale.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान के भीषण आक्रमणों के विरुद्ध भारत सरकार की भीरुतापूर्ण कार्रवाई कब समाप्त होगी क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि शांति, धैर्य, सहनशीलता के ये थोथे भाषण कब समाप्त होंगे। बड़ी ही दुःख की बात है कि पाकिस्तान के हमलों के उत्तर में सरकार केवल विरोध पत्र और चेतावनी भेज देता है कि यदि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण जारी रखेगा तो उसे गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे। हमारी कागजी कार्रवाई के उत्तर में पाकिस्तान नए आक्रमण करता है। आक्रमण की इन घटनाओं को छुटपुट मुठभेड़ों के रूप में नहीं जानना चाहिए बल्कि इसे बंगला देश और भारत के विरुद्ध किए गए आक्रमण के रूप में जानना चाहिए। एक अधिकारी महोदय ने संवाददाताओं को बताया है कि प्रतिदिन आने वाले शरणार्थियों की संख्या 60 हजार से घट कर 50 हजार हो गई है। अधिकारी महोदय यह नहीं जानते कि पाकिस्तान बंगला देश के लोगों पर कितने अत्याचार ढा रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप लाखों अल्पसंख्यक लोग और आवामी लीग के लोग भाग रहे हैं। पाकिस्तान उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश करने से रोक रहा है और जब भी उनको अवसर मिलेगा वे भारत की सीमा में आ जाएंगे।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसने की कार्रवाई को हमले का नाम नहीं दे सकती और यदि दे सकती है तो पाकिस्तान द्वारा थल नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद हमारी रक्षा सेनाये उन नियमों का एकपक्षीय पालन क्यों कर रही है ?

दूसरे, सीमा सुरक्षा बल के पास अच्छे किस्म के हथियारों की कमी के कारण वह पाक सेना का मुकाबला करने में असमर्थ है । अतः क्या सरकार सीमा पर पाकिस्तानी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना को वहां भेजेगी ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

क्या सरकार पाकिस्तान को एक निश्चित अवधि का अल्टीमेटम भेजेगी जिसमें कहा गया हो कि पाकिस्तान सरकार बंगला देश के लोगों पर नृशंस अत्याचार को बंद करे । यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो क्या वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए पाक सेना के विरुद्ध कार्रवाई करेगी और बंगला देश के लोगों के जीवन, सम्मान और सम्पत्ति की रक्षा करेगी और यदि नहीं तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और बंगला देश के लोगों को बचाने के लिए सरकार के पास अन्य उपाय क्या हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न उठाए । पहला यह कि सीमा पर केवल सीमा सुरक्षा बल को ही तैनात क्यों किया गया है और उन्हें हलके किस्म के हथियार क्यों दिए गए हैं । माननीय सदस्य जानते हैं कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि सीमा सुरक्षा बल सीमा पर रहे और सेना थोड़ी पीछे रहे ।

जब यह घटना घटी तो सीमा सुरक्षा बल के पास गोला-बारूद और मोर्टारगन थीं । पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या हमारे जवानों की अपेक्षा अधिक थी फिर भी हमारे जवानों ने बड़ी वीरता से उनका मुकाबला किया और भारतीय सीमा से पीछे खदेड़ दिया ।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या सीमा सुरक्षा बल द्वारा सेना की मांग करने पर सेना भेजी जाएगी ? मेरा कहना है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी, स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए सेना भेजी जाएगी ।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान थल नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो हम थल नियमों का पालन कर एकपक्षीय कार्रवाई क्यों कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कृपया माननीय सदस्य को कभी 'कंट्रोल रूम' में ले जाकर बात करें ।

श्री समर गुह : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हमारी सुरक्षा सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच 10 मील का अन्तर रखा गया है और पाकिस्तानी सेना लगातार थल नियमों का उल्लंघन कर रही है । सरकार इस बारे में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही ? यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और इसका उत्तर दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कल भी पूछा गया था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह प्रश्न कल पूछा गया था परन्तु माननीय मंत्री ने इसका उत्तर नहीं दिया था ।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : यदि माननीय सदस्य ध्यानपूर्वक विचार करें तो वह स्वयं महसूस करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर न दिया जाए तो अच्छा होगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We are not even able to defend our borders, not to speak of helping the refugees from East Bengal, In a statement the hon. Minister says 'The

Border Security Force detachment fought back gallantly, but they were overwhelmed by the superior numbers of the Pakistani troops and the post was over-run." I would also like to quote the statement of the Chief Minister of Assam which says :

"The Pakistani troops had captured the Indian border outpost of Sutarkandi and Jerapetta in Karimganj sector yesterday afternoon".

Our Border Security Force is not able to defend our checkposts. Checkposts are being cleared off. Citizens are becoming victims of shells. But the Government is not prepared to accept the fact that situation of undeclared war is prevailing between India and Pakistan. I would like to know for how long the ground rules will be observed unilaterally ? Pakistan is making persistent attacks on Indian territory. I fail to understand why our army is not deployed on borders to repulse the Pakistani troops.

The hon. Minister, in a statement, says that the post was over-run by Pakistani troops on 25th May, 1971, at 4-30 A.M. But I have a report of correspondent of 'Hindustan Standard' which says :

"Pakistani troops armed with rifles, machine guns and mortars had intruded into Tali Bazar on the Garo Hills border of Meghalaya at about 7 a.m. today. They numbered about 100 and resorted to indiscriminate firing for about an hour".

I would like to know whether the strength of our jawans on checkpost was too low to repulse the Pakistani troops ?

It has been stated and agreed to by the hon. Minister that there had been shelling on 23rd evening, What was our Border Security Force doing on 24th. Our Border Security Force has not been properly armed, they are not being given adequate assistance. On 24th when defence minister was giving his statement in the House, he did not mention that Sutarkandi checkpost was under the control of Pakistan at that time. The House was kept in dark, no mention was made to this effect. Pakistan's aggressive activites should be made known to the world. But the Government is conceeling the facts, People of the country are being asked to face the critical situation, they are being asked to make securities. In case the Government conceal the facts regarding activities. on the border, nature cannot support them move. The hon. Minister should he pardon and ensure this House that Pakistan would not be allowed to capture any checkpost.

Shri K.C. Pant : There were only 11 personnel on this checkpost and it was meant for refugees from East Pakistan they tought heavely, but beingless in number, could not succeed in routing Pakistani army personnel out from Indian territory because they were large in numbers. The contingat of our Border Security Force just behind this checkpost did not let them advance for even 500 yards and routed them out of the Indian territory.

As regards ground rules, I would like to make it clear, that if there is any violation to that we are ready to face the situation at all costs. Every inch of land of the country is dear to us. (interrutions)

Shri Hukamchand Kachwai (Morena) **:** Three checkposts of the country have been captured by Pakistani army. This government is keeping the nation in dark. (Interruptions)

Shri Atal Bihari Vajpayee : It has been stated in the statement of the hon. Minister that the we attack was made at 4.30 a.m. whereas in the report from Assam Government the time given is 7 o'clock. I would like to know the facts ?

Shri K. C. Pant : So far my information goes it is 4.30 a.m. Whatever information I had got has been placed before the House.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) **:** It appears from the statement of the hon. Minister that Pakistan's hostile attitude towards India is continuously increasing. It has also been made clear that the Pakistani army has been killing our border security personnel. I would

like to ask, whether the Government has issued orders to drag the aggressors out of the Indian territory. What is the difficulty in that ? The government should make arrangements to provide sophisticated weapons to our border security force. What are the reasons that the Government is not going to depute army to resist these agressors ?

Shri K. C. Pant : I have already said that the border security force has been equipped with sophisticated weapons. We will depute, if army is required there. (interruptions).

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान सरकार हमारे देश तथा बंगला देश के मध्य 620 मील लम्बी सीमा पर सेना जमा कर रही है ? सरकार ने क्या इस मामले को गम्भीर रूप से सोचा है और आसाम, मेघालय तथा त्रिपुरा की सीमाओं पर सेना भेजने का कोई प्रबन्ध किया है ।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मैं निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव बढ़ रहा है । इस सम्बन्ध में रक्षा मन्त्रालय उचित सूचना दे सकता है । जब तक बंगला देश में मुक्ति सेना की गतिविधियां चल रही हैं तब तक पाकिस्तान के लिए यह सम्भव नही है कि वह सारी सीमा पर सेना भेज सके । यह सामान्य स्थिति है, विशिष्ट प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे सकता ।

अध्यक्ष महोदय : सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

नियम 377 के अन्तर्गत सूचना और ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में

Re : Notice under Rule 377 or Re : Calling Attention

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आज प्रश्नकाल के पश्चात एक महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए मैंने आपकी अनुमति चाही थी । यह एक प्रेस समाचार के विषय में है जिसमें बिहार सरकार ने जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक केन्द्रिय मंत्री के विरुद्ध लाखों रूपये के दुरुपयोग की जांच करने के लिये एक जांच आयोग की नियुक्त की है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका नोटिस मुझे अभी-अभी प्राप्त हुआ है । मैंने अभी इसके लिए अनुमति नहीं दी है । मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतांत में नहीं जायगी । अभी मुझे इसका अध्ययन करना है ।

श्री पीलू मोदी (गोधर) : यदि सुबह 10 बजे कोई नोटिस दिया जाता है और वह सचिवालय द्वारा आपको 12 बजकर 10 मिनट पर दिया जाता है तो इसमें सदस्य का क्या दोष है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमने इशापुर में गोली चलाये जाने की घटना के बारे में ध्यानाकर्षण का नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 35 नोटिस प्राप्त हुए हैं जिनमें से केवल एक को ही स्वीकृति दी जा सकती है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमारी यह इच्छा नहीं है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकृति दी ही जाये। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए अलग से नोटिस दिया जाना चाहिये। प्रति दिन 10 या 15 नोटिस इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। केवल एक नोटिस को स्वीकृति दी जा सकती है। इसलिए इन्हें नोटिस नहीं समझा जा सकता··· (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमने नोटिस भेजे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कोई नोटिस नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूँ। आपने अभी कहा है ध्यानाकर्षण नोटिस कोई नोटिस नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अध्यक्ष के सामने आते हैं तो केवल एक नोटिस को स्वीकृति दी जाती है और शेष के विषय में अध्यक्ष कुछ नहीं बताता।

मंत्रियों के पदनामों के सम्बन्ध में अधिसूचना के बारे में

Re : Notification of Designation of Ministers

श्री कल्याण सुन्दरम् (**तिरुचिरापल्ली**) : मंत्रियों के पदनामों के विषय में राष्ट्रपति द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है मैंने उसकी कानूनी स्थिति पर विचार किया है। यह अधिसूचना केवल सरकार की कार्यवाही से सम्बन्ध रखती है सभा की कार्यवाही से नहीं। पता नहीं अधिसूचना जारी होने के तुरन्त पश्चात इसका हिन्दी संस्करण यहां प्रकाशित हो गया··· (**व्यवधान**) इस सम्बन्ध में मैंने 24 तारीख को विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। यह प्रश्न सूची किसने छापी, सदन को जानने का अधिकार है। क्या लोक सभा सचिवालय को किसी मन्त्रालय के आदेशानुसार कार्य करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

Paper laid on the Table

संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 और प्रशिक्षुता (संशोधन) नियम, 1971

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : श्री आर० के० खाडिलकर की ओर से निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी. 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 191 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 195/71]

(2) प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, प्रशिक्षुता (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 383 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 196/71]

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 466 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल, 1971 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 197/71]

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 198/71]

खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 568 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) कोयला खान (दूसरा संशोधन) विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 631 में प्रकाशित हुये थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 199/71]

(2) (एक) कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन के वर्ष 1968-69 के कार्य सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 200/71]

(दो) उपयुक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 201/71]

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 202/71]

(4) प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रशिक्षुता (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 अप्रैल 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 570 में प्रकाशित हुऐ थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 203/71]

समितियों के लिऐ निर्वाचन

Election to Committees

(एक) चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : मैं श्री उमा शंकर दीक्षित की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :

"कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 5 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़, के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 5 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़, के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

(दो) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : मैं, श्री उमा शंकर दीक्षित की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :

"कि अखिल भारतीय चिकित्सा **विज्ञान संस्थान अधिनियम,** 1956 की धारा 4 (छ) के

अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें. उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक सदस्य के आचरण सम्बन्धी समिति

Committee on conduct of Member during President's address

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदस्य के आचरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय चालू सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि यह सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदस्य के आचरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय चालू सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

श्री अटलबिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैंने एक संशोधन की सूचना दी है। मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि "चालू सत्र के अन्तिम दिन" के स्थान पर निम्न रखा जाए "अगले सत्र के पहले दिन तक।"

आशा है श्री भण्डारे को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री आर० डी० भण्डारे : यदि सभा सहमत हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री भण्डारे के प्रस्ताव पर श्री वाजपेयी का संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

कि "प्रस्ताव में चालू सत्र के अन्तिम दिन" के स्थान पर।

"अगले सत्र के पहले दिन तक" रखा जाए :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब में संशोधित प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदस्य के आचरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र के पहले दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

रेलवे बजट, १९७१-७२—सामान्य चर्चा—(जारी)

Railway Budget, 1971-72—General Discussion—(contd.)

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) : The Railway Minister has shown a deficit of only about 33 crores and 12 lakhs even after giving 36 crores as interim relief and 33 crore as daily allowance. Apparently it is an appreciable step if efforts are made to realise this deficit by a nominal increase in passenger fare and freight.

But after going through all this it seems that it is all jugglery of figures. We are having a loss of 59 crores on passenger traffic and 52 crores on goods traffic and with that we have taken the responsibility of the expenditure of 49 crores, but even then we are having a loss of only 33.12 crores. How it is possible ? It creates doubt. I think Hon. Minister will throw some light on it. The information given about cutting 'lead mines' also creates such doubts.

It is correct that there have been attacks on railway property and personnel. But no mention has been made that there have been attacks on passengers also. Their safety is the responsibility of Railways, Adequate arrangements should be made for the safety of the passengers and their goods. The railways are also responsible for the safe delivery of foods. If all sorts of malpractices go on, not even a single public undertaking can work satisfactorily.

इसके पश्चात लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजे म० प० पर पुन: समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[**Mr. Deputy-Speaker** *in the chair.*]

Shri R. N. Sharma : Patna is the Headquarter of the state and Dhanbad is an industrial town, but there is no direct rail link between Patna and Dhanbad. I, therefore, suggest that direct link should be introduced between the two cities.

Five level crossings between Palthardih and Pradhan Khunta always remain closed and thus cause great inconvenience to the villagers. As such they should be opened so that villagers can go to their fields easily.

The proposed overbridge at Dhanbad should be constructed immediately. Because in its absence the whole town is facing great difficulty due to the blocking of traffic.

The situation of coal traffic in North Bihar should be improved by introducing direct rail link between Dhanbad and Patna.

When there is over crowding and moreover when railways are running in loss, why Government is issuing holiday tickets for hill stations, where only well to do people go there.

It has been reported that coal fields are getting 1222 wagons less per day. On account of this thousands of workers are sitting idle and the production of coal has gone down tremendously. In the end I will request the Minister to provide sufficient number of wagons, so that the huge quantity of coal lying in the coal fields can go to the public, which are facing a great difficulty due to non availability of coal for daily use.

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : पिछले वर्ष के बजाय इस वर्ष रेलवे मंत्री ने अनुभव किया है कि सवारी किराया तथा माल भाड़ा बढ़ाए बिना घाटे को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेलवे के प्रयोग में आने वाली वस्तुएं कोयला और इस्पात की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अत। सवारी किराया तथा भाड़े में मामूली वृद्धि करना उचित है जिससे कि रेलवे बिना लाभ हानि के चल सकें।

रेलवे में लाभांश देने की एक व्यवस्था है फिर चाहे किसी विशेष रेलवे में हानि ही हो, लाभांश का हिसाब समस्त रेलवे के आधार पर ही लगाया जायेगा।

रेलवे मन्त्री का कहना है कि हमें 8-9 करोड़ रुपये की हानि हुई है पर उस पर भी लाभांश का अनुमान लगाना पड़ेगा। इस दोषपूर्ण व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए तथा मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में परिवहन समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिये।

रेलवे में मितव्ययिता करते समय चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या तो कम कर दी जाती है और बड़े अधिकारियों की संख्या बढ़ी है। इस प्रकार की मितव्ययिता को समाप्त किया जाना चाहिए।

बिहार में भारतीय रेलवे का एक बहुत बड़ा भाग है पर नियुक्तियों के लिये यहां रेलवे कमीशन का कार्यालय नहीं है। यह मांग सभी क्षेत्रों की ओर से बार-बार की गई है कि कमीशन का मुख्यालय दानापुर या पटना में कहीं होना चाहिए। वहाँ केवल एक सहायक सचिव की नियुक्ति की गई जो केवल एक डाकखाने का काम करता है, यदि और उसका न होना ही बहतर है। यदि यहां कमीशन का मुख्यालय है तो उनसे बिहार और उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होगा। मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस उचित मांग की ओर ध्यान देंगे।

रेलवे व्यवस्था प्रशासन में राजनीति घुस गई है। पहले रेलवे मन्त्री ने उत्तर-पूर्व रेलवे का मुख्यालय सोनपुर में खोलने का विचार प्रकट किया था पर बाद के मन्त्रियों ने उसे रंगिपाड़ा, आसाम या बनारस में खोलना तय किया। पता नहीं ये दोनों स्थान किस प्रकार सोनपुर से बेहतर हैं। मैं यह नहीं कहता कि इन स्थानों पर मुख्यालय न खोला जाये, मेरा कहना तो मात्र इतना है कि उपयुक्तता के बजाय राजनीतिक दृष्टिकोण से इन चीजों पर विचार किया जाता है, जो गलत है।

राजधानी ऐक्सप्रैस चलने के बाद अब डी-लक्स गाड़ी को पटना से चलाने का पर्याप्त औचित्य है। इससे उत्तरी बिहार और आसाम जाने वाले लोगों को आसानी होगी।

रेल मन्त्री ने रेलवे प्रशासन में कर्मचारियों का सहयोग लेने की बात कही है। इस संबंध में अध्ययन करने के लिये 1965 में एक दल युगोस्लाविया गया था। उसने अपना प्रतिवेदन भी दिया था पर वह कभी प्रकाश में नहीं आया। कर्मचारियों का सहयोग आपको बिल्कुल प्रारम्भ से नीचे के स्तर से लेना होगा। उच्चस्तर पर एक निदेशक की नियुक्ति से कार्य चलने वाला नहीं है।

राजनीतिक अथवा अन्य कारणों से रेलवे की सम्पत्ति और कर्मचारियों पर आक्रमण किया जाता है। तथा ऐसी स्थिति में कर्मचारी रेल नहीं चला सकते। उनसे इस गुण्डागर्दी का सामना करने की आशा नहीं की जा सकती। रेलवे फेडरेशन ने इस सम्बन्ध में यह तय किया है कि यदि देश के किसी भाग में ईमानदार और विश्वास पात्र कर्मचारियों को पीटा या मारा जाता है तो वे रेल चलाना उस समय तक बन्द कर दें जब तक कि स्थिति सामान्य न हो जाये। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इन कर्मचारियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करें और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

अन्त में मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि भूतपूर्व रेल मन्त्री ने जो ग्यारह सूत्री कार्यक्रम रखा था, उसका क्या हुआ ?

श्री कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : मंत्री महोदय को यह पता था कि रेलवे प्रशासन के सम्बन्ध में जनता तथा कर्मचारियों में अत्यन्त रोष है इसलिए उन्होंने अपने भाषण में आक्रामक तरीका अपनाया, जिससे कि रेलवे प्रशासन की कमियों की ओर कोई उंगली न उठा सके।

मंत्री महोदय शायद यह समझते हैं कि कर्मचारी बड़े लालची हैं और हमेशा अधिक अधिक पैसे की मांग करते हैं। पर यदि वे उस प्रतिवेदन की ओर देखें जो कि मंत्रालय ने सदस्यों में वितरित किया है तो पायेंगे कि भारत में कुल व्यय का सबसे कम प्रतिशत कर्मचारियों पर व्यय किया जाता है।

निःसन्देह पिछले तीन वर्षों में रेलों के समय में और ठीक प्रकार चलने की क्षमता में कमी हुई है। यह कमी कर्मचारियों के कारण नहीं हुई है। जैसा कि प्रतिवेदन कहा गया है, कर्मचारियों ने यथाशक्ति अच्छा काम किया है।

हमारे कर्मचारियों में देशभक्ति की कमी नहीं है पर इतना भार सह कर वह इसे नहीं निभा सकते। उन्होंने बहुत दिन कठिनाई सही है।

रेलवे को हानि कैसे होती है। पहले मैं यह विचार दूर करना चाहता हूँ कि रेलवे को हानि हो रही है।

आंकड़ों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि यह लगता है कि रेलवे में घाटा पड़ रहा है। यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि रेलवे को एक सार्वजनिक सेवा संस्था के रूप में कार्य करना चाहिये जिससे कि रेल-कर्मचारियों और यात्रियों दोनों का हित हो सके, तो आप वित्तीय-विवरण की ओर ध्यान दीजिये। इस सम्पूर्ण कुप्रबन्ध के बावजूद भी वित्तीय-विवरण में कोई विशेष बात देखने को नहीं मिलती।

105 करोड़ रुपये के मूल्य ह्रास को इन्होंने व्यय के रूप में दिखाया है और "रेलवे के विकास का आवंटन" शीर्षक के अन्तर्गत भी कुछ व्यय दिखाया गया है। इससे भी दुःखद बात यह है कि सामान्य राजस्व का जो रेलवे के खाते में बकाया रहता है, उसके लिए रेलवे को ब्याज देना पड़ता है। वित्त मंत्रालय निरन्तर रेलवे का खून चूसता रहता है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि रेलवे बोर्ड का वित्तीय आयुक्त रेलवे बोर्ड के हितों के लिए कार्य करता है या वह वित्त मंत्रालय का एजेंट है। बहस का उत्तर देते समय मंत्री महोदय को इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिये।

हमने मंत्री महोदय के भाषण को ध्यान-पूर्वक सुना है। उनका कहना है कि रेलों में चोरी की समस्या बहुत गंभीर होती चली जा रही है। परन्तु इस चोरी के लिए उत्तरदायी कौन है? रेलवे में इस चोरी की जिम्मेदारी बड़े-बड़े अधिकारियों तथा बड़े-बड़े ठेकेदारों पर है। जब तक रेल मंत्री का पथ प्रदर्शन रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता रहेगा तब तक रेलों में कोई सुधार नहीं किया जा सकेगा और स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी।

रेलों का विद्युतीकरण तथा डीजलीकरण निश्चय ही प्रगति के द्योतक हैं परन्तु इससे कर्मचारियों में छटनी करनी पड़ेगी और रोजगार के अवसर कम हो जायेंगे। अतः यह कार्य कुछ ऐसे ढंग से किया जाना चाहिये ताकि इसके फलस्वरूप बेरोजगारी न फैल सके।

आपको मालूम है कि 1958 में रेलों के विद्युतीकरण के लिए एक पृथक संगठन बनाया गया था, जिसमें उच्च अर्हता प्राप्त इन्जीनियर आदि शामिल किये गये थे। परन्तु क्या विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस संगठन को किसी रेलवे लाईन के बिछाने का कार्य सौंपा गया? क्या कारण है कि इस संगठन की स्थापना के बावजूद भी विद्युतीकरण का कार्य गैर सरकारी ठेकेदारों को सौंपा गया? इस काम का ठेका तीन बड़ी बड़ी कम्पनियों को दिया गया जिनमें से दो ब्रिटेन की थी और एक इटली की। इस काम का ठेका देने के लिए कोई टेन्डर नहीं मंगाये गये। इन तीनों कम्पनियों ने आपस में सांठ-गांठ कर ली और यह परियोजनाओं के लिए आवंटित सम्पूर्ण धनराशि हजम कर गई। यह बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। इस सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, यह तथ्य उन्हीं से प्राप्त हुआ है और यदि मंत्री महोदय चाहें तो वह टेन्डरों को स्वयं देख सकते हैं। हां इस कार्य के लिए यदि उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इसके लिए तैयार हूं।

मैं इस सम्बन्ध में केवल रूरकेला-बिलासपुर खण्ड का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस कार्य के लिए 257 लाख रुपये का टेन्डर स्वीकार किया गया था। इस में से 90 लाख रुपये सामान आदि खरीदने के लिए व्यय किया जाना था जिसकी रसीद दिखानी ठेकेदार के लिए जरूरी थी। इस सम्बन्ध में ठेकेदार ने जो आय-कर ब्यौरा राज्य सरकार को दिया हैं उसमें केवल 45 लाख रुपया दिखाया गया है, परन्तु फिर भी उसे 90 लाख रुपया सामान खरीदने के लिए दे दिया गया है। मन्त्री महोदय चाहें, तो स्वयं इसे देख सकते हैं। अतः इस प्रकार रूरकेला-बिलासपुर खण्ड पर बहुत अधिक धनराशि बर्बाद की गई है। मेरा सुझाव है कि रेल मन्त्री को यह सभी दस्तावेज प्राप्त करके, इस सभा की एक समिति को सौंप देने चाहियें। तभी यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट होगी कि जनता की धनराशि का किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है। हम देश की अर्थ-व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, परन्तु ऐसा हम मजदूरों, कुलियों और चपरासियों को नौकरी से निकाल कर नहीं करना चाहते। यह मन्त्री महोदय की गलत धारणा है कि रेलवे में तांबे की तारों

जो चोरी होती है वह मजदूरों की लापरवाही या अकुशलता के कारण होती है। हमारे श्रमिक सबसे सस्ते और अधिक कार्यकुशल हैं।

आप पूर्वी क्षेत्र की बात छोड़ दीजिये। भारतवर्ष के दूसरे भागों में क्या हो रहा है? क्या वहाँ गाड़ियां ठीक समय पर चल रही हैं? यदि कोई रेल मन्त्री के बजट भाषण को पढ़े तो उसे यह आभास होगा कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में मानो कोई आन्दोलन चल रहा है, अराजकता फैली हुई हो और हर तरफ चोरी ही चोरी हो रही हो। केवल अपने प्रशासन की अकुशलता और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए मन्त्री महोदय ने सम्पूर्ण भारत का जो चित्रण किया है क्या वह ठीक है? विश्व के अन्य देश हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय को इन सभी मामलों की जांच करनी चाहिए।

रेल विद्युतीकरण संगठन में एक इन्जीनियर को प्रधान इंजीनियर का पद दिया गया था। मैं सदन में उसका नाम नहीं लेना चाहता। परन्तु बाद में उसे ही पदमश्री की उपाधि भी प्रदान की गई थी। इस व्यक्ति ने रेल के ठेकेदारों की अनुचित रूप मे बहुत सहायता की है। इसीलिए आज यह व्यक्ति किसी ठेकेदार की फर्म से 10,000 रुपया वेतन पा रहा है। इस व्यक्ति का प्रमुख गुण यही है कि वह किसी को भी प्रभावित कर सकता है। इसी प्रकार के बड़े बड़े रेल के अधिकारियों के कारण ही रेलवे को घाटा हो रहा है क्योंकि इनकी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत होती है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध मन्त्री महोदय कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, परन्तु वह आये दिन उन मजदूरों पर आरोप लगाते रहते हैं जो बेचारे सदा रेल की मजदूरी के लिए अपना खूब पसीना एक करते हैं।

अब प्रोत्साहन योजना को ही लीजिए। पिछली बार भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था। इस समय मेरे पास इतना समय नहीं है कि इस योजना का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत कर सकूं। प्रोत्साहन योजना को ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है। इस योजना के नाम पर छोटे छोटे पदों को समाप्त करके उनके स्थान पर बड़े बड़े पदों का निर्माण किया गया है। ऐसी स्थिति में मजदूर भला इस योजना से किस प्रकार खुश हो सकते थे? मैं समझता हूं कि प्रोत्साहन योजना के लाभ और हानि का मूल्याँकन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए क्योंकि जिस ढंग से इस समय योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, उससे तो वर्कशापों को हानि ही हो रही है।

रेलवे मन्त्री महोदय का कहना है कि रेल के किराये तथा भाड़े में नाम मात्र की वृद्धि की गई है। परन्तु रेलवे मन्त्री के इस विचार का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि भारत की जनता की आर्थिक स्थिति पहले ही बहुत दयनीय है। अतः इस प्रकार की वृद्धि का कोई औचित्य नही है।

रेल की भोजन-व्यवस्था भी बहुत शोचनीय है। इसके बारे में सदन में पहले भी चर्चा की जा चुकी है। जो काम भी ठेकेदारों को सौंपा जाता है उसी में गड़बड़ होती है मैं दक्षिणी भारत का निवासी हूँ। मुझे मालूम है कि स्टेशन से बाहर जो खाना 80 पैसे में मिलता है उससे घटिया किस्म का खाना प्लेटफार्म पर 1.05 पैसे का मिलता है और यदि उसे गाड़ी के अन्दर मंगवाया जाए तो उसी के लिए 2.05 पैसे देने पड़ते है। क्योंकि मैं केवल शाकाहारी हूँ अतः शाकाहारी भोजन की बात ही कर रहा हूं।

जहाँ तक भोजन व्यवस्था का सम्बन्ध है, रेलवे मन्त्रालय को इस कार्य के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए जो कि जांच करके यह सिफारिश करे कि भोजन की किस्म को कैसे सुधारा जा सकता है ताकि यात्रियों को इससे लाभ हो सके।

रेलवे विद्युतीकरण संगठन के बारे में प्राक्कलन समिति ने अपना 70वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। समिति का विचार था कि इस पर अधिक व्यय किया जा रहा है और रेल मन्त्रालय को इसके बारे में दो वर्ष बाद एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। अब दो वर्ष बीत गए हैं परन्तु हमें मालूम नहीं कि इसके बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है या नहीं।

रेल मन्त्री ने अपने बजट भाषण में किराये-भाड़े बढ़ाने और श्रमिकों के कार्य की जो निन्दा की है, मैं उसका कड़ा विरोध करता हूँ।

Dr. Govind Dass (Jabalpur) ; I represent the Jabalpur Constituency which being in the centre of Country has its own importance. There is need for the introduction of two local trains between Bhitoni and Khamaria, one in the morning and the other in the evening. It will provide great relief to the people of that area. In Khamaria, there is a big Government factory,

One first class and one third class bogie should be attached to trains running from Jabalpur to Allahabad till such time an express train is started. From Allahabad those bogies should be attached to the Upper India train going to Delhi. This arrangement should be made throughout the week.

It is further submitted that one third class bogie should be attached to the train which starts from Jabalpur to Godia in the evening.

Sheds should be provided on all that forms of the meter gange line. Arrangements should also be made to have proper cleanliners in the bathrooms of the waiting rooms on all stations.

In the end I request that there should be a rail link between Raipur and Bastar.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : महोदय, हमें, अर्थात् जो सदस्य उत्तर पूर्व सीमा क्षेत्र से चुन कर आये हैं, यह अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रेलवे प्रशासन ने असम की अत्यावश्यक समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है। असम एक महत्वपूर्ण राज्य है और इसका बाकी के देश के साथ सम्बन्ध रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। ऐसा होते हुये भी रेलवे प्रशासन ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है। बड़ी लाईन का विस्तार केवल बगां गाँव तक ही किया है। इस लाईन को पाँचा रैना, जोगी गप्पा और तिनसुकिया तक ले जाने के लिये कई बार मांग की गयी है। स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस माँग पर विचार करने का आश्वासन दिया था। 15 लाख लोगों की ओर से 5 लाख लोगों के हस्ताक्षर युक्त एक स्मरण पत्र भी स्थानीय प्रधानमंत्री को भेजा गया था। पिछले वर्ष के बजट पर बहस के दौरान भी इस बात की चर्चा की गयी थी। यह कहना ठीक नहीं हैं कि यह योजना आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगी। विभाजन के पश्चात गवालपाड़ा और कामरूप जिलों की हालत खराब हो गयी क्योंकि इनका व्यापार पूर्वी बंगाल के साथ चलता था। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट अनुसार इस क्षेत्र में प्राकृतिक धन की कोई कमी नहीं है। परन्तु उचित संचार के व्यवस्था के अभाव में इन साधनों का प्रयोग नहीं हो सका है। रेलवे प्रशासन को इस बात पर भी विचार करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोप के समय इस लाईन पर बहुत असर पड़ता

है । यदि साऊथ बैंक से लाईन निकाली जाये तो ज्यादा स्थायी होगी । यह लाईन ज्यादा प्रयोग में आयेगी और इसकी मरम्मत इत्यादि पर होने वाली हानि भी कम होगी । इससे करोड़ो रुपयों की क्षति रुक जायेगी ।

प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाये तो आसाम और मेघालय में सेना लाने ले जाने के लिये केवल यही लाइन है । रेलवे एक लोकहित की संस्था है और लोक हित भी इसी में है कि बड़ीलाइन का विस्तार किया जाये ।

इसके पश्चात यह बहुत सुन्दर प्राकृतिक स्थल और शिकार खेलने का स्थान है । परन्तु अच्छी संचार व्यवस्था के अभाव में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत कम है ।

इन सब बातों को सामने रखते हुये रेल मन्त्री को सन्तोष जनक उत्तर देना चाहिए । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों में 'एकाकीपन' की भावना घर करती जा रही है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है ।

जहाँ तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है, अब मैं रोजगार, नियुक्तियाँ और स्थानान्तरण जैसी बातों का उल्लेख करूंगा । रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद और मनमर्जी जोरों पर है । रोजगार के मामले में स्थानीय युवा वर्ग की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता । पिछली जनवरी में रेलवे द्वारा नियुक्त व डाक्टरों में से कोई भी स्थानीय नहीं था जबकि उस प्रदेश के सैकड़ों डाक्टर नौकरी पाने की प्रतीक्षा में हैं । ऐसे दर्जनों मामले हमारे सामने हैं ।

इसी प्रकार स्थानीय उद्योगों के साथ भी न्याय नहीं हो रहा है जो कि मुद्रणालयों को दिये जाने वाले टेन्डरों से स्पष्ट हो जाता है । 193 पृष्ठों वाली एक पुस्तिका बाहर से 6821 रुपये में छपाई गयी जबकि असम में यह 5,990 रुपये में छप सकती थी । इसी तरह कल्याण अधिकारियों की हाल की नियुक्तियों में भी स्थानीय व्यक्तियों की परवाह न करते हुये वरिष्ठता सूची में 200 वें और 460 वें स्थान वाले व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया गया । इसी प्रकार कुछ वर्ष पूर्व एक पद के लिये कुछ व्यक्तियों को छूट के अंक दे दिये गये और सम्बन्धित अधिकारयों के विरुद्ध कोई कार्य वाही नहीं की गयी ।

रेलवे में डिवीजनों की व्यवस्था चालू होने पर रंगिया में डिवीजन स्थापित करने की मांग की गयी । भूतपूर्व रेल मन्त्री श्री नन्दा जी ने कहा कि 2 अक्तूबर, 1971 के शुभ दिन से यह डिवीजन चालू हो जायेगा । अब रेल प्रशासन कहता है कि भूमि में मिट्टी भरनी पड़ेगी । यह भी कहना होगा कि असम में यह आम बात है और नहीं तो क्या कामाख्या पहाड़ियों पर डिवीजन स्थापित हो सकेगा । श्री नन्दा जी के आश्वासन के बावजूद अब तक कुछ नहीं हुआ है । धैर्य की भी सीमा होती है और मुझे आशा है कि रेलवे यह सीमा नहीं आने देगा ।

असम में रिहायश मंहगी पड़ती है इसलिये फ्रंटियर रेलवे भत्ते की मांग की जा रही है । इस क्षेत्र के रेलवे कर्मचारियों को वे सुविधायें भी प्राप्त नहीं हैं जो कि दूसरी रेलवे ज़ोनों के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं । रेलवे प्रशासन को इस उचित मांग पर विचार करना चाहिये ।

यह भी कहा जाता है कि उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे एक घाटे का कार्य है । यह उन व्यक्तियों की चाल है जिनका हित सड़क परिवहन में है । माल डिब्बों की कमी का कारण बताकर माल डिब्बे नहीं भेजे जाते और बाद में कह दिया जाता है कि असम माल डिब्बे खाली लौटते हैं ।

फिर इस प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। नमक वहां 50 पै० प्रति किलो ग्राम बिकता है। रेलवे प्रशासन को नमक के माल डिब्बे वहाँ भेजने चाहिये।

माननीय मन्त्री जी ने यह भी कहा है कि आर्थिक दृष्टि से मीटर गेज की लाईनों और छोटी लाईनों को बन्द किया जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में इस महत्व को देखते हुये असम की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री किरुतिनन (शिवगंज) : रेलवे मन्त्री को बधाई नहीं दे सकता। उन्होंने जो बजट पेश किया वह परम्परागत तथा संकीर्ण है। अपने पूर्वाधिकारियों के पद चिन्हों पर चल कर उन्होंने घाटे का बजट पेश किया है जिसे पूरा करने का प्रयत्न उन्होंने किराये और भाड़े को बढ़ा कर किया है। किराये और भाड़े की इस वृद्धि का प्रभाव किस पर पड़ेगा ? हम जानते हैं कि इसका असर केवल सर्वसाधारण पर ही पड़ेगा।

भाड़े की दर में वृद्धि के फलस्वरूप इस्पात, सीमेंट, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश आदि आदि के उत्पादन मूल्य में भी वृद्धि होगी।

किराये तथा भाड़े की दरों में वृद्धि से प्रति वर्ष 26·25 करोड़ रुपये की आय होगी। प्रश्न यह है कि क्या इस वृद्धि से घाटा पूरा होगा ?

अन्य देशों में रेलवे को सरकार से उपदान मिलता है। लेकिन यहाँ सामान्य राजस्व को लाभांश दिये जाने के नाम पर 33·12 करोड़ रुपये का घाटा छोड़कर रेलवे को 173·77 करोड़ रुपये का लाभाँश देना पड़ता है। मेरे विचार में लाभाँश की यह दर बहुत अधिक है।

रेलवे राष्ट्र का सब से बड़ा व्यापारिक एवं औद्योगिक उपक्रम है। जिसमें प्रति दिन 700 स्टेशन लेकर 1200 गाड़ियां चलती हैं।

रेलवे देश का सरकारी क्षेत्र में सब से बड़ा उपक्रम है लेकिन रेलवे का कार्य संतोषजनक नहीं है।

आर्थिक मितव्ययता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है जिसके लिये भर्ती पर भी पाबंदी लगायी गई। लेकिन भर्ती पर पाबंदी कहाँ लगी ? सन् 1961 से 1969 तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में कुल मिलाकर 2·3 % की वृद्धि हुई। इस पाबंदी के कारण द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तरक्की जरूर रुकी है। बिना तरक्की तथा वेतन के असंख्य लोग ऊंचे पदों पर काम करते आ रहे हैं और पाँच से दस साल तक भी नौकरियाँ पक्की नहीं होती। हजारों खाली स्थान भरे नहीं गये। रेलवे कर्मचारियों के बीच बहुत असंतोष है।

मैंने रेलवे कर्मचारियों के लिये, जो कुल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का 50% भाग है। एक पृथक वेतन आयोग का सुझाव दिया था। मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे वेतन आयोग को रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में पृथक रिपोर्ट देने के लिये कहे।

तो मितव्ययता क्या है ? जब भी मितव्ययता लागू की जाती है तो कुल्हाड़ा केवल कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर ही पड़ता है। मितव्ययता के नाम पर पटरी पर काम करने

वाले कर्मचारियों को बिना आस्तीन की कमीज़ दी जाती है, दो व्यक्तियों के लिये केवल एक ही सीटी दी जाती है। मितव्ययता के नाम पर तंजौर में लोको-रोड़ स्थानांतरित करने के लिये भवन गिराये जा रहे हैं तथा कर्मचारियों के परिवारों को असुविधा में डाला जा रहा है। मैं इस प्रकार की कार्यवाहियों का विरोध करता हूं। मैं रेलवे मंत्री तथा प्रधान मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वे तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की अनिवार्यता को अनुभव करें। अनियमित मजदूरों को अस्थायी श्रेणी का कर्मचारी बनाया जाये तथा तीन वर्ष से अधिक सेवा करने वालों को स्थायी किया जाये। खाली पड़े चतुर्थ श्रेणी के पदों को शीघ्र भरा जाये। रेलवे सुरक्षा दल को रात्रि भत्ता मिलना चाहिये। कर्मचारियों से बिजली का खर्च अब न लिया जाये।

दक्षिण के लोग वृताकार रेलवे तथा सड़क परिवहन प्रणाली के लिए कहते आये हैं। मैं रेल मंत्री से कहूंगा कि मद्रास के लोगों की शिकायतों की ओर ध्यान दें। मद्रास-अरकोनम मद्रास-विजयवाड़ा तथा मद्रास त्रिची के बीच बिजली लगाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। रेलवे लाईन बनाये जाने के मामले में तामिलनाडु सहित समूचे दक्षिण की उपेक्षा की गई है। हर साल संसद सदस्य रेलवे बोर्ड के बारे में शोर मचाते हैं। हम चाहते हैं कि रेलवे बोर्ड के स्थान पर क्षेत्रीय बोर्ड स्थापित किये जावें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): मंत्री महोदय ने रेलवे प्रशासन की समस्याओं पर प्रकाश डाला है। रेलवे बजट सरल परम्परागत तथा गणित के फार्मूले पर तैयार किया गया है। हमें बताया गया है कि आय कम तथा व्यय अधिक हो रहा है। योजना व्यय कम किया गया है और घाटे को पूरा करने के लिए किराये और भाड़े की दरों में वृद्धि की गयी है। फिर भी घाटा पूरा नहीं हुआ। हम अधिक सुविधायें चाहते हैं। वर्ष का योजना परिव्यय 3.8 करोड़ रू० से 208 करोड़ रु० कर दिया गया है और समूची चौथी योजना का परिव्यय 15.25 करोड़ रु० से घटा कर 1275 करोड़ रु० कर दिया है। अगले चार वर्ष भारत के इतिहास के लिए बहुत निर्णायक हैं। हम ग़रीबी और बेरोजगारी से लड़ें या गिरें ? इस चुनौती के बावजूद भी योजना परिव्यय में इतनी बड़ी कटौती की गयी है, यह बात समझ में नहीं आती। किराये तथा भाड़े की दर में वृद्धि के फलस्वरूप कीमतों के बढ़ने की आशंका है। सीमेंट, कोयला नमक, खाद, तथा इस्पात की कीमतें बढ़ने से नहीं बच सकती। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सीमेंट, नमक तथा खाद सरीखी वस्तुओं के भाड़े में वृद्धि न करने के प्रश्न पर विचार करें क्योंकि हम विश्व को बताते हैं कि हमारे देश में हरित क्रांति आयी है।

यह बात आश्चर्यजनक है कि रेलवे वित्त में व्याजदेय पूंजी है जिस पर रेलवे मंत्रालय का कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ समय पहले रेलवे के बारे में संसद सदस्यों की एक समिति बनायी गयी थी जो लोकसभा भंग होने के कारण अपनी रिपोर्ट न दे सकी। अब नयी समिति बनाई जा रही है। इस कमेटी को ब्याजदेय पूंजी के इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। उपज में 300 करोड़ रु० से अधिक की पूंजी लगी है। आज 160 करोड़ रू० का लाभांश दिया जा रहा है जबकि आपको कोई लाभ नहीं होता। इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। सन 1961 में प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 1067 थी जो 1969 में बढ़कर 601 हो गयी अर्थात 248 प्रतिशत वृद्धि हुई। किस लिए ? हमें बताया गया है कि यह अधिकारी पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त किये गये। यदि हर व्यक्ति पर्यवेक्षण करे तो काम कौन करेगा ? इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

रेलवे के कार्य के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि वाराणसी डीजल लोकोमोटीव वर्कस ने प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता 150 निर्धारित्त होने के बावजूद भी वर्ष 69-70 के दौरान केवल 82 लोकोमोटिव तैयार किये। इस प्रकार उत्पादन क्षमता बेकार हो रही है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस भी ठीक दशा में काम नहीं कर रहा जिसकी जांच की जानी चाहिए।

11.60 करोड़ रू० की राशि का बढ़ा हुआ किराया तीसरे दर्जे के यात्रियों से इकठा किया जायेगा जबकी पहले दर्जे के यात्रियों को केवल 1.60 करोड़ रु० ही देना पड़ेगा। इसका क्या उत्तर है ?

दक्षिण-पूर्व रेलवे से 7-95 प्रतिशत की आय होती है जो अन्य सभी क्षेत्रों से सर्वाधिक है। इसके बावजूद भी दक्षिण-पूर्व रेलवे में अधिक पूंजी नहीं लगाई जाती।

रेलवे बोर्ड ने उड़िसा के लिए एक डिविजनल सुपरीन्टेंडेंन्ट भेजा हैं जिन्होंने समाजवादी नीतियों को लागू करने के लिये सैंकड़ों लोगों की छंटनी की है। मैं आशा रखता हूं कि अब वह समय गया हैं जब सरकार को उन लोगों के प्रति सावधान होना चाहिए जो कांग्रेस दल, सरकार तथा राष्ट्र के प्रति आस्था नहीं रखते।

खुदरा रेलवे हाई स्कूल के लिए फर्नीचर तथा अध्यापकों का प्रबन्ध करना रेलवे की जिम्मेवारी है।

परादीप रेल लिंक श्री प्रगति संतोषजनक नहीं है। इसे कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाना चाहिये।

रेल के कुलियों तथा अन्य मजदूरों के बीच काफी असंतोष है इनकी शिकायतों पर विचार करने वाली समिति ने सम्भवतः अपनी रिपोर्ट दे दी है। आशा है कि सरकार इस पर उचित ध्यान देगी।

इन शब्दों के साथ मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : It appears train the railway budget that there will be no fare upto 15 km. It would have been better to extend the limit of free fare 15 km. to 25 km. It is said that Railway is an industry aimed at providing facilities to the people instead of earning profits. But actually this facility has litter to been provided to the passengers travelling in air-conditioned; first class, Members Parliaments or the members of railway board whose saloon consists of 11 bogies.

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

Who travels by deluxe ? How it is that the fare of deluxe train or aeroplane is almost equal. One would prefer to travel by air instead of deluxe train there is only 1/2 bogie for 3rd class passengers in the frontier mail out of a total of 18 bogies. Similarily there are 3 3rd class bogies in Janta and 2 in Dehradun Express. This is the facility being provided to the 3rd class passengers. Tell me where the 3rd class passengers should sit ?*

Mr. Chairman : The hon. member should not express this way. This expression of the hon. member will not go on record. **That will not go on record.**

Shri Onkar Lal Berwa : You have not provided accommodation to the 3rd class passengers. Income derived from the railway travel during 68-69 is 19.40 crores from Ist

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

class, 8.12 crore from 2nd class and 238.28 crores from 3rd class passengers. Is it justified to pack up the bogies with 3rd class passengers as if they are sheeps and goats ?

There is a lot of discontentment among railway employees because the Railways have not implemented the recommendations of first and second Pay Commissions. Grieviances of the staff should be removed.

It is really regrettable that while Railway Drivers, Guards and Brakemen are treated as running staff, T.T.E.'s are not included in this category. They were treated as running staff when we took over the Railways from Britishers in 1931. T.T.E.'s should also be given the same facilities as are available to the running staff.

Railways have employed attendants in place of conductors and these attendants are not able to help the passengers because most of them are illiterate and it causes a lot of inconvenience to passengers. It is, therefore, better that the attendants are replaced by conductors when there is not much of difference in their salaries.

The minimum weight of brakevan should be 18 tonnes while it ordinarily never exceeds 12 tonnes with the result that it keeps on lossing up and down like a football. If you were to travel in this van from Delhi to Faridabad only, the stress on your to many will be so much that you shall have to get it messaged for at least three days. That is becauce of its light weight. I, therefore, request that proper attention should be given to this matter.

The trains are so long that very often the Guards signal for starting the train is not noticeable and very often the passengers are left behind.

The Dehradun Express generally runs late. Inspite of persistent demand the railways have not provided a diesel engine for this, This demand should be met. There is not a single train in south which is without a diesel engine. The Western Railway is neglected by railway authorities. More attention should be paid to the betterment of this railway. Things are much worst at the old Delhi railway station. While these are arrangements for the stay of Guards and T.T.E's. of Northern and Central Railway, there is no such provision for those of the Westren Railway. They have no place to sleep duing journey and yet they are being nuglected.

I would like to say something about my own area. There has been a long standing demand for Katak-chittor railway line, Sometime back survey was also conducted but nothing has been done to construct this line.

I would also like to give some suggestions. There is a pubiic relations office of railways and its offlcers do not perform any useful work. They should be asked to procure advertisments for the railways, whereby the Railways can earn Rs. 5 crores easily a year but their attention is concentrated only on getting the photograph of the ministers and the member of railway board.

The railways have a number of saloors. These should be given on rise for marriages. In this way railways can earn a lot of money.

Unfiltered mater is being supplied ro the residents of Kota. Railways coal wagons are stranded on the track near the residential quarters of the railway employees as no compound mall has been built around the quarters. their clothes get soiled by the coal dust.

There is no rail link between Kotah and Bundi and Kotah and Jhalawar. These lines should be provided.

श्री के० सूर्य नारायण (एलुरन) : मैं भाड़े और दरों को बढ़ाने और रेलवे द्वारा यात्रियों को प्रदान की गई सुविधाओं के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। विरोधी दलों के सदस्यों का कहना

है कि यात्रियों को अधिक सुविधाएं दी जायें तथा किराये व भाड़े में वृद्धि न की जाए। उनके इस कथन के पीछे राजनीतिक उद्देश्य अधिक झांकता दिखता है। किराए तथा भाड़े में जो वृद्धि की गई है वह बहुत कम है। यह वृद्धियां केवल यात्रियों की अधिक सुविधाओं की मांगों को पूरा करने के लिए की गई हैं। अतः इस वृद्धि की आलोचना करना उचित नहीं। मैं रेल विभाग की कमियों के लिए रेल अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराता क्योंकि उन्हें यात्रियों की असुविधाओं का पता तब तक कैसे चल सकता है जब तक वह स्वयं रेल से यात्रा न करें क्योंकि रेलवे अधिकारी प्रायः हवाई जहाजों से सफर करते हैं। मैं श्री हनुमन्तैया से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात पर विचार करें।

यदि आप दिल्ली से नागपुर तक यात्रा करें तो आप धूल से लथपथ हो जायेंगे चाहे आप प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही क्यों न बैठे हों, दूसरी तीसरी श्रेणी के यात्रियों की क्या दुर्दशा होती होगी, इसका आप सरलता से अनुमान लगा सकते हैं। यात्रियों को इस धूल से बचाने के लिए कोई तरीका निकाला जाना चाहिये।

विजयवाड़ा और दिल्ली के बीच तथा अन्य मध्य स्थित स्टेशनों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों में लगाए जाने वाले पुराने डिब्बों में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश ने कुछ प्रस्ताव रखे थे पर रेलवे बजट में उनका उल्लेख तक नहीं किया गया। इन प्रस्तावों पर विचार करने से केवल आंध्र प्रदेश को ही लाभ नहीं पहुंचता अपितु देश के अन्य भाग भी इससे लाभान्वित होते। उदाहरण के लिए इस समय आन्ध्र प्रदेश से अन्य अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धान लाने के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं है। रेलवे अधिकारियों को अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के लिए धान भिजवाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को आवश्यक सुविधायें प्रदान करनी चाहिए।

हम काफी अरसे से गंटूर से माचेरला तक छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने की मांग कर रहे हैं किन्तु रेलवे बजट में इस विषय पर कुछ नहीं कहा गया। मेरा अनुरोध है कि इस कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए।

रेलवे ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मद्रास से विजयवाड़ा तक पूर्ण रूप से विद्युतीकरण का प्रस्ताव किया था। तीन वर्ष गुजर चुके हैं किन्तु इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मद्रास से विजयवाड़ा तक लाइन के विद्युतीकरण के लिए बिजली की सप्लाई की परियोजना पूर्ण कर ली थी। रेलवे बोर्ड को अविलम्ब विद्युतीकरण का कार्य पूरा करना चाहिए।

दिल्ली से वाल्टेयर तक एक अलग गाड़ी चलाने के लिए पिछले वर्ष 30 संसद सदस्यों ने रेलवे बोर्ड को एक ज्ञापन पेश किया था। रेलवे को इसके लिए एक अलग गाड़ी की व्यवस्था कर देनी चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो सके तो उन्हें किसी एक्सप्रैस गाड़ी द्वारा वाल्टेयर को जोड़ देना चाहिए।

जहाँ तक दक्षिण एक्सप्रैस का सम्बन्ध है पहले यह सोचा गया था कि वह आँध्र प्रदेश के विभिन्न केन्द्रों से होती हुई सीधे हैदराबाद जायेगी बाद में यह विचार बदल दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि गाड़ी के 50% डिब्बे मद्रास जायेंगे तथा 50% हैदराबाद। ऐसी स्थिति में

दिल्ली से वाल्टेयर को आने वाले लोगों का क्या होगा ? आँध्र प्रदेश के उत्तरी जिले के लोगों की यह माँग अनुचित नहीं है कि दक्षिण एक्सप्रेस गाड़ी के 50 % डिब्बे वाल्टेयर की ओर भेजे जायें। हम मद्रास जाने वाले लोगों के अधिकार नहीं छीन रहे। उनके लिए पहले से ही दो गाड़ियां ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रैस तथा जनता एक्सप्रैस मौजूद हैं।

सरकार का कहना है कि उनके पास रेल डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन मुझे पता है कि अब यहाँ से बंगलौर के लिए जाने वाले यात्रियों को ले जाने के लिए तीसरे दर्जे के रेल डिब्बे की व्यवस्था कर दी गई है। यद्यपि हम यह मांग काफी अरसे से कर रहे थे पर यह पूरी श्री हनुमन्तैया के मंत्रीपद संभालने के उपरान्त ही हुई है। सरकार केवल गणमान्य व्यक्तियों को प्रसन्न करना चाहती है और उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती जो रेलवे आय में सबसे बड़ा योगदान देने के बाद भी कष्ट पा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आंध्र के लोगों के दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण जाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिंक एक्सप्रैस को विजयवाड़ा से वाल्टेयर की ओर मोड़ दिया जाए। आशा करता हूँ कि रेल मन्त्री हमारे अनुरोध पर विचार करने के बाद इसको स्वीकार करेंगे।

Shri Shri Krishan Modi (Sikar) : The Railway Minister has said in his speech that the Railways should be run on commercial basis. If that could had been done the the Railways would have never run in loss.

He has also said that the target for goods traffic for 1970-71 was 2,246 lakh metric tonnes against which they were actually able to carry 1,990 lakh metric tonne. If the railways had functioned efficiently they should have been in a position to have adequate number of wagons and engines to cope up with the increased goods traffic.

In Rajasthan there is need for hundreds of wagons in Udaipur, Kotah, Jodhpur and Bhilwara for transportation of mineral wealth, but wagons are not being made available. This has hit hard the economy of the state and also the workers.

Wagons are heldup because of the strike of coal mine workers or labourers at any transhipment point. Who suffers because of it. It is the small scale industry that suffers as these goods are booked in E category and not in D category which is meant for big industries.

You will not deny the fact that for improving the economic structure of small scale industries there should be increased circulation of the capital and this circulation is possible only when raw material of small scale industries are booked fot transport in category (d) instead of category (e). It is essential to help the small scale industries.

The Railways have made a rule that for obtaining indents Rs. 25 should be deposited for meter gauge and Rs. 35 should be deposited for broad gauge but is it surprising that indents are not accepted even when one is ready to pay at the prescribed rate. One of the reasons is that the Railway Board has laid down a rule that if there is demand for more than 5,000 wagons, special trains should be run to meet the demand and to hide this fact about the number of wagons, they impose this restriction and stop accepting indents. It is a fraud.

The cost of road transport has gone up tremendously during the last 5 years but its freight rate has not increased accordingly. More and more goods traffic is going to read traffic. The railways will have to adjust their freight rates keeping this factor in view.

The Railways have given concession in freight in certain areas and I wish that small scale industries in backward areas, that is the areas which are at a distance of more than 50-60 miles from the railway line should also be entitled to this concession.

Passengers travelling in III class from Chulu to Sikar have to pay fare at the rate of 1 1/2 times the usual fare. This is highly unjust. The Railway authorities should pay immediate attention to this matter.

A train used to run between Rewari and Rengers was cancelled. But when a person from Narnaul entered Railway Board, it had again started between Rewari and Narnaul and Nizampur. Will the hon. Minister state the reasons for which other two-three stations have been left.

श्री पीलू मोदी (गोधरा): मुझे खेद है कि रेलवे मंत्री के बजट भाषण से अभास मिलता है कि रेलों को लाभ पर चलाने की सब आशाएं त्याग दी गई हैं। वर्ष 1964-65 से रेलवे में घाटे की अर्थ-व्यवस्था प्रारम्भ हुई और हर वर्ष किराया-भाड़ा बढ़ा कर उसे पूरा करने की चेष्टा की जाती है। ऐसी स्थिति अधिक समय तक नहीं चल सकती।

जब हम देश में कानून और व्यवस्था की बात करते हैं तो कहा जाता हैं कि सामाजिक-आर्थिक समस्या है।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था मूलत: रेलवे में अक्षमता के कारण है। रेलबे मंत्री के भाषण में कहीं भी यह आभास नहीं मिलता कि रेलों में क्षमता लाने के लिये कोई प्रयत्न किये जायेंगे। अधिक धन वसूल करने के सभी साधनों का उपयोग करने के पश्चात भी अन्त में घाटा ही रहा। मैं उनकी बुद्धिमत्ता नहीं उनके उत्साह की प्रशँसा करता हूं। रेलवे में अक्षमता के लिए उन्होंने चोरियों को जिम्मेंदार ठहराया हैं। मैं समझता हूँ कि यदि स्टाक कम रखा जाये तो चोरियां भी कम हो जायेंगी। मैं जानता हूँ कि रेलवे यार्डो से लोग ट्रकों में भर कर समान ले जाते हैं। इसे रोकने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है परन्तु वे उस स्थान पर उपलब्ध नहीं होते जहाँ उनकी आवश्यकता रहती है। पंजाब 6 लाख टन गेंहू बाहर भेजता था परन्तु पूरे प्रयत्नों के पश्चात 2 लाख टन ही भेजा जा सका। पिपलोद से बीड़ी बनाने के पत्ते बाहर भेजने के लिये डिब्बों की कमी रहती है।

तीसरे दर्जे के यात्रियों की दशा दयानीय है। वहाँ भीड़ तो रहती ही हैं साथ ही न पंखे चलते हैं न द्वार तथा खिड़कियां ही ठीक हैं। एक ओर समाजवाद की दुहाई दी जाती है और दूसरी ओर सामान्य लोगों की दशा पूर्ववत ही हैं।

उप-नगरीय यात्रा को सहयोग देने की बात कही गई है। परन्तु बंबई जैसे नगर में जहाँ यातायात अन्य स्थानों से अच्छा है, भी लोग खिड़की के बाहर लटक कर यात्रा करते है।

वक्तव्य की सबसे दुखःद बात यह हैं कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण विकास कार्य रोक दिये गये हैं।

रेलवे में 38,000 वाणिज्य लिपिक हैं जिनकी सेवा की शर्तों में 21 वर्षों में कुछ सुधार नहीं हुआ है। उनके सँघ को मान्यता भी नहीं दी गई है।

रेलवे एक बड़ा सँगठन है। वहाँ किसी मामले में न्याय पाने के लिये 24 माध्यमों से गुजरना पड़ता है और अन्त में भी न्याय कम ही मिल पाता है।

आपने जो कहा है कि छोटीलाइनों को बड़ी लाईनों में बदलने से रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध हो सकते हैं, से ठीक है। पारादीप जैसे स्थानों के लिये रेलवे लाइनों की व्यवस्था करने से रोजगार के साधन बढ़ेंगे।

आपने रूरकेला से इस्पात बाहर भेजने का ठेका लिया है परन्तु रेलवे लाइन बनाने की बात नहीं कही है। क्या आप उस बारे में आश्वासन दे सकते हैं

रेलों के समय-पालन तथा यात्रियों की सुविधाओं का उल्लेख मात्र किया गया है।उन्हें विस्तार से नहीं लिया गया है

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह (दूपदा); मेरे निर्वाचित क्षेत्र मैं एक और स्थान पर गाड़ियों के रूकने का निश्चय करने के लिये मैं रेलवे मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

[**श्री श्री आर० डी० भण्डारे** पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair*]

मैं मंत्री महोदय का ध्यान बिहार के प्रति उपेक्षा बरते जाने की ओर दिलाना चाहता हूँ।

सोनपुर को पूर्वोत्तर रेलवे में विभागीय कार्यालय स्थापित किये जाने की उपेक्षा की गई है।

उत्तर सीमांत रेलवे कुल 3000 किलो मीटर में चलती है। वहाँ चार विभागीय मुख्यालय हैं। पाचवाँ मुख्यालय रंगिया में बनाया जाने वाला है लेकिन वहां अभी भूमि और अन्य सामान नहीं है। यदि सोनपुर में पांचवा मुख्यालय बना दिया जाये तो वहां किसी भी चीज की जरुरत नहीं पड़ेगी। 900 कवार्टर वहां खाली पड़े हैं और बहुत से लोग बेरोजगार हैं। समस्तीपुर में कार्यालय रखना कठिन पड़ रहा है। उसे व्यापारी वर्ग की सुविधा के लिये खोला गया था। वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। किन्हीं मामलों के लिये वाराणसी जाना पड़ता हैं और किन्हीं के लिये समस्तीपुर। कुछ क्षेत्र वाराणसी से लेकर तथा कुछ समस्तीपुर से लेकर सोनपूर में कार्लालय स्थापित किया जा सकता है। बिहार में दो विभागीय कार्यालय रखने में क्या हानि है ? में समझता हूँ कि 2 अक्तूबर से उसकी स्थापना की जानी चाहिए।

तीसरे दर्जे के यात्रियों की असुविधाओं की पर्याप्त चर्चा की गई है। किराये भाड़े में वृद्धि का लोग विरोध नहीं करते, परन्तु साथ ही आशा करते है कि कुछ सुविधाएं भी बढ़ाई जानी चाहिए। तीसरे दर्जे की तो बात क्या प्रथम दर्जे में सुविधाओं का सर्वथा अभाव हैं।

दो टायर तथा तीन टायर के डिब्बों के लिये टिकट नहीं मिलते। यदि टिकट मिल भी जाते है तो भी उन्हें डिब्बे में प्रवेश करने के लिये कुलियों तथा अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है।

दिल्ली, हावड़ा तथा बम्बई जैसे बड़े नगरों में भी यही दशा है जब डिब्बे के बाहर यात्रियों के नाम लिखे होते है तब भी अन्य व्यक्तियों को उसमें आने दिया जाता है।

पूछताछ के कार्यालय विशेषत: पटना का कार्यालय ढंग से कार्य नहीं करता। वहां से न टेलीफोन द्वारा जानकारी मिल पाती है और न स्वत: जाने पर। देरी से चलने वाली गाड़ियों की

सूचना भी प्रदर्शित नहीं की जाती। कुछ सदस्यों ने डीलक्स ट्रेनों की निन्दा की है। परन्तु पटना नगर को तो डीलक्स ट्रेन से ही अच्छी सेवा मिलती है। कम से कम पटना से तो दो बार डिलक्स गाड़ियाँ चलाए।

पलेजाघाट उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से मिलाता है. वहाँ खाना भी उपलब्ध नहीं होता वहां पर एक भोजनालय और स्थापित किया जाना चाहिए।

गाड़ियों के देरी से चलने के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके अतिरिक्त मोतीहारी तथा माघा के बीच उत्तर दिशा में जाना भयावय है क्योंकि 15 दिनों में पाँच या छः हत्याएं हो चुकी हैं।

अन्त में मै रेलवे मंत्री से बिहार के लोगों की असुविधाओं को दूर करने की चेष्ठा करने का अनुरोध करता हूँ।

Shri K· G. Deshmukh (Amaravati) : I am verymuch surprised on the defficit budget of Railways further more. It is also a matter of surprise that even though we have monthly in railways they are running at loss. So for as passenger traffic is concerned there is no Competetion and therefore, you can increase fares, But increase in freight changes will adversely affect the goods Traffic.

Every year you are inereasing passenger fare. There should be a limit to that. For this increase three reasons have been given. They say we are giving facilities to passengers giving more allowances to workers and introducing more coaches and new lines. But reality is this that all these things are in demand.

The condition of third class is worst here in India in comparison to other countries of the world. They so on issuing tickets without knowing whether the coaches have that much of capacity. The passengers are not getting adequate facilities.

Hon. Minister had travelled by railways and he knows the difficulties faced by th passengers. He is a new minister and I am sure that he will change the conditions of railways. For that he will have to see so many things which are going. There is much corruption in railways. It should be stopped otherwise the position cannot be changed.

It is said that preference is given to western Railways as compared to Central Railways. But it is absolutely wrong. Nothing worth mentioning have been alone in this respect. There is no Janta train between Delhi-Bombay and Delhi-Calcutta, when they are running in every other section.

There has been a demand for a dtrect train between Nagpur and Poona, but it has not been fulfilled so far. It should be looked into.

Amravati Narphed line should be started immediately because it passes through orange zone. In the absence of this line the orange growers are facing great difficulty in sending their orange product to other parts of the country. Therefore this line should be included in this years programme.

Shri Ramaratan Shastri (Patna) ; For meeting the deficit of 33 crores in Railway Budget Hon. Minister has suggested some increase in railway fare. But this deficit budget could have been changed into a surplus budget.

There is no use of spending a large amount on Railway Board. It is simply a waste and nothing else. It should be abolished.

The number of officers in the railways are increasing and if a labourer wants an increase in his pay he is not given that.

There is theft on large scale in railways and that is done. I think, in convivance with Officers. But nothing is being done for stopping theft.

There was shortage of coal wagons but even to then mine owners were sending coal with the convivance of big officers. So if you want to avoid deficit budgets then abolish this Railway Board.

This is a recognised rule that labourers working on some project get project allowance. But the Railway labourers working at Korapet, Ranchi, Hatia, Farakha, Khajuria, Barauni etc are not setting that. On this question in Barauni and Gadahra they observed hartal. But instead of giving them project allowance they are being prosecuted most of there are in jails. I would like that government should take back the cases against the labourers and should also withdraw their suspension orders.

Government had abondoned S. S. Railway and want to stop many others in Bengal. Government should take these lines in their hand and absorb their employees.

For stoping theft and corruption in railways government should take the help of different labour organization with any distinction. Government should recognise all the important labour unions.

What has happened to the eleven point programme. It is no use of taking the help of Sadhu Samaj and Bharat Sewak Samaj. Both of them are centres of corruption. Their leaders are useless.

D. S. office should be opened in sonepur. A booking office should be opened in the Southern part of Patna as the city is expanding to that side. There should also be an over bridge near booking office, and in Mithapur. Rajender Nagar Railway Station should be opened.

All the clerks should be taken back. Camal labourers should not be asked to work more than eight hours.

There should be an enquiry about the property of the officers of the Railway Board.

Shri Shambhu Nath (Saidpur) I am not against the increase of fare, but it should not be increased in the case of short distances as it will affect the poor persons who are coming daily to nearby city for there daily requirements and court work.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari *in the Chair*]

Principally you have admitted that all metre and narrow gave lines should be changed into broad guage. but the present budget does not give that idia. There are only metre and narrow gange lines in eastern U.P. and western Bihar and on account of that it is not possible to start new industries there. As much I would like to request the Minister that keeping in view the backwardness of the area metre gauge line should be converted into broad gauge.

The condition of administration is very bad and due to that there is indiscipline in all the seetions of railways. There is no safety of the life of passangers. Chains are pulled any where. This should not be allowed and culpris would strongly be dealt with.

Whenever it is asked borom the station that whether a particular train is coming in time or not, it is replied that phone is out of order and it is not possible to get the carrect information. And therefore, passengers have to come on the platform at the prescribed time to wait there for 3 or 4 hours. It is, therefore, requested that arrangement should be made to give information to persons about the late running of trains.

Shrimati Lakshmikantama (Khammam) : I will speak in English for the convenience of hon. Minister.

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक स्टेशन नागुलवंसा में जो विजयवाडा आर सिकन्दराबाद के बीच है, टिकट आदि देने के लिए पक्का प्रबन्ध नहीं है और न ही प्लेटफार्म है। इसके अभाव में मुसाफिरों को बड़ी कठिनाई होती है। वहां प्रति मास लगभग 5000 रुपये के टिकटों की बिक्री होती है जो पक्का टिकटघर बनने पर बढ़ सकती है। अतः सरकार को इसे पूरा स्टेशन बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए।

महबूबाबाद में एक पैदल पुल बनाया जाये। वहां रेलवे स्टेशन शहर के बीच में है तथा आधा शहर एक तरफ है और आधा दूसरी तरफ। यह पुल बनाना कोई कठिन काम नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इसमें नगरपालिका भी कुछ योगदान दे। पर वहां नगरपालिका नहीं है, यद्यपि वह एक बड़ा व्यवसायिक केन्द्र है। रेलवे एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म के लिए ऊपरि पुल बना ही रही है उसी पुल को दोनों ओर थोड़ा-थोड़ा बढ़ा दिया जाये जिससे कि वह सड़क से मिल जाये।

रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार किया गया है। जो भी थोड़ी बहुत लाइनें वहां हैं वह भी जबर्दस्ती बिछाई गई लगती हैं क्योंकि आसमान में रेलवे लाइन बिछाना सम्भव नहीं था।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात लोकसभा शुक्रवार 28 मई, 1971/7 ज्येष्ठ, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourne till Eleven of the Clock or Friday May 28, 1971 Gyaistha 7, 1893 (Saka)

Sumer Printing Press, New Delhi-18.